खण्ड ५—अंक ३
१८ जुलाई, १९५६ (बुधवार)

लोक-सभा
वा द - वि वा द

(भाग १—प्रश्नोत्तर)

सत्यमेव जयते

1st Lok Sabha

(XII Session)

(खंड ५ में अंक १ से अंक २० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

पच्चीस नये पैसे (देश में)　　एक शिलिंग (विदेश में)

171 L. S./56

विषय-सूचि

(खण्ड ५, संख्या १–२०—१६ जुलाई से १० अगस्त)

पृष्ठ

अंक १, सोमवार, १६ जुलाई, १९५६

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण . . . १

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १, ३ से ८, १० से १२, १४ से २१, २३ से २५, २७ और २९ से ३१ . . . . १–२४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २, ९, १३, २२, २८ और ३२ से ३४ . २४–२६

अतारांकित प्रश्न संख्या १ से २२, २४ और २५ . . . २६–३६

दैनिक संक्षेपिका . . ३८–३९

अंक २, मंगलवार, १७ जुलाई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३५, ३९, ४१, ४२, ४४ से ५०, ५२ से ५७, ६० और ६१ . . . . . ४१–६२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३६ से ३८, ४०, ४३, ५१, ५८, ५९, ६२ से ६७ . . . . . ६२–६७

अतारांकित प्रश्न संख्या २६ से ५९ . ६७–८०

दैनिक संक्षेपिका . ८१–८३

अंक ३, बुधवार, १८ जुलाई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६८, ६९, ७१ से ७४, ७६, ७८, ८०, ८२, ८३, ८५, ८६, ८८, ९० से ९३, ९६ से ९९ . . . ८५–१०६

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या ७०, ७५, ७७, ७९, ८१, ८४, ८७, ८९, ९४, ९५, १०० से ११३, ११५ से १२८ . . . . १०६–१९

अतारांकित प्रश्न संख्या ६० से ८१, ८३ . . . ११९–२६

पृष्ठ

तारांकित प्रश्न संख्या के उत्तर में शुद्धि . . १२६

दैनिक संक्षेपिका १२८–३०

अंक ४, शुक्रवार, २० जुलाई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या १२९ से १३२, १३४, १३६ से १३८, १४०, १४१ १४३, १४७, १५० से १५३, १५६, १५७, १३५ और १३९ . १३१–५३

प्रश्नों के लिखित उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या १३३, १४४ से १४६, १४८, १४९, १५४, १५५, १५८ . . . . . १५४–५६

अतारांकित प्रश्न संख्या ८४ से १०१ १५६–६४

दैनिक संक्षेपिका . . १६५–६६

अंक ५, शनिवार, २१ जुलाई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या १५९ से १६७, १६९, १७१, १७२, १७४ से १७६ और १८० से १८६ . . . . . १६७–९०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १ १९०–९२

प्रश्नों के लिखित उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या १६८, १७०, १७३, १७७, १७८ और १८७ से१९६ १९२–९६

अतारांकित प्रश्न संख्या १०२ से १३० १९७–२०९

दैनिक संक्षेपिका २१०–१२

अंक ६, मंगलवार, २४ जुलाई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या १९७ से २०२, २०४ से २०६, २०८, २०९, २१२ २१३, २१६ से २२७, २१५ और २१० . . . २१३–३६

प्रश्नों के लिखित उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या २०३, २०७, २११, २१४ २३६–३७

अतारांकित प्रश्न संख्या १३१ से १३९ २३७–४१

दैनिक संक्षेपिका २४२–४३

पृष्ठ

अंक ७, बुधवार, २५ जुलाई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २३८ से २४२, २४४ से २५२, २५४ और २५५ . २४४–६५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २४३, २५३ और २५६ से २८६ २६६–७५

अतारांकित प्रश्न संख्या १४० से १७६ . . २७६–८८

दैनिक संक्षेपिका . . . २८९–९१

अंक ८, गुरुवार, २६ जुलाई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २८७ से २९२, २९४ से २९८, ३०० से ३०२ ३०४ से ३११ और ३१४ . २९२–३१४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २९३, २८८, ३०३, ३१२, ३१३, ३१५ से ३३८ और ३४१ . . . ३१४–२४

अतारांकित प्रश्न संख्या १७७ से २१ ३२४–३५

दैनिक संक्षेपिका . . ३३६–३७

अंक ९, शुक्रवार, २७ जुलाई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३४२, ३४४, ३४६ से ३४८, ३५४, ३७४, ३४९ से ३५३, ३५५, ३५६, ३५८, ३५९ और ३६१ से ३६७ ३३९–५७

अल्प-सूचना प्रश्न संख्या २ से ४ ३५७–६७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न ३४३, ३४५, ३५७, ३६०, ३६४ से ३७३, ३७५ से ३८२ और ३८४ से ३९३ . . . . . ३६७–७७

अतारांकित प्रश्न संख्या २१२ से २४० . ३७७–८७

दैनिक संक्षेपिका ३८८–९०

अंक १०, शनिवार, २८ जुलाई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३९६, ३९८ से ४००, ४०२ से ४०६, ४०८, ४११, ४१२, ४१५, ४१७, ४१८, ४२०, ४२१, ४२३, ४२६, ४२९, ४३१, ४३२ ४३५ और ४३६ . . . ३९१–४११

पृष्ठ

अल्प सुचना प्रश्न संख्या ५ . . ४१२–१३

प्रश्नों के लिखित उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या ३९४, ३९५, ३९७, ४०१, ४०७, ४०९, ४१०, ४१३ ४१४, ४१६, ४१९, ४२४, ४२५, ४२८, ४३०, ४३३, ४३४, और ४३७ से ४४७ . . . . . ४१३–२२

अतारांकित प्रश्न संख्या २४१ से २६१ . . ४२२–२९

दैनिक संक्षेपिका ४३०–३२

अंक ११, सोमवार, ३० जुलाई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या ४५१ से ४५४, ४५६ से ४६०, ४६२, ४६३, ४६६, ४६८, ४६९, ४७१ से ४७७ और ४७९, ४८० . . . ४३३–५३

प्रश्नों के लिखित उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या ४४८ से ४५०, ४५५, ४६१, ४६४, ४६५, ४६७, ४७०, ४७८ और ४८१ से ५०० . . . . ४५३–६३

अतारांकित प्रश्न संख्या २६२ से २९६ . ४६३–७६

दैनिक संक्षेपिका ४७७–७९

अंक १२, मंगलवार, ३१ जुलाई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या ५०५ से ५०९, ५११ से ५२२, ५२५, ५२८, ५२९, ५३१ और ५३४ से ५३६ . . . . ४८१–५०२

प्रश्नों के लिखित उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या ५०१ से ५०४, ५१०, ५२३, ५२४, ५२६, ५२७, ५३०, ५३२, ५३३, ५३७ से ५३९ और ५४१ से ५५७ . . ५०३–१३

अतारांकित प्रश्न संख्या २९७ से ३३६ . ५१३–२४

दैनिक संक्षेपिका . ५२५–२६

अंक १३, बुधवार, १ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५६०, ५६१, ५६३ से ५६५, ५६७, ५६८, ५७१, ५७३ से ५७७, ५७९ और ५८० . . . . ५२९–४८

प्रश्नों के लिखित उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या ५५८, ५५९, ५६२, ५६६, ५६९, ५७०, ५७२, ५७८ ५८१ से ५९८, ६०० से ६०६, ६०८ और ६०९ . . ५४९–५९

पृष्ठ

अतारांकित प्रश्न संख्या ३३७ से ३५१ . ५५९–६४

दैनिक संक्षेपिका . ५६५–६७

अंक १४, गुरुवार, २ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या ६११, ६१३ से ६१७, ६१९ से ६२४, ६२६ सें ६२९, ६३१ से ६३४, ६३७, ६३८, ६४० से ६४२ और ६४४ . . ५६९–९०

प्रश्नों के लिखित उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या ६१०, ६१२, ६१८, १२५, ६३०, ६३५, ६३६, ६३९ ६४३ और ६४५ से ६७२ . . . . ५९०–६०२

अतारांकित प्रश्न संख्या ३५२ से ३८२ . . ६०२–१३

दैनिक संक्षेपिका ६१४–१६

अंक १५, शुक्रवार, ३ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्यां ६७३ से ६७८, ६८०, ६८२ से ६८४, ६८६, ६८७, ६९०, ६९१, ६९३, ६९५ से ६९८ और ७०१ से ७०५ . . ६१७–३८

प्रश्नों के लिखित उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या ६७९, ६८१, ६८५, ६८८, ६८९, ६९२, ६९४, ७०० और ७०६ से ७२१ . . . . ६३८–४५

अतारांकित प्रश्न संख्या ३८३ से ४१२ और ४१४ . ६४५–५६

दैनिक संक्षेपिका . . . ६५७–५९

अंक १६, सोमवार, ६ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या ७२२ से ७२७, ७२९ से ७३३, ७३५ से ७३७, ७४१ से ७४३, ७४६ और ७४८ से ७५० . . . ६६१–८०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६ ६८१–८२

प्रश्नों के लिखित उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या ७२८, ७३४, ७३८ से ७४०, ७४५, ७४७, ७५१ से ७५५, ७५७ से ७७६, ७७८ से ७८०, ७८२ और ७८३ . . ६८२–९४

अतांरकित प्रश्न संख्या ४१५ से ४३९ और ४४१ से ४४३ ६९४–७०४

दैनिक संक्षेपिका ७०५–०६

पृष्ठ

अंक १७, मंगलवार, ७ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७८४, ७८६, ७८७, ७८९, ७९०, ७९२ से ७९७, ७९९ से ८०३, ८०५, ८०६, और ८०८ से ८१० . . ७०९–३०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ७ . ७३०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७८५, ७८८, ७९१, ७९८, ८०४, ८०७, ८११ से ८३६ और ८३८ से ८४७ . . . ७३०–४३

अतारांकित प्रश्न संख्या ४४४ से ४८६ और ४८८ से ४९४ ७४४–६०

दैनिक संक्षेपिका . ७६१–६४

अंक १८, बुधवार, ८ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८४८ से ८६७, ८६९, ८७० . ७६५–८५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८६८, ८७१ से ८९३ ७८५–९३

अतारांकित प्रश्न संख्या ४९५ से ५२९ . ७९३–८०४

दैनिक संक्षेपिका . ८०५–०७

अंक १९, गुरुवार, ९ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८९४, ८९६ से ९००, ९०३, ९०५ से ९०७, ९०९, ९१४, ९१५, ९१८, ९२१ से ९२३, ९२५ से ९३१ . . ८०९–३०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८९५, ९०१, ९०२, ९०४, ९०८, ९१० से ९१३, ९१६, ९१७, ९१९, ९२०, ९२४, ९३२ से ९४२ ८३०–३७

अतारांकित प्रश्न संख्या ५३० से ५५३ ८३७–४६

दैनिक संक्षेपिका ८४७–४८

अंक २०, शुक्रवार, १० अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९४४ से ९४७, ९४९, ९५०, ९५३ से ९५७, ९५९ से ९६४, ९६६, ९८४, ९६७ और ९६८ . . . ८५१–७१

पृष्ठ

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ८ . . . . ८७१

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ९४३, ९४८, ९५१, ९५२, ९५८, ९६५, ९६९ से ९८३ और ९८५ से ९९३ . . . . . ८७१–८०

अतारांकित प्रश्न संख्या ५५४ से ६०३ . . . ८८०–९६

दैनिक संक्षेपिका ८९७–९००

भा. स. मु. ना.--वि.३--१८८ लोक सभा/५६—२-४-५८—१९०

लोक-सभा वाद-विवाद

(भाग १—प्रश्नोत्तर)

लोक-सभा

बुधवार, १८ जुलाई, १९५६

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

वैदेशिक ऋण

†*६८. **श्री भागवत झा आजाद :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ देशों ने भारत को उसकी दूसरी पंचवर्षीय योजना को चलाने के लिये ऋण देना स्वीकार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उन देशों के क्या नाम हैं ; और

(ग) कितना ऋण मिलेगा ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) :** (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिए परिशिष्ट १, अनुबंध संख्या १९**]

†**श्री भागवत झा आजाद :** अमरीका से ४० करोड़ रुपये का ऋण कितने समय में प्राप्त होगा और उसे वापिस करने की क्या शर्तें होंगी ?

†**श्री ब० रा० भगत :** ऋण ४० वर्षों में छः माही किश्तों में लौटाया जाएगा। यदि रुपयों में वापिस किया जायेगा तो चार प्रतिशत सूद की दर होगी और यदि डालरों में दिया जायेगा तो तो ३ प्रतिशत सूद की दर।

†**श्री भागवत झा आजाद :** भारत में अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक का जो दल आया था, क्या उसने अपना प्रतिवेदन दे दिया है और यदि हां, तो उस बैंक द्वारा भारत को दिय जाने वाले ऋण के बारे में क्या सिफारिशें की गई हैं ?

†**श्री ब० रा० भगत :** बैंक का दल वापिस चला गया है और यदि उसने कोई प्रतिवेदन देना है तो उसने बैंक को दिया होगा और जो सिफारिशें करनी हैं वे बैंक को करनी हैं, इस लिये हमें पता नहीं उसने क्या सिफारिशें की हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

1—171 L. S.

†**श्री भागवत झा आजाद :** क्या अमेरिकी सीनेट के अल्पसंख्यक दल के नेत के अपमानजनक वक्तव्य की ओर सरकार का ध्यान गया ह जिसमें उसने कहा है कि वह भारत को सहायता देने के कार्यक्रम में काफी कमी करने का प्रस्ताव करेगा या ऐसे प्रस्ताव का समर्थन करेगा, और यदि हां, तो क्या सरकार का ऐसे अपमानजनक वक्तव्य के कारण अमेरिका से यह ऋण लेने का इन्कार करने का विचार है ?

†**श्री ब० रा० भगत :** मैंने समाचार पत्रों में वह वक्तव्य पढ़ा है किन्तु वह केवल अल्पसंख्यकों के नेता का वक्तव्य है।

†**श्री भागवत झा आज़ाद :** किन्तु अल्पसंख्यकों के नेता अमेरिका के सत्तारूढ़ रिपब्लिकन दल के सदस्य हैं।

†**श्री कामत :** क्या सरकार ने इस संबंध में बाहर के किसी देश से ऋण स्वीकार करने का फैसला कर लिया है, बशर्ते कि उसकी कोई शर्त न हो, अथवा सरकार ने राजनीतिक या दूसरे आधारों पर विदेशों के बारे में भेदभाव किया है, और यदि हां, तो इसका आधार क्या है ?

†**श्री ब० रा० भगत :** ऋण या विनियोजन स्वीकार करने के बारे में हमारी नीति सर्वविदित है। हम मित्र देशों से ऋण लेते हैं, यदि उनकी कोई राजनीतिक शर्त न हो। देशों के बारे में कोई भेदभाव नहीं किया जाता।

†**श्री ब० स० मूर्ति :** अमेरिका का प्रेस भी भारत की प्रगति के मामले में प्रतिकूल है, इस को ध्यान में रखते हुए क्या ४० करोड़ रुपये का यह ऋण लेना बहुत आवश्यक है, जो हमारे व्यय का बहुत ही अल्प भाग है ?

†**श्री ब० रा० भगत :** यह प्रेस को स्वतन्त्रता के कारण है। किन्तु वहां के दूसरे क्षेत्रों से मित्रता पूर्ण समाचार भी मिलते हैं।

छपाई का प्रादेशिक स्कूल

† *६९. **श्री श्रीनारायण दास :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छपाई के प्रादेशिक स्कूल स्थापित करने के मामले में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) केन्द्रीय सरकार ने प्रत्येक स्कूल के लिये पृथक आंकड़े देने के उद्देश्य से अब तक कुल कितना धन दिया है ; और

(ग) स्थापित स्कूलों में अभी तक कुल कितने प्रशिक्षणार्थियों को लिया गया है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास):** (क) से (ग). यह जानकारी देने वाला विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिए परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २०**]

†**श्री श्री नारायण दास :** विवरण से प्रतीत होता है कि केन्द्रीय सरकार प्रत्येक स्कूल को आधा आवर्त्तक और अनावर्त्तक व्यय देने को तैयार है। इन संस्थाओं को किन शर्तों के अधीन यह सहायता दी जा रही है ?

†**डा० म० मो० दास :** शर्तें ये हैं कि जहां स्कूल खोले जायेंगे ५० प्रतिशत आवर्त्तक और अनावर्त्तक व्यय राज्य सरकारें देंगी और वहां के छपाई के प्रेस सक्रिय सहयोग देंगे।

†**श्री श्रीनारायण दास :** क्या इन स्कूलों के प्रबंध में केन्द्रीय और राज्य सरकारों का कोई हाथ होगा और यदि हां, तो उनका किस प्रकार का नियंत्रण और विनियमन होगा ?

†**डा० म० मो० दास :** मुझे इसके लिये पूर्व सूचना चाहिए।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री श्रीनारायण दास :** इन स्कूलों में लगभग कितने कितने प्रशिक्षणार्थी प्रवेश पा सकते हैं ?

†**डा० म० मो० दास :** वर्तमान व्यवस्था इस प्रकार है : मद्रास में पहले और दूसरे वर्षों में लगभग १८०—यह स्कूल का दूसरा वर्ष है। कलकत्ते में पहले वर्ष में ८० और अब प्रिशक्षणार्थियों को प्रवेश दिया जा रहा है। बम्बई में यह भरती का पहला वर्ष है और वहां २५ लोगों के लिये व्यवस्था है । जहां प्रबंध पूरा हो जायेगा, प्रत्येक स्कूल में लगभग २०० लोगों के प्रशिक्षण की सुविधायें मिलेंगी।

†**श्री म० कु० मैत्र :** क्या प्रशिक्षणार्थियों को व्यावहारिक प्रशिक्षण देने के लिये कोई प्रबंध किया गया है ?

†**डा० म० मो० दास :** इसी उद्देश्य से तो हमने ये स्कूल ऐसे स्थानों पर खोले हैं, जहां बहुत से छापेखाने हैं।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** अब, श्री ब० स० मूर्ति ।

†**श्री म० कु० मैत्र :** क्या ये स्कूल.....

†**उपाध्यक्ष महोदय :** शान्ति, शान्ति। अनुक्रम को ध्यान में रखना चाहिये। किसी सदस्य को तभी बोलना आरंभ करना चाहिये जब उसे बोलने को कहा जाये। उसे अध्यक्ष को केवल इस कारण बोलने देने के लिये बाध्य नहीं करना चाहिए कि वह बोलना आरंभ कर चुका है। अब, श्री ब० स० मूर्ति।

†**श्री ब० स० मूर्ति :** क्या इस योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार का भी कोई स्कूल लिया गया है ?

†**डा० म० मो० दास :** राज्य सरकारों का कोई भी स्कूल नहीं है। किन्तु एक प्रस्ताव है कि दिल्ली पोलिटैकनिक में दूसरा छपाई का स्कूल स्थापित किया जायेगा। यदि यह स्थापित हुआ तो केन्द्रीय सरकार के अधीन होगा।

†**श्री श्रीनारायण दास :** इन संस्थाओं के आवर्त्तक और अनावर्त्तक व्यय के मामलें मे केन्द्रीय सरकार का वित्तीय उत्तरदायित्व कितना है ?

†**डा० म० मो० दास :** विवरण में बताया गया है कि ५० प्रतिशत खर्च केन्द्रीय सरकार का होगा और ५० प्रतिशत उस राज्य सरकार का जहां संस्था स्थापित होगी, और उसमें वहां के प्रेसों का सक्रिय सहयोग और वित्तीय सहायता होगी।

†**श्री म० कु० मैत्र :** क्या व्यावहारिक प्रशिक्षण का प्रबंध करने के लिये उन गैर-सरकारी प्रेसों को सहायता देने की कोई प्रस्थापना है ?

†**डा० म० मो० दास :** मेरा विचार है कि ऐसी कोई प्रस्थापना नहीं है। इसके विपरीत इन गैर सरकारी प्रेसों को इन स्कूलों की स्थापना के लिये अंशदान देना होगा।

लागत लेखा प्रणाली

†*७१. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिरक्षा उत्पादन संस्थापनों में कोई परिव्यय लेखा प्रणाली है ; और

(ख) यदि नहीं, तो विभिन्न संस्थापनों में उत्पादन लागत का मिलान करने और जांच करने के लिये क्या प्रणाली अपनाई जाती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) आयुध फैक्ट्रियों में परिव्यय लेखा प्रणाली पहले ही विद्यमान है। इसे अधिक वैज्ञानिक ढंग पर लाने के लिये इसमें संशोधन करने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : प्रायः कहा जाता है कि असैनिक संस्थापनों में तैयार किया गया माल महंगा होता है, क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए, उत्पादन परिव्यय की पड़ताल के लिये और उसे अधिक वैज्ञानिक आधार पर संगठना करने के लिये कोई प्रणाली अपनाई गई है?

†**सरदार मजीठिया** : मैं मानता हूं कि उत्पादन परिव्यय कुछ अधिक है। किन्तु जैसा मैंने कहा है, हम इस लेखा प्रणाली में संशोधन कर रहे हैं और हम इसको ध्यान में रखेंगे।

†**श्री वें० प० नायर** : मंत्री महोदय ने कहा है कि परिव्यय लेखा प्रणाली लागू है। क्या प्रतिरक्षा लेखा सेवा में ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने परिव्यय लेखा की विशेष योग्यता प्राप्त की हुई है; और यदि हां, तो ऐसे अधिकारियों की संख्या क्या है?

†**सरदार मजीठिया** : इसके लिये मुझे पूर्व सूचना चाहिए।

त्रावणकोर कोचीन में पुलिस की संख्या

†*७२. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय त्रावनकोर-कोचीन राज्य में पुलिस की संख्या कितनी है; और

(ख) वहां १९५५ और १९५६ में अब तक पुलिस के कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार, अभियोग, डकैती, विधि का उल्लंघन और अनैतिकता के कितने मामले चले हैं?

†**गृहकार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) ९३८३।

(ख) १९५५-५६ में भ्रष्टाचार के १६ मामलों में पुलिस के कर्मचारियों का हाथ था। डकैती के मामले में कोई पुलिस कर्मचारी नहीं था। अभियोग, विधि का उल्लंघन और अनैतिकता के मामलों से क्या मतलब है यह स्पष्ट नहीं हुआ। यदि माननीय सदस्य कोई विशिष्ट बात कहें या किसी बात का स्पष्टीकरण करें तो, सूचना एकत्र करके सभा के सामने रख दी जाएगी।

†**श्री अ० क० गोपालन** : क्या यह सच है कि एक असिस्टैंट सुपरिटेंडेंट पुलिस वेणुगोपालन को यात्रियों के बंगले में एक स्त्री पर बलात्कार करने के मामले में सेवा से मुअत्तिल किया गया था?

†**श्री दातार** : शिकायतें प्राप्त हुई थीं और जांच करवाई गई थी। अब उसके प्रतिवेदन पर त्रावनकोर-कोचीन सरकार विचार कर रही है।

†**श्री अ० क० गोपालन** : क्या यह सच है कि हाल ही में एक पुलिस सब-इंसपैक्टर को, जांच जारी रहने तक कौट्टायम से दूसरे स्थान पर बदल दिया गया था, क्योंकि वह शांति और व्यवस्था कायम रखने के बारे में बडी लापरवाही करता था?

†**श्री दातार** : मुझे इसका पता नहीं।

†**श्री वें० प० नायर** : कितने मामलों में सरकार के पास शिकायतें आई हैं कि पुलिस अफसर, विशेषतः सब इंसपैक्टर और पुलिस के सिपाही हवालातों के अन्दर, अभियुक्तों और उन कैदियोंके साथ, जिन पर मुकद्दमा चल रहा है, बड़ी बर्बरता का व्यवहार किया है, और यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री दातार :** ये सब सामान्य आरोप प्रश्न के क्षेत्र से परे हैं।

†**श्री अ० म० थामस :** दूसरे राज्यों की तुलना में प्रति लाख व्यक्तियों के पीछे त्रावनकोर-कोचीन की ठीक कितनी पुलिस है? अन्य राज्यों की पुलिस की तुलना में त्रावनकोर-कोचीन राज्य के पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध अपराधों की संख्या कितनी है?

†**श्री दातार:** इन सब बातों का अध्ययन करना होगा। किन्तु मैं कहूंगा कि पुलिस की संख्या पर्याप्त है, अर्थात् ९३८३।

†**श्री वें० प० नायर :** क्या यह सच नहीं है कि जनता के बड़े उत्तरदायी लोगों ने सरकार को ऐसे बहुत से मामलों की सूचना दी है जिन में पुलिस अफसरों का हस्तक्षेप अपराधों में हाथ है? क्या इन मामलों में, सरकार की यह रीति नहीं है कि अभियुक्त अफसरों को विभागीय जांच करवाई जाए, ताकि वे अन्ततोगत्वा अपने आप को बचा सकें, या समय बीतने पर किसी संभव साक्ष्य को न कर दें?

†**श्री दातार :** यह एक आक्षेप है।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** साधारणतया एक समय केवल एक प्रश्न होना चाहिये। "क्या मैं यह भी जान सकता हूं" यह कह कर प्रश्नों को परस्पर नहीं मिलाना चाहिये।

†**श्री दातार :** मैं इन दोनों प्रश्नों में दिये गये आक्षेपों को स्वीकार नहीं करूंगा। जहां तक सामान्य शिकायतों का सम्बन्ध है, जब कभी उत्तरदायी लोगों से कोई शिकायत आती है, उनकी यथोचित जांच की जाती है। मैं सभा को यह बता दूं कि जब मैंने विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों से कुछ शिकायतें प्राप्त कीं मैं ने उनकी जांच की और यह पाया कि आक्षेप गलत थे।

†**श्री वें० प० नायर:** पिछले दो वर्षों में पुलिस अफसरों के विरुद्ध कितने मामलों में चोटों और सख्त चोटों के निश्चित आरोप लगाये गये हैं?

†**श्री दातार :** मुझे पूर्व सूचना की आवश्यकता है।

†**श्री वें० प० नायर :** सदा पूर्व सूचना चाहिये।

†**पण्डित द्वा० ना० तिवारी :** क्या ये घटनाएं त्रावनकोर-कोचीन के लिये विशेष हैं, या क्या ऐसी घटनाएं दूसरे राज्यों में भीं होती हैं?

†**श्री दातार :** ऐसी घटनाएं कहीं कहीं हो जाती हैं। दुख की बात है कि कुछ लोग छोटी बातों को बढ़ा देते हैं।

छावनियों में आवास संबन्धी सुविधायें

*७३. **श्री बाल्मीकी :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छावनियों में काम करने वाले मेहतरों के लिये आवास सम्बन्धी सुविधाओं का प्रबन्ध करने के लिये वर्ष १९५३-५४, १९५४-५५ और १९५५-५६ में क्या प्रयत्न किये गये हैं;

(ख) क्या यह सच है कि पिछले दस वर्षों में इस कार्य पर कुछ भी विशेष ध्यान नहीं दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो निकट भविष्य में इस दिशा में क्या कार्यवाही करने का विचार है?

प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। [**देखिए परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २१**]

---

†मूल अंग्रेजी में।

(ख) तथा (ग). छावनी बोर्डों को साधारण तौर पर पिछले वर्षों में अपने कर्मचारियों को आवास देने की जरूरत नहीं पड़ी थी और इस लिये भूतकाल में मेहतरों को आवास देने के बार में कोई विशेष ध्यान देने कि आवश्यकता नही थी ।

किन्तु छावनी बोर्डों ने अपनी पंच वर्षीय विकास योजना की अविधि के अन्तर्गत मेहतरों के लिये अधिक आवास बनाने का प्रस्ताव रखा है । वार्षिक बजट बनाने के अवसर पर इन प्रस्तावों पर विचार किया जाता हैं । १९५६-५७ में विभिन्न बोर्डो मे बनने वाले आवासों की कुल संख्या १९५ तक होने की सम्भावना हैं ।

श्री बाल्मीकी : इस स्टेटमेंट को देखने से मालूम होता है कि छावनियों में काम करने वाले मेहतरों के लिये आवास सम्बन्धी सुविधायें देने की दिशा में विशेष प्रगति नहीं हुई है और अब भी छावनियों कें इलाकों में मेहतरों के मकान गंदे और टट्टी के स्थानों पर बने हुए हैं और मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि उन्हें अच्छी साइट पर बसाने के लिये क्या प्रयत्न किया जा रहा है ?

सरदार मजीठिया : स्टेटमेंट को देखने से मालूम हो जायेगा कि कुछ घर नये बनाये गये हैं और कुछ को बढाया गया है और जैसा कि मैं ने कहा है कि अब जो दूसरी पंचवर्षीय योजना चल रही है उसमें कुछ और ज्यादा ध्यान इस चीज पर दिया जा रहा है और मैं उम्मीद करता हूं कि इस अर्से में काफी तादाद में उनके वास्ते मकान बन जायेंगे ।

श्री बाल्मीकी : दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो गंदी बस्तियां हटेंगी और मेहतरों के मकान बनाने के लिये जी २० करोड़ रुपये का अनुदान रक्खा गया है तो क्या इस अनुदान से उन्हें कुछ अधिक लाभ पहुंचने की आशा है ।

सरदार मजीठिया : मैं यह कह सकता हूं कि इस योजना में उनको पहले से ज्यादा लाभ पहुंचेगा क्योंकि पहले तो कैंटूनमेन्ट बोर्डों को तकरीबन साल में १० लाख रुपया दिया जाता था और इस साल से वह ५० लाख दिया जाता है और इसलिए हिस्सा जो इनका आयेगा वह आगे से ज्यादा आयेगा ।

श्री बाल्मीकी : आगरे के मेहतर जो कैंटूनमेंट एरिया के रहनें वाले हैं एक साइट के लिये पिछले तीन साल से बराबर यत्न कर रहे हैं तो क्या सरकार उन्हें वह अच्छी साइट देने का विचार रखती है ?

सरदार मजीठिया : मेरे नोटिस में यह चीज नहीं आई है । अब चूंकि माननीय मेम्बरने इस का जिक्र किया है इसलिये मैं इस पर गौर करूंगा ।

श्रीमती कमलेन्दुमति शाह : मैं यह जानना चाहती हूं कि जो २० करोड़ रुपया मेहतरों की आवास सम्बन्धी सुविधाएं देने के लिए रक्खा गया है तो उस रुपयें मे से कुछ राशि बद्रीनाथ और केदारनाथ के मेहतरों के लिये घर बनाने पर खर्च की जायेगी जो कि बहुत कष्ट में हैं और जिनके के पास कोई रहने का घर अथवा स्थान नहीं है और क्या केन्द्रीय सरकार प्रान्तीय सरकार को इस विषय में लिखेगी कि उनके वास्ते भी घर आदि बनाने की व्यवस्था की जाय ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न छावनियों में काम करने वाले मेहतरों से ताल्लुक रखता है ।

श्री भक्त दर्शन: यह जो सूची सभा-पटल पर रखी गई है इसमें १७ छावनियों का जिक्र है लेकिन इनमें से एक भी ऐसी नहीं है जिसे कि हम पर्वतीय छावनी कह सकें और क्या गवर्नमेंट के ध्यान में यह बात आई है कि पर्वतीय छावनियों में मेहतरों की हालत दूसरी छावनियों से भी ज्यादा खराब है और अगली पंचवर्षीय योजना में खास तौर पर उन पहाडी छावनियों में काम करने वाले मेहतरों की दशा सुधारने की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए ?

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

सरदार मजीठिया : मैंने पहले ही कह दिया है कि जो जो छावनियों इसमें अभी तक नहीं आई हैं उन पर विचार किया जायेगा।

श्री प० ला० बारूपाल : क्या मैं जान सकता हूं कि यह क्वार्टर्स जो बनाये जायेंगे यह अन्य सैनिकों के साथ बनायें जायेंगे या उनको छोटे छोटे अछूत स्थानों की तरह अलग बनाया जायेगा ?

सरदार मजीठिया : यह जो क्वार्टर्स अछूतों के लिये बनते हैं उनमें और जो कि दूसरे क्वार्टर्स हैं, उनमें ज्यादा फर्क नहीं है। अब यह अलग अलग बनायेंगे या अन्य सैनिकों के क्वार्टर्स के साथ साथ बनाये जायेंगे तो यह तो जैसे जैसे कैंटूनमेंट का प्लान बनता जाता है उसके मुताबिक यह बनेंगे।

श्री प० ला० बारूपाल : सैनिक सैनिक तो सब समान होते हैं फिर क्वार्टर्स के सम्बन्ध में यह अन्तर क्यों होता है ?

सरदार मजीठिया : छावनियों में जब कोई बिल्डिंग बनती हैं तो वह छावनी के प्लान के अधीन बनती है और उसी प्लान के मुताबिक हम चल रहे हैं।

डालमिया अभियोग

†*७४. **श्री नि० बि० चौधरी :** क्या **वित्त** मंत्री १८ अप्रैल, १९५६ को पूछ गये तारांकित प्रश्न संख्या १५२३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री रामकृष्ण डालमिया के विरुद्ध चल रहे अभियोग की अब क्या स्थिति है ?

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री म० च० शाह) :** क्योंकि अभियोग उलझा हुआ है अतः इसकी दूसरी जांच करने में कुछ समय और लगेगा।

†**श्री नि० बि० चौधरी :** क्या यह अफवाह सही है कि सरकार अभियोग को आगे नहीं बढ़ायेगी ?

†**श्री म० च० शाह :** यह सर्वथा गलत और निराधार है।

†**श्री फ़ीरोज़ गांधी :** १८ अप्रैल, १९५६ को भी माननीय मंत्री ने यही उत्तर दिया था। हम जानना चाहते हैं कि सरकार को इतना समय क्यों लग रहा है? आखिरकार श्री डालमिया को गिरफ्तार हुए दस महीने हो गये हैं।

†**श्री म० च० शाह :** माननीय सदस्य बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि यह २·२० करोड़ रुपये का मामला है। वह यह भी जानते हैं कि ऐसे बहुत से समवाय हैं जिनसे कि श्री रामकृष्ण डालमिया का सम्बन्ध है। अतः इन सारे समवायों और अन्य संबंधित व्यक्तियों से इतनी बड़ी धनराशि का पता लगाने के लिए जांच अधिकारी को इन सारे समवायों और सम्बन्धित व्यक्तियों के उलझे हुए सारे लेखे को देखना पड़ेगा। अतः अभियोग को सुदृढ़ करने के लिये यह सर्वथा आवश्यक है कि दोषारोपण करने से पहिले पूर्णरूपेण जांच होनी चाहिए।

प्राकृतिक गैस

†*७६. **श्री गिडवानी :** क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई राज्य के अमरेली, बड़ौदा और भड़ौच जिलों में बहुत से स्थानों पर प्राकृतिक गैस का पता लगा है ;

(ख) क्या सरकार को कोई सूचना मिली है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग). एक विवरण, जिसमें यह जानकारी दी है, सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिए परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २२**]

†**श्री गिडवानी** : विवरण में कहा गया है कि अमरेली और बड़ौदा जिलों में प्राकृतिक गैस का पता लगा है परन्तु उसका कोई आर्थिक महत्व नहीं है। क्या और आगे जांच की जायेगी या जांच समाप्त हो गई है?

†**श्री के० दे० मालवीय** : जी नहीं। और आगे जांच हो रही है, तथा हाल की भूभौतिकीय खोजों से भी कुछ और जानकारी प्राप्त हुई है। परन्तु अभी हमारे निष्कर्ष निकालने के लिये यह पर्याप्त नहीं है।

†**श्री भागवत झा आजाद** : यदि इस खोज से यह पता लगता है कि वहां गैस पर्याप्त मात्रा में हैं तो क्या उसे जमा करने तथा उसका हमारे कार्यों के लिये उपयोग करने की सरकार की कोई योजना है?

†**श्री के० दे० मालवीय** : दुर्भाग्यवश, हमने अब तक जो जानकारी एकत्रित की है उससे प्रकट होता है कि उनका एक स्थान पर पर्याप्त महत्व है और अन्य किसी स्थान पर उनका कोई आर्थिक महत्व नहीं है। हम उस स्थान-विशेष पर, अर्थात् गोघा में अपनी जांच कर रहे हैं।

धर्म शिक्षक

†*७८. **श्री डाभी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री २१ मई, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्नसंख्या २३६४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पादरियों को तथा अन्य धर्मों के शिक्षकों को दिये जानेवाले वेतनों व भत्तों की दरों की असमानता को दूर करने का है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : भारत सरकार इस प्रश्न पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है कि क्या पादरियों तथा अन्य धर्मों के शिक्षकों को वेतनों की दरों में असमानता दूर की जाये या नहीं। भत्तों की दरों में कोई असमानता नहीं है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री डाभी** : किस प्रकार की असमानता दूर की जायेगी? माननीय मंत्री ने बताया है कि असमानता नहीं है।

†**सरदार मजीठिया** : मैंने कहा था कि भत्तों में कोई असमानता नहीं है। वेतन में असमानता है। उसे दूर करना सरकार के विचाराधीन है।

†**श्री डाभी** : इन धर्म-शिक्षकों को काम पर रखने की क्या आवश्यकता थी?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह सर्वथा एक भिन्न प्रश्न है।

†**श्री ति० सु० अ० चेट्टियार** : असमानता क्या है?

†**सरदार मजीठिया** : पादरियों को १०० रुपये मासिक मिलता है जब कि इन धर्म-शिक्षकों को दस वर्ष की नौकरी तक ३५ रुपये मासिक, दस वर्ष के बाद ४० रुपये और २० वर्ष के बाद ४५ रुपये मिलते हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें कुछ अन्य भत्ते मिलते हैं, जैसे उन्हें क्वार्टर, आदि मुफ्त मिलते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री ति० सु० अ० चेट्टियार :** इन भत्तों को बराबर करने में क्या कठिनाई है और इसमें समय क्यों लगना चाहिए ?

†**सरदार मजीठिया :** मैं ने कहा था कि सरकार इस प्रश्न पर विचार कर रही है तथा असमानता ३५ रु० और १०० रुपये में है। यहां मैं यह और कहना चाहता हूं कि जहां तक उन वर्तमान पदाधिकारियों का सम्बन्ध है जिन्हें अधिक वेतन मिल रहा है, उन पर सरकार द्वारा किये जाने वाले परिवर्तनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। परन्तु हम यह ध्यान रखेंगे कि यह असमानता समाप्त हो जाये।

†**श्री न० मा० लिंगम् :** क्योंकि हमारे स्कूलों व कालिजों में धर्म की शिक्षा नहीं दी जाती, अतः मैं जानना चाहता हूं कि प्रतिरक्षा विभाग में ऐसे शिक्षक रखने की क्या आवश्यकता है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** यह इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता।

जीपों का क्रय

†*८०. **श्री कामत :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री २९ मई, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्नसंख्या २६६३(क) के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जीपों के क्रय से संबंधित चार प्रतिवादियों के नाम क्या क्या हैं;

(ख) क्या इन सब के नाम लेख्य जारी किये गये हैं ; और

(ग) मामला किस स्थिति में है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) :** (क) और (ख). लेख्य प्राप्त किये गये हैं और तीन प्रतिवादियों के नाम जारी किये गये हैं ; अर्थात्

(१) जेम्स मार्शल कार्नवाल एण्ड पार्टनर्स लि०।

(२) जनरल सर जेम्स मार्शल कार्नवाल।

(३) एस० जी० क्लीन।

चौथा प्रतिवादी ग्रुप केप्टीन एफ० एच० एल० सर्ल दीवालिया घोषित कर दिया गया है, और ब्रिटेन में हमारे वकील की सलाह से उसका नाम प्रतिवादियों की नामावली से हटा दिया गया है।

(ग) अभी मामले का आरम्भ है और न्यायालय में सुनवाई में कुछ समय लगेगा।

†**श्री कामत :** क्या सरकार को विदित है कि मि० क्लीमिन्सन और मि० पाटर नामक दो अंग्रेजों ने 'ऐन्टीमिस्टेन्ट' के साथ पहिले सौदे में जो भाग लिया है वह कम महत्व का नहीं ; और यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उन्हें इस अभियोग में प्रतिवादी बनाने का है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (डा० काटजू) :** सरकार को जो सलाह मिली थी, उस पर उसने कार्यवाही की है तथा दावा केवल उन सह-प्रतिवादियों पर किया जा सकता है जिन पर अभियोग चलाया गया है।

†**श्री कामत :** * * * * * * * *

†**अध्यक्ष महोदय :** इसका उत्तर देने की आवश्यकता नही है क्योंकि माननीय सदस्य ने पूछा था कि इन व्यक्तियों को प्रतिवादी क्यों नहीं बनाया गया तथा माननीय मंत्री ने उत्तर दिया कि उन्होंने विधि संबंधी सलाह पर कार्यवाही की। वहां प्रश्न समाप्त हो जाता है। हम कोई और बात ले रहे हैं। अतः यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में।

**अध्यक्ष के आदेशानुसार ये शब्द निकाल दिये गये।

†**श्री कामत :** क्या सरकार का विचार इन दो अंग्रेजों को इस अभियोग में प्रतिवादी बनाने के औचित्य या आवश्यकता के बारे मे अपने विधि संबंधी सलाहकारों से सलाह लेने का है ?

†**डा० काटजू :** मैं इस प्रश्न की पूर्व सूचना चाहता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय :** पहिला प्रश्न जिसके संबंध में मैंने कहा था कि यह इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता, कार्यवाही के विवरण से निकाल दिया जायेगा।

†**श्री कामत :** किस कारण ?

†**अध्यक्ष महोदय :** क्योंकि यह असंगत है।

†**श्री कामत :** क्या नियमों में असंगत प्रश्नों को विवरण से निकालने का उपबन्ध है? उनमें विभिन्न वर्ग हैं जैसे अपमानजनक, अभद्र, असंसदीय, आदि तथा नियमों में और किसी वर्ग का उपबन्ध नहीं है। इस प्रकार, प्रश्न पूछना असंभव हो जायेगा।

†**अध्यक्ष महोदय :** मुझे असंगत प्रश्न की अनुमति नहीं देनी चाहिए। सभा में किसी भी असंगत प्रश्न की अनुमति नहीं दी जायगी। यदि यह ग्राह्य होने से पहिले मेरे पास प्रश्न के रूप में आता है, तो मैं इसे असंगत प्रश्न के रूप अनियंत्रित कर सकता था और वह सभा में पूछा जाता। परन्तु जहां तक सभा में पूछे जाने वाले प्रश्नों का सम्बन्ध है, माननीय सदस्य का प्रश्न सुनने तक मैं यह नहीं जानता कि वे असंगत हैं या नहीं। अतः मैं उसे सुनने तक प्रतीक्षा करता हूं और फिर उसे असंगत प्रश्न के रूप में नियमविरुद्ध घोषित कर देता हूं। परन्तु, यदि इसके अनिरिक्त कि प्रश्न असंगत ही नहीं है अपितु उसमें कटाक्ष और बहुत सी अन्य बातें हों, तो यह कार्यवाही के विवरण में नहीं होना चाहिए तथा मैं इसे निकाल दूंगा। असंगत मामलों के लिए अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। परन्तु, यदि किसी प्रश्न को असंगत प्रश्न के रूप में अनुमति नहीं दी जाती तो हम उसे नहीं निकालते। हम कहते हैं, कि यह रह सकता है ; कोई बात नहीं। परन्तु इस विशिष्ट मामले में उन्होंने इसे केवल कटाक्ष करने के प्रयोजन से अन्य प्रश्न के साथ मिला दिया है। यदि यह केवल असंगत है तो मैं इसे रहने दूंगा। परन्तु यदि प्रश्न का उद्देश्य केवल कटाक्ष करना हो, तो मैं विवरण को गंदा करने के लिये इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

†**श्री हीं० ना० मुकर्जी :** श्रीमान्, एक औचित्य का प्रश्न है। आपने जो कहा है यह उससे उत्पन्न होता है। मैं समझता हूं कि अभी आपने अपना निश्चय नहीं किया है। आपने यह विनिर्णय दिया प्रतीत होता है कि असंगति एक ऐसा कारण है जिसके आधार पर आप यह निर्दोष दे सकते हैं कि विशिष्ट बात निकाल दी जाये। आपने इसके समर्थन में कहा है कि क्योंकि आप असंगति के आधार पर प्रश्न नियम-विरुद्ध ठहरा सकते हैं ; इसलिए आप उस विशिष्ट बात को अभिलेख से निकालने के लिए भी कह सकते हैं। परन्तु संसद् की कार्यवाही इस प्रकार की होती है कि सदस्यों को वे बातें कहने का अधिकार है जो, यदि असंगत मानी जायें तो अध्यक्ष उन्हें असंगत कह सकता है तथा उनका अभिलेख उचित ढंग से रखा जाना चाहिए।

मेरा निवेदन है कि सभी संसदीय कार्यवाहियों की यही प्रथा है। जिस प्रकार की कार्यवाहियों का सुझाव आपने दिया है उस से वास्तव में संसदीय संस्थाओं की खिल्ली उड़ाना होगा। इसीलिये मैं कहता हूं कि जो कुछ आपने कहा है उस पर आप पुर्नविचार करें। मुझे विश्वास है कि आपने काफी सोच विचार कर ऐसा नहीं कहा है।

†**अध्यक्ष महोदय :** जहां तक श्री मुकर्जी का सम्बन्ध है, उन्हें 'खिल्ली' तथा अन्य ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिये था। वास्तव में प्रत्येक सदस्य को भिन्न मत रखने का अधिकार है। निश्चय ही यदि इसकी और अधिक जांच पड़ताल करने की आवश्यकता हुई तो मै इसकी जांच करूंगा। जहां तक इसका संबंध है कि भविष्य में प्रश्न विशेष जो असंगति के आधार पर अस्वीकृत हो जाते हैं उनको रेकार्ड से हटा देना चाहिये या नहीं, इसके बारे में मैं यह नहीं कहता कि यह अन्तिम

---

†मूल अंग्रेजी में।

निर्णय है। जब तक में प्रश्न न सुन लूं तब तक कुछ निश्चय नहीं कर सकता और केवल उसके पश्चात् ही में उसे असंगत घोषित कर सकता हूं। जब प्रश्न पूछा जाता है तो सभा केवल उसे सुनती है और रेकार्ड करने की अनुमति दे देती है। यह कहना सही नहीं है कि ऐसा पूछना वर्जित होने पर भी बाद में उसे निकाल देने का मुझे अधिकार नही है। मैं श्री मुकर्जी की बात मानने के लिये तैयार नहीं हूं। मैं इसकी जांच करूंगा। किन्तु जहां तक श्री कामत के प्रश्न का संबंध है, वह केवल असंगत ही नहीं है अपितु उसमें कटाक्ष भी किये गये है और इसी कारण में उसे रेकार्ड से निकाल देता हूं।

†**श्री कामत :** इस प्रश्न विशेष के बारे में कि उसमें कटाक्ष किया गया है आपने यह जो कुछ कहा मैं उसका अत्यधिक विरोध करता हूं। मैंने तथ्य संबंधी प्रश्न पूछा था और उसमें कटाक्ष नहीं किया गया है। श्रीमान्, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपके पूर्वगामी ने, जो इस उच्च पद पर थे, अनेक बार यह निर्णय दिया था कि ऐसे प्रश्न असंगत और नियम बाह्य हैं किन्तु उन्होंने यह निर्णय कभी नहीं दिया की उन्हें निकल दिया जाय। अतः मैं श्री मुकर्जी की बात की पुनरावृत्ति करके कहता हूं कि केवल खिल्ली ही नहीं उड़ाई जाती अपितु कार्यवाहियां प्रहसन का रुप धारण करती जा रही है।

श्री पांडे यह हंसने की बात नहीं है। यह संसद है या कुछ और ?

†**श्री ही० ना० मुकर्जी :** मैंने श्री कामत का प्रश्न सुना और हम सब की यह धारणा बनी कि वह इस बारे में जानकारी चाहते हैं कि क्या लेख्य उन लोगों के बारे में जारी किये गये है जिनके बारे में उसके पास स्पष्ट लिखित प्रमाण मौजूद हैं। माननीय मंत्री अस्वीकार कर सकते हैं अथवा यह कह सकते हैं कि वह पूर्व सूचना चाहते हैं। मैं नहीं समझता कि आप इसका यह निर्वचना किस प्रकार करते हैं। कि यह अंग्रेज जाति अथवा कुछ विशेष व्यक्तियों पर आक्षेप किया गया है जिनके नाम बताने से पहले उन्हींने श्री लगाया। उन्होंने उनके नाम उचित रूप से बताये और वह केवल जानकारी चाहते थे। इसीलिये मैं निवेदन करता हूं कि प्रश्न इस प्रकार का था जिसमें कटाक्ष किया गया है, यह विनिर्णय देते समय आप इस पर पुनर्विचार कर लें।

†**अध्यक्ष महोदय :** जहां तक इस प्रश्न का संबंध है कि जिस प्रश्न को मैंने असंगत ठहराया है उसे निकाल देने का मुझे अधिकार है अथवा नहीं, इस विषय पर मैं पुनर्विचार करूंगा। किन्तु जहां तक इन कटाक्षों का संबंध है, मैं कहता हूं कि श्री मुकर्जी या तो इसे समझ नहीं सके हैं या मुझे लगता है कि वह पूर्ण रुपेण नहीं समझ सके हैं। मैं यह समझा था श्री कामत के अनुसार कि प्रश्न यह पता लगाने के लिये पूछा गया था कि दो व्यक्ति जो प्रारम्भिक प्रश्न में इससे सम्बन्धित थे वे प्रतिवादी क्यों नहीं बनाये गये। माननीय मंत्री ने इस का यह उत्तर दिया था कि विधिक सम्मति पर उन्हें प्रतिवादी नहीं बनाया जा सका।

अगला प्रश्न यह था कि क्या यह सच है कि ब्रिटेन छोड़ देने के पश्चात् दो अन्य व्यक्ति भी गये और तत्पश्चात् गायब हो गये क के जाने और अन्य लोगों के गायब होने में क्या संबंध है? जहां तक इस प्रश्न का संबंध है, यह स्पष्ट है कि माननीय मंत्री ने कहा कि दो और व्यक्ति प्रतिवादी नहीं बनाये जा सके। यह विधिक सम्मति है। इन परिस्थितियों में दूसरा प्रश्न केवल उन दो व्यक्तियों को घसीटने के प्रयोजन से पूछा गया जिनका इससे कोई मतलब नहीं और जिनका किसी अन्य उत्तर-दायी व्यक्ति से संबंध जोड़ा भी नहीं जा सकता। यह कहना कि यह व्यक्ति गया और गया भी केवल उन लोगों को बचाने के प्रयोजन से जिनका इस प्रश्न से कोई संबंध नहीं था। अतः मैं अपना यह विनिर्णय वापस नहीं लेता कि माननीय मंत्री के उत्तर के पश्चात् कटाक्ष का प्रश्न जो रखा गया है सर्वथा असंगत है।

†**श्री कामत :** एक औचित्य प्रश्न....

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं काफी सुन चुका हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री कामत :** एक औचित्य प्रश्न है, श्रीमान् । यह महाशय जिनका उल्लेख आपने श्री क के रूप में किया है उसका प्रश्न इस लिये उत्पन्न होता है क्योंकि दो व्यक्ति ग़ायब हो गये । उसने ऐण्टीमिस्टैण्ट से जिसमें वे.... पहला सौदा किया था....

†**अध्यक्ष महोदय :** यह प्रश्न इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री कामत :** पांच वर्ष वीते जब स्वयं आपने इस मामले की जांच की थी और अब इस पद पर हो कर आप सरकार का समर्थन कर रहे है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** हम प्रश्न से दूर होते जा रहे हैं ।

†**श्री कामत :** और सरकार ने आपके प्रतिवेदन को दबा दिया है :

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** माननीय सदस्य कृपया बैठ जायें ।

†**श्री कामत :** मैं नहीं चाहता कि मंत्री मुझसे बैठ जाने के लिये कहें ; वे शान्त रहें और चुप-चाप हो कर बैठ जायें ।

राज्य भाषा आयोग

*८२. **श्री भक्त दर्शन :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री ९ अप्रैल, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या १२६९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज भाषा आयोग ने अपना कार्य पूरा कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उसके प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ;

(ग) आयोग द्वारा की गयी सिफारिशों के संबंध में सरकार ने क्या निर्णय किया है; और

(घ) यदि प्रतिवेदन अभी तक नहीं दिया गया है, तो आयोग ने अब तक कितनी प्रगति की है और उसका प्रतिवेदन कब तक प्राप्त होने की आशा है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार) : (क) से (ख). आशा है कि आयोग ३१ जुलाई, १९५६ तक अपना कार्य समाप्त करके रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगा । कृपया संविधान के अनुच्छेद ३४४ के खण्ड (४), (५) तथा (६) की ओर ध्यान दें जिसमें आयोग के रिपोर्ट प्रस्तुत कर देने के बाद की प्रक्रिया दी हुई है ।

श्री भक्त दर्शन : क्या यह सत्य है कि इस आयोग के सदस्यों में से तीन सदस्यों ने अपनी यह अन्तिम राय दे दी है कि हिन्दी किसी भी समय और किसी भी दशा में भारतीय संघ शासन की राज भाषा नहीं बननी चाहिये और यदि यह सत्य है तो मैं जानना चाहता हूं कि इस प्रकार की मनो-वृत्ति वाले सदस्यों को इस आयोग का सदस्य क्यों नियुक्त किया गया था ?

श्री दातार : यह सब प्रिमैच्यार है । प्रस्तावित रिपोर्ट अभी तक नहीं मिली है और रिपोर्ट मिलने के बाद ये सब चीजें गवर्नमेंट को मालूम होंगी ।

श्री भक्त दर्शन: क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जब यह रिपोर्ट राष्ट्रपति जी के हाथों में पहुँच जायेगी, उसके बाद क्या प्रणाली अपनाई जाएगी ? क्या केन्द्रीय सरकार स्वयं इस पर निर्णय करेगी या सम्बन्धित राज्य सरकारों से परामर्श किया जायेगा या कोई और कारवाई की जाएगी ?

श्री दातार : जो प्रणाली अपनाई जानी है उसका ब्योरा संविधान में दिया गया है । रिपोर्ट मिलने के बाद पार्लियामेंट की कमेटी की नियुक्त होगी और पार्लियामेंट का मत ले कर सरकार जरूर सब काम करेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री वीरस्वामी :** क्या यह सच नहीं कि सरकारी भाषा आयोग का देश में अनेक स्थानों पर बाइकाट किया गया था और क्या उन लोगों के विचारों पर सरकार विचार करेगी जिन्होंने आयोग का बाइकाट किया था ?

†**श्री दातार :** मेरे मित्र का कहना बिल्कुल गलत है। उसका बाइकाट नहीं किया गया था; वरन् दक्षिण तक में उसका बड़े उत्साह से स्वागत किया गया था।

†**श्री अ० म० थामस :** आयोग के बहुमत का विचार बताने वाला समाचार कुछ समाचार पत्रों में छपा था। क्या सरकार ने उसकी सत्यता अथवा असत्यता की कोई जांच की है ? क्या सरकार को इस बात का पता है कि देश के कुछ भागों में इस समाचार से बड़ी अशान्ति फैली है ?

†**श्री दातार :** मैं बताना चाहता हूं कि अशान्ति की कोई बात नहीं है। समाचार पत्रों में कई बार पूर्व कल्पित बातें छाप दी जाती हैं जो बहुत बार गलत होती हैं। अतः मैं निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य ऐसे समाचारों को किसी प्रकार का महत्व न दें।

प्रशासकीय सतर्कता (विजिलैंस) डिवीजन

†***८३. पंडित द्वा० ना० तिवारी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रशासकीय सतर्कता डिवीज़न ने १९५६ में सरकारी रुपये और भाण्डारों के ग़बन के कितने मामलों का पता लगाया ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार) :** सरकारी रुपये और भाण्डारों के मामलों का पता लगाना और जांच पड़ताल करना विशेष पुलिस संस्थापन का काम है और विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों के सतर्कता एककों के कार्य का सामान्य रुप से निरीक्षण और समन्वय प्रशासनीय सतर्कता डिवीज़न द्वारा किया जाता है। ३० जून, १९५६ तक प्राप्त रिपोर्टों से पता लगता है कि १९५६ में सरकारी रुपये और भाण्डारों के ग़बन के ४८ मामलों का पता लगाया गया था।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी :** कुल कितनी राशि का ग़बन किया गया होगा ?

†**श्री दातार :** ग़बन की कुल राशि ५ लाख रुपये के लगभग है।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी :** इसमें कितने पदाधिकारियों का हाथ है और वे अभी सेवा में हैं अथवा मुअत्तल कर दिये गये हैं ?

†**श्री दातार :** यह अलग-अलग मामलों पर निर्भर करता है। पांच छः राजपत्रिक पदाधिकारी इन से सम्बाधित हैं। अभियोग आरम्भ हो गये हैं और जांच की जा रही है।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी :** क्या उनमें से किसी को मुअत्तल किया गया है अथवा वे कार्य कर रहे हैं और जांच हो रही है ?

†**श्री दातार :** जहां कहीं आवश्यक समझा गया पदाधिकारियों को मुअत्तिल किया गया है।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि क्या इनमें से किसी पदाधिकारी को मुअत्तिल किया गया है।

†**श्री दातार :** मुझे पता नहीं है।

†**श्री वें० प० नायर :** क्या उनकी पदोन्नति हुई है ?

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी :** क्या सरकार यह महसूस करती है कि जब ये पदाधिकारी इन पदों पर कार्य करते हैं तो उस साक्ष्य को नष्ट करने की सम्भावना नहीं है ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री दातार :** सरकार इस बात को ध्यान में रखती है और जब कभी वह देखती है कि जब तक पदाधिकारी काम करता रहेगा तब तक भली प्रकार जांच नहीं की जा सकती तो सामान्यतः उसको मुअत्तिल कर दिया जाता है अथवा कहीं स्थानान्तरण कर दिया जाता है।

हिन्दी का प्रचार

†*८५. **श्री मादिया गौडा :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने १९५६ में अब तक अहिन्दी-भाषी क्षेत्रों में हिन्दी के प्रचार के लिये कोई विशेष कार्यवाही की है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस कार्य के लिये कितनी राशि रखी गई है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबंध संख्या २३**]

(ग) १३०.० लाख रुपये।

†**श्री मादिया गौडा :** विवरण के पैरा १ और २ में उल्लिखित २,५०० मूल शब्द के तैयार करने का उत्तरदायित्व किन किन व्यक्तियों पर है और क्या अहिन्दी भाषी क्षेत्र हिन्दी विशेषज्ञ भी इन मूल शब्दों को बनाने का उत्तरदायीं है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** मैं पूर्व सूचना चाहता हूं।

†**श्री मादिया गौडा :** क्या अहिन्दी-भाषी क्षेत्रों में हिन्दी का प्रचार करने वाली स्वयंसेवी संस्थाओं को प्रोत्साहन देने की कोई योजना तैयार की गई है; और यदि हां, तो यह कार्य कहां तक और किस प्रकार किया जा रहा है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** स्वयंसेवी संस्थाओं को सहायता देने की योजनायें भारत सरकार के पास हैं और वह हिन्दी का प्रचार करने वाली ऐसी संस्थाओं को अनुदान देती रही है।

†**श्री मादिया गौडा :** अनुदान की राशि क्या है ? कितनी संस्थाओं को अनुदान दिया गया था ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** वह एक लम्बी चौड़ी सूची है। यदि माननीय सदस्य इसमें दिलचस्पी रखते हों तो मैं उसका विवरण सभा-पटल पर रख दूंगा।

†**श्री मादिया गौडा :** विवरण में उल्लिखित हिन्दी शिक्षा समिति के सदस्य कौन-कौन से लोग हैं और उन्होंने इस मास की ५ तारीख को हुई अपनी बैठक में क्या सिफारिशें की है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** मैं हिन्दी शिक्षा समिति के विधान की एक प्रति सभा-पटल पर रख दूंगा। जिसमें अहिन्दी भाषाभाषी क्षेत्रों के प्रतिनिधियों तथा अन्य सदस्यों के नाम दिये हुए हैं। मैं सदस्यों के नामों की सूची भी सभा-पटल पर रख दूंगा।

विदेशी शासकों की मूर्तियां

†*८६. **श्री ही० ना० मुकर्जी :** क्या **शिक्षा** मंत्री ९ अप्रैल, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १२६८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सार्वजनिक स्थानों में स्थापित विदेशी शासकों आदि की मूर्तियों के संबंध में तबसे कोई निर्णय किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)**: विदेशी शासकों आदि की मूर्तियां हटाने का प्रश्न सम्बन्धित राज्य सरकारों से सम्बन्ध रखता है। भारत सरकार ने बम्बई, मद्रास और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों को यह सुझाव दिया है कि वे ब्रिटिश काल के संग्रहालयों की स्थापना करें जिनमें इन मूर्तियों आदि की रक्षा की जा सकती है। पश्चिमी बंगाल सरकार ने स्वयं ही यह सुझाव दिया है कि मूर्तियां आदि विक्टोरिया स्मारक हाल, कलकत्ता में रखी जा सकती हैं।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : क्या सरकार ने कोई ऐसी अन्तिम तारीख निश्चित कर रखी है जिससे पूर्व विदेशी शासकों की सारी मूर्तियां और चित्र जैसे कि राज भवन में हैं और जिनसे हमारे पहले वाले अपमान का विज्ञापन होता है, संग्रहालयों अथवा अन्य स्थानों में रख दिये जायेंगे ?

†**डा० म० मो०दास** : मैं माननीय सदस्य को सूचित करना चाहता हूं कि इन मूर्तियों को हटाने का काम राज्य सरकार का है। केन्द्रीय सरकार को यह अधिकार नहीं कि वह कोई अन्तिम तारीख तय कर दे। उन्हें सुझाव दिया जा सकता है कि वे यह कार्यवाही कर सकती हैं।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : नई दिल्ली और राष्ट्रपति भवन की मूर्तियों और चित्रों को हटाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है जो प्रत्यक्षत: केन्द्र के अधीन है ?

†**डा० म० मो० दास** : मैं कह चुका हूं कि आन्ध्र, मद्रास, बम्बई, उत्तर प्रदेश और बंगाल इन पांच राज्यों में मूर्तियां अधिक थीं।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह स्पष्ट है कि माननीय मंत्री इस प्रश्न को भली भांति नहीं सुन सके। माननीया सदस्या यह जानना चाहती थी कि राज्यों की मूर्तियां के संबंध में जिनका संबंध राज्यों से है, चाहे जो कुछ भी हुआ हो किन्तु नई दिल्ली के संसद भवन और राष्ट्रपति भवन आदि में मूर्तियां हैं उनके बारे में क्या हुआ है। विशेष प्रश्न तो यह है।

†**डा० म० मो० दास** : जो सूचना यहां दी गई है उसमें इस बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। मैं पूर्व सूचना चाहता हूं।

†**श्री म० ला० द्विवेदी** : अभी उपमंत्री महोदय ने बताया है कि स्टैचुज़ (मूर्त्तियां) को हटाने का काम राज्य सरकारों का है। मैं यह जानना चाहता हूं कि केन्द्र द्वारा शासित जो हिस्से हैं, उनके संबंध में सरकार की क्या नीति है ?

†**डा० म० मो० दास** : मैं अभी कह चुका हूं कि मैं पूर्व सूचना चाहता हूं।

†**डा० राम सुभग सिंह** : एक औचित्य प्रश्न है, श्रीमान्। प्रश्न के बारे में हमें निश्चित उत्तर दिया जाना चाहिये और मंत्री से जानकारी बताने के लिये कहा जाना चाहिये।

†**श्री म० ला० द्विवेदी** : मेरा निवेदन है कि यह जानकारी कल प्रश्न-काल में दी जा सकती है।

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति। प्रश्न काफ़ी विशद है किन्तु माननीय मंत्री ने इसे केवल राज्यों तक सीमित रखा है।

प्रश्न इस प्रकार है :

"क्या सार्वजनिक स्थानों में स्थापित विदेशी शासकों आदि की मूर्तियों के सम्बन्ध में तब से कोई निर्णय किया गया है।"

अत: यह सामान्य रुप में है चाहे वह राज्य हो अथवा केन्द्र। क्या तारांकित प्रश्न संख्या १२६८, जिसका उल्लेख यहां किया गया है, राज्यों की मूर्तियों के बारे में हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**डा० म० मो० दास :** यह प्रश्न केन्द्रीय सरकार के सम्मुख उन राज्यों के कहने पर आय जिन्होंने कुछ सक्रिय कार्यवाही करने का प्रयत्न किया था।

†**अध्यक्ष महोदय :** केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है ? वह कुछ कर रही है या नहीं ?

†**डा० म० मो० दास :** मैं पूर्व सूचना चाहता था, श्रीमान्।

कुष्ट रोग

†*८८. **श्री झूलन सिंह :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के नियमों के अन्तर्गत देश की कुष्ट रोग निवारक संस्थाओं को कुष्ट रोग की रोक थाम तथा निवारण के लिये अनुदान देने की अनुमति है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की संस्थाओं पर राज्यवार खर्च किये गये धन की राशि क्या है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) हां, विरोध परिस्थितियों में।

(ख) अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबंध संख्या २४**]

†**श्री झूलन सिंह :** वह विशेष परिस्थितियां क्या हैं जो किसी संस्था को इस प्रकार के अनुदान प्राप्त करने के योग्य बनाती है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड आम तौर पर कोढ़ियों के पुर्नवास के लिये इन संस्थाओं को अनुदान देती है। स्वास्थ्य मंत्रालय कोढ़ियों के इलाज और सामान्य देख-भाल के लिये अनुदान देता रहा है। बोर्ड का संबंध मुख्यत: पुनर्वास से ही है परन्तु अन्य उद्देश्यों और कार्यो के लिये अनुदान दिये जाते है।

†**श्री झूलन सिंह :** क्या विवरण में दिये गये आँकड़ों का विभिन्न राज्यों में कुष्ट रोग के आपात से कोई अनुपात है।

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** नहीं श्रीमान्, अनुदान तो विभिन्न राज्यों से प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर उनकी आवश्यकता के अनुसार दिये जाते है। प्रत्येक राज्य के लिये कोई विशेष अभ्यंश निश्चित नहीं है।

†**डा० रामा राव :** अनुदानों का तो किसी भी मंत्रालय से स्वागत किया जाता है। मैं जानना चाहता हूं कि शिक्षा मंत्रालय किस प्रकार किसी संस्था को कुष्ट रोग के निवारण के लिये उपचार कर सकने की योग्यता का निर्णय करता है।

क्या इससे दूसरे मंत्रालयों के काम में हस्तक्षेप नहीं होता है और क्या इस से अनावश्यक उलझनें पैदा नहीं होती है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** शायद माननीय सदस्य इस बात को जानते हैं कि इस प्रकार के अनुदानों का प्रबंध समाज कल्याण बोर्ड द्वारा किया जाता है, और बोर्ड का एक प्रमुख काम समाज सेवा के क्षेत्रों में विभिन्न मंत्रालयों के कार्यों का सहयोजन करता है। इस दृष्टि कोण से यह ठीक ही है कि वह ऐसी संस्थाओं को अनुदान दे जो कि कोढ़ियों की देख भाल का काम कर रही है। इससे काम का कोई दुहरान नहीं होता है।

---

†मूल अंग्रजी में।

अभियोगाधीन बंदी

†*९०. **श्री रिशांग किशिंग:** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर जेल में अभियोगाधीन कैदियों की संख्या और उनके जेल में बन्द किये जाने की तिथियां क्या है ; और

(ख) उनके मामलों का शीघ्र निपटारा करन के लिये राज्य सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किये जाने कि प्रस्थापना की गई है।

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार):** (क) १५ जुलाई, १९५६ को मनीपुर राज्य जेल में २३ विचाराधीन कैदी थे। वे १२ अक्तूबर से लेकर ३ जुलाई के बीच विभिन्न तिथियों को जेल में आये थे।

(ख) राज्य सरकार इन मामलों के शीघ्र निपटाये जाने की वांछनीयता के प्रति सचेत है और इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

त्रिपुरा में भुखमरी से मृत्यु

†*९१. **श्री बीरेन दत्त :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा की राज्य सरकार ने जून १९५६ में त्रिपुरा के विभिन्न भागों में भुखमरी से हुई मौतों सम्बन्धी रिपोर्ट की पुष्टि कर दी है ;

(ख) क्या त्रिपुरा की सरकार द्वारा इस संबंध में कुछ सहायता कार्य किये गये हैं :

(ग) जून, १९५६ में कितने लोगों ने काम की मांग की ; और

(घ) त्रिपुरा सरकार द्वारा जिन लोगों को नौकरियां दी गई उनकी संख्या क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार) : (क) नहीं।

(ख) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। परन्तु त्रिपुरा में आयी हाल ही की बाढ़ों के सम्बन्ध में, केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार द्वारा कुछ सहायता कार्यों का प्रबन्ध किया गया है जिसका ब्योरा लोक-सभा पटल पर रखे विवरण में दिया गया है। [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २५**]

(ग) इस संबंध में कोई सूचना प्राप्त नहीं हैं क्यों कि कोई आकड़े नही रखे गये थे।

(घ) लगभग ३५००० व्यक्तियों को बाढ़ रक्षा कार्यों में नौकरी पर लगाया गया।

†**श्री बीरेन दत्त :** क्या त्रिपुरा परामर्श दाता समिति के सदस्य भुखमरी के मामलों के संबंध में गृहमंत्री से चर्चा करने दिल्ली आये थे ?

†**श्री दातार :** मुझे व्यक्तिगत तौर पर इस संबंध में कोई सूचना नहीं है।

†**श्री बीरेन दत्त :** क्या मैं जान सकता हूं कि त्रिपुरा परामर्शदाता परिषद् द्वारा वहां की खाद्य स्थिति और ग्रामों में विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में भुखमरी से हो रही मौतों के सम्बन्ध में जारी किये गये वक्तव्य को त्रिपुरा सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार के ध्यान में लाया गया है।

†**श्री दातार :** मुझे ऐसे किसी वक्तव्य का पता नहीं है। परन्तु माननीय सदस्य देखेंगे कि हम काफी बडी मात्रा में सहायता दे रहे है, जिसका विस्तृत ब्योरा सदन के समक्ष प्रस्तुत किये गये विवरण में दिया गया है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** जब परामर्श दाता समिति किसी परिणाम पर पहुंचती है तो क्या वह निर्णय या मत केन्द्रीय सरकार के पास भेजे जाते है ताकि सरकार को उनकी राय का पता चल सके ?

---

†मूल अंग्रजी में।

†**श्री दातार :** मैंने जो कुछ कहा था वह यह था कि मुझे इस बात का पता नहीं कि परामर्श-दाता समिति दिल्ली आयी थी या नहीं। प्राप्त प्रश्न का जहां तक संबंध है, यह सत्य है कि जब भी कभी परामर्श समिति कोई मत प्रकट करती है तो उस पर बड़े आदर पूर्वक विचार किया जाता है और यथासंभव उसके अनुसार कार्य भी किया जाता है।

†**अध्यक्ष महोदय :** वह यह जानना चाहती है कि क्या उसकी राय केन्द्रीय सरकार को भेजी जाती है।

†**श्री दातार :** जब यह समझा जाता है कि नीति सम्बन्धी मामले अन्तर्ग्रस्त हैं तो वे हमें भेजी जाती है, नहीं तो मुख्य आयुक्त ही उनके सम्बन्ध में कार्यवाही करता है।

†**श्री बीरेन दत्त :** क्या इस प्रकार का कोई प्रबन्ध किया गया है कि ऐसे व्यक्तियों को जो प्रभावित क्षेत्रों में काम करने को इच्छुक हो, भरती किया जाये ?

†**श्री दातार :** मैं आम तौर पर यह कहता हूं कि ऐसे अवसरों पर गैर-सरकारी संस्थाओं की सहायता प्राप्त की जाती है।

बुद्ध जयन्ती

†*९२. **श्री कृष्णाचार्य जोशी :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में सरकारी निमन्त्रण पर २५०० वीं बुद्ध जयन्ती महोत्सव के अवसर पर कितनी विदेशी विभूतियों ने भाग लिया ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास):** २३ और २४ मई को भारत सरकार द्वारा दिल्ली में आयोजित समारोह के संबंध में, विदेशी मिशनों से सम्बन्धित १७६ व्यक्तियों को निमन्त्रण दिये गये थे। लगभग ४० स्वीकृतियां तो २३ मई को हुए स्मृति स्मारक के शिलान्यास समारोह के लिये प्राप्त हुई थीं, और ७० स्वीकृतियां २४ को होने वाली सार्वजनिक सभा के लिए प्राप्त हुई थीं। अनुमान यही है कि जिन्होंने निमन्त्रण स्वीकार करने की सूचना दी थी उन्होंने समारोह में भाग भी लिया था।

भारत के बाहर किसी भी व्यक्ति को निमन्त्रण नहीं भेजा गया था।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी :** क्या मैं जान सकता हूं कि इस समारोह पर कुल कितना खर्चा हुआ ?

†**डा० म० मो० दास :** स्मृति स्मारक के शिलान्यास समारोह पर कुल खर्चा रुपये १८८५-२-३ और २४ को हुई सार्वजनिक सभा पर रुपये ४१८६-१०-३ खर्च हुए, दिल्ली नगरपालिका द्वारा किया गया खर्च इसके अतिरिक्त है।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी :** आगामी नवम्बर में हो रहे समारोह में कितनी विदेशी विभूतियों को निमन्त्रण दिया जायेगा ?

†**डा० म० मो० दास :** सूची अभी अन्तिम रूप से तैयार नहीं की गयी है।

†**श्री तेलकीकर :** क्या मैं उन स्थानों के नाम जान सकता हूं जहां जहां पर भारत में बुद्ध जयन्ती मनाई गयी ?

†**डा० म० मो० दास :** श्रीमान् जी, अपनी स्मृति के आधार पर मैं कह सकता हूं कि हमने सभी राज्य सरकारों को बुद्ध जयन्ती समारोह मनाने का आदेश भेजा था।

---

†मूल अंग्रेजी में।

तेल की खोज

†*९३. **श्री मु० ला० अग्रवाल :** क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेल की खोज के भू-भौतिकीय उपायों में अल्पकालीन प्रशिक्षण देने के लिये विज्ञान-स्नातकों को भरती किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कितने स्नातकों को ;

(ग) उन्हें किस के द्वारा और किस प्रकार से चुना गया है; और

(घ) उन्हें किन निर्बन्धनों पर इस काम पर लगाया गया है ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) से (घ). तेल तथा प्राकृतिक गैस निदेशालय में शिक्षार्थी भू-भौतिकीय व्यक्तियों के ७७ स्थानों के लिये संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन दिया गया था और वह आयोग उनकी इन्टरव्यू ले रहा है। निर्वाचित अभ्यर्थी चार मास तक प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। प्रशिक्षण को सफलता पूर्वक पूर्ण करने के बाद उन्हें तेल तथा प्राकृतिक गैस निदेशालय में ३५०–८५० रुपये प्रतिमास के लघु स्केल में भू-भौतिकीय स्थान पर नियुक्त कर दिया जायेगा। प्रशिक्षण काल के दौरान में उन्हें २५० रुपये प्रति मास के हिसाब से छात्र-वृत्ति दी जायेगी।

†**श्री मु० ला० अग्रवाल :** यह प्रशिक्षण कहां पर दिया जायेगा ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** यह प्रशिक्षण एक स्कूल में दिया जायेगा जो कि कुछ एक दिनों में ही कलकत्ता में खुलने वाला है।

श्रीमती कमलेन्दुमति शाह : क्या मैं जान सकती हुं कि ज्वालामुखी के पास जो तेल की खोज की जा रही थी उसका क्या हुआ ? और क्या इसी तरह और पहाड़ी इलाकों में भी तेल की खोज की जायेगी या नहीं ?

श्री के० दे०मालवीय : इस का इस प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है, लेकिन मैं माननीया सदस्या की जानकारी के लिये कहना चाहता हूं कि ज्वालामुखी में तो खोज जारी है, और आसपास जहां कहीं भी हमारे वैज्ञानिक लोग कहेंगे कि तेल की खोज की जाये, वहां हम तेल की खोज करेंगे।

†**श्री भागवत झा आजाद :** संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जिन ७७ अभ्यर्थियों को भरती करने का विचार है उनके द्वारा हमारी कुल आवश्यकता का कितना प्रतिशत भाग पूरा होगा ? और क्या विशेष प्रयोजनों के लिये आवश्यक कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के बारे में सरकार के पास कोई योजना है ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** सर्वप्रथम हम भूतत्व वेत्ताओं के ८ दल और भू-भौतिकीय वेत्ताओं के १३ दल संगठित कर रहे हैं। ये ७७ प्रशिक्षार्थी भूतत्ववेत्ता और भू-भौतिकीय वेत्ता इन दलों के लिये पर्याप्त होंगे। उन्हें काम सोंपने के बाद जब काम बढ़ गया तो उस समय आवश्यकताओं के अनुसार हमें और अधिक व्यक्ति भरती करने पड़ेंगे।

†**श्री जोकीम आल्वा :** उन नवयुवकों को प्रशिक्षण देने के बारे में तेल समवायों ने क्या सहयोग देने का प्रस्ताव किया है ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी है कि हाल ही में स्टैंडर्ड वैक्कुम आयल समवाय ने यह स्वीकार कर लिया है कि वह इन प्रशिक्षणार्थियों के लिये सैद्धान्तिक भाषण देने के लिये अपने देश से कुछ एक वरिष्ट प्रविधिक भेजें ।

---

†मूल अंग्रेजी में।

खनिज अनुसंधान

†*९६. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार हिमालय पर्वत में खनिजों का अनुसंधान और बर्फ के तोदों का अध्ययन करना चाहती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उस सम्बन्ध में योजना तैयार हो गयी है ; और

(ग) ये अनुसंधान कब प्रारम्भ होंगे ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) से (ग). वस्तुस्थिति पर प्रकाश डालनेवाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २६**]

†**डा० राम सुभग सिंह** : वर्तमान कार्यक्रम के अनुसार हिमालय पर्वत में खनिज संसाधनों के अनुसंधान और बर्फ के तोदों का अध्ययन कब तक पूरा हो जायेगा ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : भारतीय भूतत्वीय परिमाप विभाग ने इस वर्ष हिमालय के बर्फ के तोदों का सर्वेक्षण करने का काम संभाल लिया है और यह अनुसंधान संभवतः अगले वर्ष तक जारी रहे। ये अनुसंधान अन्तर्राष्ट्रीय भू-भौतिकीय समिति की सिफारिशों के अनुसार किये जा रहे हैं। गत वर्षों में भी भूतत्वीय परिमाप द्वारा लाहौल, गढ़वाल, कुमायुं, सिक्किम आदि के क्षेत्रों में बर्फ के तोदों का अध्ययन किया जाता रहा है। हमारे पास उन सभी स्थानों के प्रतिवेदन हैं और यह काम संभवतः अगले साल भी जारी रहेगा।

श्री भक्त दर्शन : इस विवरण से ज्ञात होता है कि इस वक्त चार दल हिमालय के विभिन्न इलाकों में जांच पड़ताल के लिये भेजे गये हैं, और अगले वर्ष भी कुछ दल भेजे जाने वाले हैं। क्या गवर्नमेण्ट इस बात पर विचार कर रही है कि क्योंकि यह बहुत बड़ा कार्य है इसलिये इसके लिए एक स्थायी संगठन या गवेषणा केन्द्र स्थापित किया जाये ?

श्री के० दे० मालवीय: गवर्नमेंट यह जरूरी नहीं समझती कि इस के लिए कोई अलग से संस्था कायम की जाये। जिआलाजीकल सर्वे आफ इंडिया की जो शाखायें खोली जा रही हैं उन्हीं के अन्तर्गत इन एक्सपिडीशन्स का संगठन किया जा रहा है। अभी जो श्रीनगर में जिआलाजीकल सर्वे आफ इंडिया की ब्रांच खोली गयी है उसी के अन्तर्गत मचोई ग्लेशियर के अनुसंधान के लिये लोग भेजे गये हैं। जब जब इस तरह की जरूरत होगी हम जिआलाजीकल सर्वे आफ इंडिया की मातहती में इस तरह के एक्सपिडीशन्स भेजा करेंगे।

भारतीय वायु सेना

*९७. **श्री रा० न० सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय वायु सेना के लिये हाल ही में खरीदे गये दो विमानों की कीमत क्या है ;

(ख) इन विमानों की मुख्य विशेषतायें क्या है ;

(ग) ये विमान किस देश से खरीदे गये हैं ; और

(घ) १९५२ से अब तक वायु सेना द्वारा विशेष उपकरणों सहित कितने विमान खरीदे गये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) से (ग). सम्भवतः इस प्रश्न का अभिप्राय उन दो वाइकाउण्ट विमानों से है जो वायु सेना मुख्यालय के यातायात स्क्वेड्रन के लिये हाल ही में लगभग ६४ लाख रुपये की लागत से यूनाइटेड-किंगडम से खरीदे गये हैं। ये ४ टरबो प्रोप इंजनों वाले यात्री वाहक विमान हैं।

(घ) यह जन हित में न होगा कि यह सूचना दी जाय।

†**श्री जोकीम आल्वा** : क्या भारतीय वायुबल के लिये उपकरणों की योजना बनाते समय और विमान खरीदते समय सरकार ने इस तथ्य को ध्यान में रखा है कि जुलाई, १९५७ तक अमेरिका की सहायता से पाकिस्तान एशिया में संख्या तथा गुण प्रकार की दृष्टि से बहुत अधिक वायुबल प्राप्त कर लेगा ?

†**सरदार मजीठिया** : वह प्रश्न यहां उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री गि० श० सिंह** : क्या माननीय मंत्री बता सकते हैं कि फालतू पुर्जों के अभाव के कारण ये दो विमान कितनी बार काम पर न जा सके थे ?

†**सरदार मजीठिया** : वे कभी भी काम से रुके नहीं हैं। जैसा माननीय सदस्य को ज्ञात है एक विमान पर तो हमारे प्रधान मंत्री ने हाल ही में सारे यूरोप का दौरा किया है।

दिल्ली में बम विस्फोट

†***९८. श्री राधा रमण** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २२ और २३ जून, १९५६ को दिल्ली की जामा मसजिद के निकट दो देसी बमों का विस्फोट हुआ था ; और

(ख) क्या पुलिस उन विस्फोटों के बारे में जांच करने में सफल हुई है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)**: (क) जी हां। एक २१ जून को और दूसरा २२ जून को हुआ था।

(ख) जांच अभी हो रही है।

†**श्री राधा रमण** : इन विस्फोटों में कितने व्यक्ति आहुत हुए हैं और क्या पुलिस द्वारा कोई गिरफ्तारी की गयी है ?

†**श्री दातार** : प्रथम विस्फोट में १२ व्यक्तियों को मामूली सी चोटें आई हैं और दूसरे में ५ व्यक्तियों को चोटें आई हैं। मेरे पास प्राप्त जानकारी से यह प्रतीत होता है कि अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, अभी जांच हो रही है।

†**श्री राधा रमण** : सरकार जांच के पूरी होने तथा प्रतिवेदन के गृहकार्य मंत्रालय को कब तक दिए जाने की आशा करती है ?

†**श्री दातार** : आशा है कि जांच का प्रतिवेदन कुछ एक सप्ताह में प्राप्त हो जायेगा।

†**श्री ब० स० मूर्ति** : क्या जांच करते समय पुलिस को कुछ और देसी बम भी मिले हैं ?

†**श्री दातार** : विशेषज्ञों की यह राय प्राप्त हुई है कि जिन चीजों का विस्फोट हुआ है वे बम नहीं थे; वे बड़े फटाके थे।

---

†मूल अंग्रेजी में।

भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास

†*९९. **श्रीमती कमलेन्दुमति शाह :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दोनों गढ़वालों के भूतपूर्व सैनिकों को पुनः बसाने के लिये सरकार द्वारा कोई सामान्य अथवा विशेष योजना बनायी गयी है ;

(ख) यदि हां, तो उन क्षेत्रों में कितने भूतपूर्व सैनिकों को लाभ पहुंचेगे ; और

(ग) इस योजना के अधीन वास्तविक क्या काम किया गया है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) :** (क) दोनों गढ़वालों के भूतपूर्व सैनिकों को पुनः बसाने के लिये भारत सरकार द्वारा कोई भी सामान्य अथवा विशेष योजना नहीं बनायी गयी है। पुनर्वास सम्बन्धी सभी सुविधाएं जैसे सरकारी अथवा गैर-सरकारी निकायों में नौकरी देने में प्राथमिकता देना, भूमि बस्तियों में बसाना, यातायात सहकारी संस्थाएं बनाने में सहायता देना, व्यावसायिक तथा प्राविधिक प्रशिक्षण आदि जो कि सामान्य रूप से स्थायी भूतपूर्व सैनिकों को उपलब्ध हैं, दोनों गढ़वालों के भूतपूर्व सैनिकों को भी उपलब्ध हैं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**श्रीमती कमलेन्दुमति शाह :** १९५५–५६ में भूतपूर्व सैनिकों के लिये कितने परिवारों को यह सहायता दी गयी है और उस से कितने परिवारों को लाभ हुआ है ?

†**सरदार मजीठिया :** किस सम्बन्ध में दी गयी सहायता ?

†**श्रीमती कमलेन्दुमति शाह :** मैं यह जानना चाहती हूँ कि क्या दोनों गढ़वालों में भूतपूर्व सैनिकों के परिवारों को कोई सहायता दी गयी है ?

†**सरदार मजीठिया :** इस प्रश्न का सम्बन्ध पुनर्वास से है। यदि माननीय सदस्या चाहती हैं...

†**श्रीमती कमलेन्दुमति शाह :** मैं यह जानना चाहती हूं कि उन्हें पुनर्वास तथा स्कूल सम्बन्धी क्या सहायता दी गयी है ?

†**सरदार मजीठिया :** मैं आपको थोड़ा सा बता सकता हूं। उदाहरणार्थ, उत्तर प्रदेश सरकार ने, युद्धोत्तर पुनर्रचना निधियों से, अफजलगढ़ और मानगढ़ की बस्तियों में बसे हुए प्रति एक व्यक्ति के लिये ५०० रुपये का ऋण दिया था जो कि बाद में अनुदान के रूप में बदल दिया गया था। उसके अतिरिक्त अन्य सहायतायें भी तदर्थ अनुदानों के रूप में अवश्य दी गयी होंगी। यदि माननीय सदस्या किसी विशेष प्रश्न के बारे में नोटिस देंगी तो उसका उत्तर मैं अवश्य दूंगा।

†**श्रीमती कमलेन्दुमति शाह :** उस निधि में कितना धन था और अब कितना शेष बचा है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न काल समाप्त हो गया है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

प्रशासकीय कर्मचारी कालिज, हैदराबाद

†*७०. **श्री त० ब० विठ्ठलराव :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हैदराबाद (दक्षिण) में प्रशासनीय कर्मचारी कालिज के कब से प्रारम्भ होने की संभावना है ;

(ख) प्रशिक्षण की कितनी अवधि होगी ;

---

†मूल अंग्रेजी में।

(ग) कितने प्रशिक्षणार्थियों को दाखिल किया जायेगा ; और

(घ) दाखिले के लिये किस न्यूनतम शिक्षा अर्हता की आवश्यकता होगी ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) आवास स्थान, शिक्षकों आदि का प्रबन्ध होते ही कालिज अपना कार्य प्रारम्भ कर देगा।

(ख) हमारा यह विचार है कि प्रत्येक पाठ्यक्रम की अवधि तीन मास हो। प्रतिवर्ष इस प्रकार के तीन पाठ्यक्रम हुआ करेंगे।

(ग) कालिज के लिये यह योजना बनाई जा रही है कि प्रति कोरस में ६० व्यक्ति हों।

(घ) कोई भी न्यूनतम शिक्षा-अर्हता निर्धारित नहीं की गयी है, परन्तु यह आवश्यक है कि अभ्यर्थियों ने १०-१५ वर्ष तक किसी भी उद्योग में, वाणिज्य में, किसी सरकारी विभाग में या किन्हीं सामाजिक सेवाओं में किसी उत्तरदायी पद पर काम किया हो। और फिर यह शर्त भी है कि वे इस पाठ्यक्रम के लिये अपने अपने नियोजकों द्वारा भेजे गये हों।

भारत में अवैध प्रवेश

†*७५. **श्री दी० चं० शर्मा : क्या गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ फरवरी, १९५६ से लेकर जून, १९५६ के अन्त तक भारत पाकिस्तान सीमा पर वैध यात्रा पत्रों के बिना ही यदि कोई व्यक्ति अवैध रूप से भारत में प्रवेश करते हुए पकड़े गये हैं तो उनकी संख्या कितनी है ;

(ख) कितने व्यक्तियों को अपराधी ठहराया गया है ; और

(ग) ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी कैद की अवधि के बाद पाकिस्तान जाने से इन्कार कर दिया है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (ग). जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

भाखड़ा के निकट तेल के स्थान

†*७७. **श्री साधन गुप्त : क्या प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक तेल धारी स्थान उस क्षेत्र के पास पाया गया है जो कि नदी के बीच में डूब जायेगा जब कि भाखड़ा बांध पूरा हो जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो उन तेल के संसाधनों में अनुमानतः क्या क्या पाया जा सकता है ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) भाखड़ा जलाशय के पास के क्षेत्र में एक अशोधित एन्टीक्लाइनल स्थान पाया गया है। इस समय ऐसे कोई आंकड़े नहीं हैं जो बतायें कि वहां पर कोई तेल विद्यमान है।

(ख) यदि उसमें कोई तेल हुआ भी तो वह भूभौतिकीय खोज तथा भूमिछेदन आदि बड़े भारी कामों के बाद प्राप्त किया जा सकेगा।

भूमि में धंसता हुवा गांव

†*७९. **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री विश्वनाथ राय :

क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत और तिब्बत की सीमा पर स्थित अलमोड़ा जिले का एक

---

†मूल अंग्रेजी में।

गंभ भूतत्वीय कारणों से भूमि में धंस रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)**: (क) और (ख). भारत के भूतत्वीय परिमाप को उत्तर प्रदेश सरकार से इस सम्बन्ध में एक प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। मौसम के ठीक होते ही इसकी शीघ्रतिशीघ्र जांच की जायेगी।

तेल

†*८१. **श्री नम्बियार** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का कावेरी नदी क्षेत्र के तेल संसाधनों की खोज करने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो कब ; और

(ग) इस खोज के विचार के कारण क्या हैं ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग). खोज का काम द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि के लिये कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। इस क्षेत्र में समुद्रीय उद्गम की तलछट संबंधी चहानें हैं जो कि प्रायः तेल के लिये सोल-चट्टानें होती हैं परन्तु उनकी मोटाई, विस्तार और संरचना संबंधी ऐसे मामले हैं जिनकी अभी जांच हो जायेगी।

हिन्दी में पुस्तकों का अनुवाद

*८४. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३० जून, १९५६ तक भारत की विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं और विदेशी भाषाओं की कौन-कौन सी पुस्तकों का हिन्दी में अनुवाद किया जा चुका है ;

(ख) इनके अनुवाद में कुल कितना धन व्यय हुआ है ;

(ग) क्या इन अनूदित पुस्तकों को "बिना लाभ-बिना घाटे" के आधार पर बेचने के लिये सरकार ने कोई योजना बनायी है ; और

(घ) यदि हां, तो इस योजना के कब तक कार्यान्वित किये जाने की संभावना है ?

शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास): (क) से (घ). यह जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

भारत-जापान सांस्कृतिक करार

†*८७. **श्री राम कृष्ण** : क्या **शिक्षा** मंत्री २१ मई, १९५६ को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या २३७२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रस्तावित भारत-जापान सांस्कृतिक करार अब तय किया जा चुका है और उस पर हस्ताक्षर हो चुके हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी प्रमुख विशेषतायें क्या हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

पॉलीटैकनिक तथा व्यावसाईक संस्थाएं

†*८९. **डा० सत्यवादी** : क्या **शिक्षा** मंत्री १७ अप्रैल, १९५६ को पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या १०९३ के उत्तर के संबंध में लोक-सभा पटल पर रखे गए विवरण को देखने तथा यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पॉलीटैकनिक तथा व्यावसायिक संस्थाओं में दाखले के लिये अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के संबंध में क्या कुछ जगहों को रक्षित किया जाता है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या है ;

(ग) यदि (ख) भाग का उत्तर हां में है तो उम्मीदवारों का चुनाव किस प्रकार किया जाता है और कौन करता है ; और

(घ) चुनाव के लिये व्यवस्थापन मे अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के हित का प्रतिनिधित्व किस प्रकार होता है।

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** :(क) से (घ). लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गई है। [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबंध संख्या २७**]

आसाम में तेल के कुएं

†*९४. **श्री बोगावत** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम में नाहारकाटिया के तेल के कुओं में से आने वाले २० वर्षों में प्रतिवर्ष १० लाख टन तेल प्राप्त करना सम्भव है ;

(ख) आसाम में और भारत के अन्य भागों में तेल के कुओं की संख्या कितनी है ; और

(ग) जिन अन्य कुओं की खोज की जा रही है उन में से कितनी मात्रा में तेल मिलने की आशा है ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) आसाम ऑयल कम्पनी के विचारानुसार ऐसी सम्भावना है।

(ख) तथा (ग). अब तक आसाम के डिगबोई क्षेत्र में १,०००; नाहारकाटिया में १३ तथा हुगरीजन और मोरान में २ कुएं खोदे जा चुके हैं। इन में से इस समय डिगबोई में लगभग ५८० और नाहोरकाटिया में ९ कुओं में से अपरिष्कृत तेल प्राप्त हो रहा है। भारत में अन्य किसी स्थान पर कुएं नहीं हैं। जिन क्षेत्रों में प्रारम्भिक खोज का कार्य अभी किया जा रहा है वहां से कितनी मात्रा में तेल मिल सकेगा इसका प्राक्कलन बताना अभी संभव नहीं है।

प्राचीन पांडुलिपियां

†*९५. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बनाने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५६–५७ में प्राचीन पाण्डुलिपियों के संग्रह तथा परीक्षण के लिए कितनी रकम की स्वीकृति दी गई है और;

(ख) इस दिशा में किए गए कार्य का परिणाम क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) तथा (ख). १९५६–५७ में १३-७-१९५६ तक १९ पाण्डुलिपियों के अर्जन के लिये ६८५ रुपये मंजूर किए गए हैं।

सरकारी कर्मचारीयों का स्थायीकरण

†*१००. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री २१ मई, १९५६ को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या २३७१ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पर्यालोकित किया है कि अस्थायी पदों के ८० प्रतिशत भाग को स्थायी पदों में परिवर्तित करने के संबंध में ३० नवम्बर, १९५५ को जारी किए गए आदेशों का विभिन्न मंत्रालयों तथा सम्बद्ध कार्यालयों द्वारा पालन किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो कितने मामलों में आदेशों का पालन नहीं किया गया है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)**: (क) तथा (ख). यह प्रशासी मंत्रालयों का काम है कि वे जहां तक आवश्यक हों अपनी स्थायी आवश्यकताओं और साथ ही अपने सम्बन्ध कार्यालयों तथा अधीनस्थ कार्यालयों की आवश्यकताओं का पुनर्विलोकन करें और अस्थायी पदों के ८० प्रतिशत भाग की सीमा के अधीन रहते हुए अस्थायी पदों के एक अनुपात को स्थायी पदों में परिवर्तित कर दें।

एच टी-२ वायुयान

†*१०१. **श्री जेठालाल जोशी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६ वर्ष की अवधि में हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड द्वारा एच टी–२ प्रकार के कुल कितने वायुयानों का निर्माण हुआ है ; और

(ख) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उसके विस्तार के लिए कोई योजना है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)**: (क) १७ (सत्रह)।

(ख) जी हां, रूपांक तथा निर्माण दोनों ही दिशाओं में कारखाने का विकास करने का विचार है।

भारतीय प्रशासन सेवा आपातिक भर्ती

†*१०२. **श्री भीखा भाई** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें बताया जाये कि :

(क) भारतीय प्रशासन सेवा की आपातिक भर्ती संबंधी परीक्षा के लिये संघ लोक सेवा आयोग को कुल कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं ;

(ख) राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के कुल कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, राज्य वार पृथक पृथक आंकड़े बताये जायें ; और

(ग) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के सेवा कर रहे और सेवा न कर रहे दोनों प्रकार के उम्मीदवारों के कुल कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) भारत में रहनेवाले उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त होने की अन्तिम तिथि ७ जुलाई, १९५६ थी और उस तिथि तक २२,१७६ आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। लन्दन में उम्मीदवारों से आवेदन पत्र प्राप्त होने की अन्तिम तिथि २१ जुलाई, १९५६ है और विदेश में परिक्षण के अन्य केन्द्रों में उम्मीदवारों से १७ अगस्त, १९५६ तक आवेदन पत्र प्राप्त हो सकते हैं।

(ख) तथा (ग). जानकारी एकत्रित की जा रहा है और यथासम्भव शीघ्र ही अपेक्षित जानकारी का एक विवरण लोक-सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

इन्स्टीट्यूट आफ सिटी एण्ड गिल्डस (लंदन) इंजीनियरिंग प्रमाणपत्र

†*१०३. **श्री बहादुर सिंह :** क्या **शिक्षा** मंत्री ४ अप्रैल, १९५६ को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या ११८७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "इन्स्टीटचूट ऑफ सिटी एण्ड गिल्डस, लन्दन के इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्रैक्टिस में फाइनल ग्रेड सर्टीफिकेट" को "डिग्री इन इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग" के बराबर न मानने के संबंध में अब कोई निर्णय हो चुका है ;

(ख) इन्स्टीटचूट ऑफ सिटी एण्ड गिल्डस, लन्दन के इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्रैक्टिस में फाइनल ग्रेड सर्टीफिकेट के लिये इस संस्था के पाठ्यक्रमों में कुल कितने विषय पढ़ाये जाते हैं ; और

(ग) इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त करने के लिये कुल कितने विषय पढ़ाये जाते हैं ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) से (ग). लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गई है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबंध संख्या २८]**

त्रावनकोर-कोचीन चक्रवात

†*१०४. **श्री अय्युण्णि :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में त्रावणकोर-कोचीन राज्य में भारी वर्षा के साथ एक चक्रवात आया था ;

(ख) यदि हां, तो इसका प्रभाव कितने गांवों पर हुआ था ; और

(ग) मकानों के गिरने तथा पेड़ों के टूटने आदि से कितनी हानि हुई थी ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी हां, १३ जून, १९५६ को चक्रवात आया था।

(ख) १५।

(ग) लगभग २ लाख रुपये।

पश्चिमी बंगाल में तेल की खोज

†*१०५. **डा० रामा राव :** क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी बंगाल में अनुसंधान करने तथा तेल की खोज के कार्य को शीघ्रता से करने के लिये एक प्रविधिक पदाधिकारी नियुक्त किया गया है,

(ख) यदि हां, तो क्या उसने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ;

(ग) उसकी सिफारिशों या सुझावों पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) उनके अनुसन्धान की प्रमुख बातें क्या हैं ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी नहीं, परन्तु उस क्षेत्र में क्रियाकारी तेल समवाय के साथ सम्पर्क बनाए रखने के लिये एक सम्पर्क पदाधिकारी नियुक्त किया गया है।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

वित्त मंत्री की जापान यात्रा

†*१०६. **श्री वोडयार :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जापान के वित्त मंत्री ने उन्हें जापान यात्रा के लिए निमंत्रित किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या निमन्त्रण स्वीकार कर लिया गया है ; और

(ग) यात्रा का उद्देश्य क्या है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) :** (क) जी हां।

(ख) अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है।

(ग) जापान के वित्त मंत्री से जो निमंत्रण प्राप्त हुआ है उसमें कोई विशिष्ट उद्देश्य उल्लिखित नहीं है।

पंजाब को अनुदान

†*१०७. **श्री भागवत झा आजाद :**
श्री राम कृष्ण :

क्या **वित्त** मंत्री २५ मई, १९५६ को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या २५१५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने अनुत्पादी व्यय के लिए अग्रेतर अनुदान के संबंध में प्रार्थना की है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी रकम मांगी है?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत):** (क) तथा (ख). जी हां। १ करोड़ रुपये का प्रसादतः अनुदान देने के निर्णय की पंजाब सरकार को सूचना की गई थी और उसके बाद पंजाब सरकार ने लगभग ५·६५ करोड़ रुपये के अपने अनुत्पादी व्यय के लिये अग्रेतर अनुदान के लिये प्रार्थना की थी।

उच्च टेकनालॉजिकल संस्था, उत्तरी खंड

†*१०८. **श्री त० ब० विट्ठलराव :**
श्रीमती कमलेंदुमति शाह :

क्या **शिक्षा** मंत्री २८ फरवरी, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ३०९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरी खंड के लिये उच्च टेकनालॉजिकल संस्था स्थापित करने के लिये कानपुर मे कोई स्थान चुना गया है; और

(ख) इसमें दाखले कब से प्रारम्भ होगा ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास) :** (क) अभी नहीं।

(ख) यह विचार किया गया है कि यह संस्था द्वितीय योजना अवधि के पिछले अद्धाँश में स्थापित की जाये।

भारतीय प्राचीन ग्रंथो का अनुवाद

†*१०९. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **शिक्षा** मंत्री ७ मार्च, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ५३९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने भारतीय प्राचीन ग्रंथो का अब तक विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है; और

---

†मूल अंग्रेजी में।

(ख) कितने ऐसे ग्रंथो का अनुवाद किया जा रहा है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) पांच।

(ख) आंठ।

नौवहन सेवा

†*११०. **श्री साधन गुप्त** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत से अंदमान और निकोबर तथा उस द्वीप समूह के अन्य द्वीपों में नौवहन सेवा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां तो उसका क्या विवरण है ; और

(ग) उक्त प्रस्तावों के क्रियान्वित होने पर भारत और इन द्वीपों के बीच कितनी बार जहाज चला करेंगे ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी हां।

(ख) भारत तथा इन द्वीपों के मध्य जहांज चलने के लिये एस० एस० महाराजा के स्थान पर एक अन्य पोत खरीद गया ह। उसे शीघ्र ही सेवा में लगाया जायेगा। एक अन्य पोत हिन्दुस्तान शिपयार्ड में बन रहा है और वह फरवरी, १९५७ तक तैयार हो जायेगा।

एक पोत अन्तरद्वीपीय सेवाओं के लिये भी खरीदा गया है। वह भी शीघ्र सेवा में लगाया जायेगा। पंचवर्षीय अवधि के दौरान इस सेवा के लिये एक अन्य पोत खरीदने का विचार किया जा रहा है।

(ग) विशाखापट्नम् में जो पोत बन रहा है उसके समाप्त होने पर भारत तथा द्वीपों के बीच प्रतिवर्ष ३६ बार पोत चला करेगा।

थोडी बचत

†*१११. **श्री डाभी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में थोड़ी बचत आन्दोलन को सफल बनाने के लिये सरकार ग्रामीण क्षेत्रमें डाक खानों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि करना चाहती है ;

(ख) क्या सरकार पोस्टल सेविंग बैंको में जमा की गई राशी पर व्याज की दर बढ़ाने चाहती है ; और

(ग) यदि हां, तो प्रस्तावित वृध्दि की विशेष बातें क्या है ?

†**राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अ० चं० गुह)**: (क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में डाक सुविधायों में पर्याप्त वृद्धि करने का विचार किया गया हैं इस से इन क्षेत्रों में अल्प बचत आन्दोलन को भी सहायता मिलेगा ।

(ख) पोस्टल सेविंग बैंक के निक्षेपों की राशि पर दी जाने वाली व्याज की दर धन बाजार की स्थिति के अनुसार होती है और इस दर की बाजार की स्थिति के अनुसार समय समय पर पुनरीक्षण किया जाता है।

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान मे लगभग २०,००० डाकखाने खोले जायेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में।

त्रावनकोर-कोचीन राज्य परिवहन विभाग

†*११२. **श्री कामत :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रावनकोर-कोचीन के राज्य परिवहन विभाग ने कुछ समाचार पत्रों के व्यवस्थापकों के साथ ऐसा पारस्परिक समझौता किया है कि वे मुफ्त विज्ञापन छापने के ऐवज में उनके समाचार पत्रों का मुफ्त परिवहन करेंगे।

(ख) यदि हां तो ऐसे समाचार पत्रों के क्या नाम है और इस व्यवस्था की निर्बन्धन तथा शर्तें क्या है ;

(ग) क्या इस व्यवस्था को जारी रखने का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार) :** (क) जी हां ।

(ख) लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २९**] ।

(ग) और (घ). वर्तमान व्यवस्था को समाप्त करने पर विचार किया जा रहा है ।

असैनिक स्कूल-अध्यापक

*११३. **श्री भक्त दर्शन :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री २३ फरवरी, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या १९० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि तब से और कितने असैनिक (सिविलियन) स्कूल-अध्यापकों को अन्य रोजगारों पर लगाया जा चुका है और कितने अब भी बेरोजगार हैं ?

प्रतिरक्षा मत्री (डा० काटजू) : यह सूचना एकत्रित की जा रही है, और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

सैनिक शिक्षा

†*११५. **डा० सत्यवादी :** क्या **शिक्षा** मंत्री लोक-सभा पटल पर यह दिखाने वाला एक विवरण रखेंगे जिस में यह दिखाया गया हो कि भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों में कितने युवक और युवतियां सैनिक शिक्षा प्राप्त कर रही है ; और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस प्रयोजन के लिये सरकार द्वारा विश्वविद्यालयों को वित्तीय अथवा अन्य प्रकार की सहायता दी जाती है; और

(ख) यदि हां, तो उसके विवरण क्या हैं ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास) :** जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं है; एकत्र होने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

इंजीनियरिंग रिसर्च इन्स्टीट्यूट, कलकत्ता

†*११६. **श्री विभूति मिश्र :** क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वैज्ञानिक इंजीनियरिंग के गवेषणा कार्य को बढाने के लिये कलकत्ता में इंजीनियरिंग रिसर्च इन्स्टिट्यूट स्थापित करने का विचार कर रही है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(ख) यदि हां, तो कब ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) और (ख). जी नहीं ।

राजकोषीय एकाधिकार

†*११७. **सरदार इकबाल सिंह :**
सरदार अकरपूरी :

क्या **वित्त** मंत्री २ मार्च, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ४१८ के उत्तर के सम्बंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तब से लोक राजस्व में वृद्धि करने की दृष्टि से, राजकोषीय एकाधिकार स्थापित करने की संभावना पर विशेषज्ञों द्वारा जांच करवाने का कोई निश्चय किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार का निश्चय किया गया है ?

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री म० च० शाह)** : (क) तथा (ख). इस सिफारिश पर अभी सक्रिय विचार किया जा रहा है ।

काम करने वाली महिलाओं के लिए होस्टैल

†*११८. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री ४ अप्रैल, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ११६१ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रिय समाज कल्याण बोर्ड के द्वारा बड़े नगरों में काम करने वाली महिलाओं के लिये छात्रावास खोलने के प्रश्न की जांच करने वाली समिति ने तब से अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या बोर्ड ने यह प्रतिवेदन स्वीकार कर लिया है ;

(ग) इस योजना के अधीन कितने छात्रावास स्थापित करने का विचार है ; और

(घ) इनमें कुल कितना व्यय हुआ ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) जी हां ।

(ख) बोर्ड ने प्रतिवेदन को कुछ परिवर्तनों के साथ स्वीकार कर लिया है ।

(ग) और (घ). बोर्ड छात्रावास खोलने का विचार नहीं कर रही है लेकिन वे इस प्रयोजन के लिये स्वेच्छापूर्वक मांगने वाली संस्थाओं को अनुदान देगी । इसलिये स्थापित किये जाने वाले छात्रावासों की संख्या अथवा उनका मूल्य बताना संभव नहीं है ।

खनिज मंत्रणा बोर्ड

†*११९. **श्री मादिया गौडा** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खनिज परामर्शदाता बोर्ड ने, बंगलोर में अपनी हाल में हुई बैठक में, बंगलोर अथवा उसके निकट एक प्रशिक्षण केन्द्र खोलने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो सरकार इस मामले में क्या कार्यवाही कर रही है ; और

(ग) उक्त प्रशिक्षण केन्द्र पर कितना व्यय होगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). उक्त बात को ध्यान में रखते हुए इस मामले को अधिक नहीं बढ़ाया गया ।

विशेष पुलिस संस्थापन

†*१२०. **श्री बोगावत** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५५ और १९५६ में अब तक विशेष पुलिस संस्थान द्वारा भ्रष्टाचार और गैर कानूनी भेंट इत्यादि के कितने मामले पकड़े गये तथा इन मामलों में कितने व्यक्ति शामिल थे ;

(ख) कितने व्यक्तियों को दंड दिया गया और किस प्रकार का दंड दिया गया ; और

(ग) इसमें कितने गजेटेड पदाधिकारी शामिल थे तथा १९५५ और १९५६ में कितना जुर्माना वसूल किया गया ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी तथा संगत विवरण देने वाला एक विवरण लोक-सभा के पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबंध संख्या ३०**]

अनुसूचित आदिम माती और अनुसूचित जाति कल्याण मंत्रणा बोर्ड

†*१२१. **श्री भीखा भाई** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री २१ अप्रैल, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १६३५ के उत्तर के सम्बंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तब से अनुसूचित आदिम जाति और अनुसूचित जाति कल्याण मंत्रणा बोर्ड बन गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके सदस्यों के क्या नाम है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी हां ।

(ख) इन बोर्डों के निर्माण के संबंध में १२-७-१९५६ को जारी हुई दो संकल्पों की प्रति-लिपियां लोक-सभा के पटल पर रखी जाती है । [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबंध संख्या ३१**]

भारत का राज्य बैंक

†*१२२. **श्री वोडयार** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के राज्य बैंक के अध्यक्ष, मंत्री और एक सदस्य ने त्यागपत्र दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है ?

†**राजस्व और प्रतिरक्षा मंत्री (श्री अ० चं० गुह)**: (क) भारत के राज्य बैंक के अध्यक्ष ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है और उन्होंने यह इच्छा प्रकट की है की उनका पदत्याग सितम्बर, १९५६ के अन्तसे समझा जाय ।

बैंक के मंत्री का ज़िक्र करते हुए अनुमानत: माननीय सदस्य के ध्यानमें भारत के राज्य के एक प्रबंधक निदेशक श्री एम०के०हांडू—जिनके पदत्याग के संबंध में समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित हुई थी—रहे होंगे । यह ज्ञात हुआ है कि उन्होंने बैंक के केन्द्रिय बोर्ड को अपने पद की समाप्त के लिये तीन महिने का नोटिस दिया है और यह प्रार्थना की है कि उसे वह १ अक्तूबर, १९५६ से पदनि-वृत्ति के पूर्व अवकाश ले सकेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

सरकार को निदेशकों के बोर्ड के किसी सदस्य द्वारा अथवा बैंक के किसी उच्च कर्मचारी द्वारा दिये गये पदत्याग का पता नहीं है।

(ख) भारत के राज्य बैंक के अध्यक्ष अथवा प्रबंधक निदेशक के पत्रों में किसी कारण का उल्लेख नहीं किया गया है।

आसाम में स्थानीय भत्ते

†*१२३. **श्री त० बें० विठ्ठल राव :** क्या **वित्त** मंत्री १७ अप्रल, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १५२९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तब से आसाम में भेजी गई स्थानीय भत्तों क संबंध में मौके पर जांच करने वाले दल का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उसकी परीक्षा कर ली गई है ; और

(ग) किस प्रकार का निर्णय किया गया है ?

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री म० च० शाह) :** (क) जी हां।

(ख) प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों पर सरकार सक्रियता से विचार कर रही है।

(ग) यह प्रश्न इस क्रमस्थिति पर उत्पन्न नहीं होता है। कुछ भी हो। निकट भविष्य में सरकारी आदेशों के जारी होंने की आशा है।

तेल शोधनशाला

†*१२४. { **श्री साधन गुप्त :**
श्री वोडयार :

क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र में तेल की शोधनशाला खोलने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो कहां और कब ; और

(ग) इस उपक्रम में निजी उद्योग का कितना भाग रहेगा ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** (क) से (ग). ये विषय अभी सरकार के विचाराधीन है। आशा की जाती है कि शीघ्र ही इस संबंध में कोई न कोई निर्णय हो जायेगा।

सांश्लेषिक चावल

†*१२५. **श्री कामत :** क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि केन्द्रीय खाद्यान्न प्रौद्योगिकीय अनुसन्धान संस्था, मैसूर में सांश्लेषिक चावल उत्पन्न किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी क्या आवश्यकता है;

(ग) यह किन-किन चीजों से मिल कर बनाया गया है; और

(घ) क्या यह बेचा जायेगा तथा क्या लोग इसे खरीदने को तैयार होंगे और यह उनकी क्रय शक्ति के बाहर तो नहीं होगा ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के०दे० मालवीय) :** (क) से (घ). अपेक्षित सूचना संबंधी एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३२**]

---

†मूल अंग्रेजी में।

हिन्दी विश्वकोष

*१२६. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **शिक्षा** मंत्री ३० अप्रल, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या १८२२ के उत्तरों के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दी विश्वकोष तैयार करने के लिये काशी नागरी प्रचारिणी सभा ने जो योजना बनाई है, उसकी स्थूल रूपरेखा क्या है ; और

(ख) इस काम के लिये सरकार क्या-क्या वित्तीय तथा अन्य सहायता देना चाहती है ?

शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास) : (क) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबंध संख्या ३३**]

(ख) हिन्दी विश्वकोष तैयार करने के लिये ६.५ लाख रुपये का अनुदान देने का सरकार का विचार है। इस विश्वकोष की रूपरेखा वही होगी जिसका सुझाव भारत सरकार द्वारा नियुक्त विशेषज्ञों की समिति तथा इस कार्य के सामान्य निरीक्षण के लिये बनाये गये विशेषज्ञों के सलाहकार **बोड** ने दिया है।

तेल और प्राकृतिक गैस निदेशालय

†*१२७. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने पंजाब और पेप्सू के समस्त तेल क्षेत्रों में विधिवत् और विस्तृत रूप से तेल की खोज के लिये एक तेल और प्राकृतिक गैस निदेशालय स्थापित किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस निदेशालय का मुख्य कार्यालय कहां है ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)**: (क) पंजाब तथा पेप्सू सहीत भारत की समस्त तेल हटियों में तेल और प्राकृतिक निकालने का काम गैस बृहत् रूप से प्रारम्भ करने के लिये तेल तथा प्राकृतिक गैस निदेशालय स्थापित किया गया है।

(ख) देहरादून।

अनुसचित आदिम जातियां

†*१२८. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५–५६ में अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण के लिये पंजाब में विकास योजनाओं में केन्द्रिय सरकार द्वारा स्वीकृत अनुदान में से कितनी रकम खर्च की गई ;

(ख) क्या उसमें से कुछ राशि व्ययगत हो गई ;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण है ;

(घ) १९५४–५५ में कितनी रकम व्ययगत हुई ; और

(ड़) क्या यह रकम बाद में कल्याणकारी योजनाओं के लिये उपलब्ध कराई गई थी ?

†**गृह कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) ५,१५,९३९ रुपये।

(ख) जी हां।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(ग) लाहौल और स्पिति के अनुसूचित क्षेत्रों में काम करने का मौसम बहुत दिनों तक रहता है। अतः इस समय में अधिक काम करना संभव नहीं है। १९५५ में लाहौल और स्पिति क्षेत्रों में अक्तुबर के प्रारंभ में बहुत बर्फ गिरी और दरे बन्द हो गये। अतः निश्चित समय से भी पहले काम बन्द करना पड़ा।

(घ) ३,१७,१६७।

(ङ) नहीं।

विज्ञान मन्दिर

†६०. **श्री राम कृष्ण**: क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब और पेप्सू में विज्ञान मंदिर स्थापित किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) उन पर कुल कितना व्यय हुआ ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)**: (क) से (ग). जी नहीं।

तेल की खोज

†६१. **श्री राम कृष्ण**: क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री २१ मई, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २३७४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल की खोज के कार्य क लिये विभिन्न विश्वविद्यालयों के स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के विश्वविद्यालयवार कितने आवेदन पत्र आये ; और

(ख) उन में से छांटे गये विद्यार्थियों के क्या नाम हैं ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री क०दे० मालवीय)**: (क) सभी ओर से कुल मिलाकर १,४३३ आवेदन पत्र, संघ लोग सेवा आयोग के पास सहायक भूतत्वज्ञों तथा भूभौतिकी विज्ञों के स्थानों के लिये आये थे। आम तौर से विश्वविद्यालयों से आये हुए आवेदन पत्रों को अलग नहीं छांटा जाता और इस समय जो इन्टरव्यू हो रहे हैं उन को देखते हुए ऐसे काम में जो समय और श्रम लगेगा वह मांगी गई सूचना के अनुपात विशेष लाभप्रद नहीं होगा।

(ख) अभी उन को छांटने का काम पूरा नहीं हुआ है।

राज्य बचत परिषदें

†६२. **श्री राम कृष्ण** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सब राज्यों में राज्य बचत परिषदें बन गई हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो जहां वे नहीं बनी हैं उन राज्यों के क्या नाम है ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अ० चं० गुह)** : (क) और (ख). मुझे पता नहीं कि बचत परिषदों से माननीय सदस्य का क्या अभिप्राय है । हमारे संगठन में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। यदि वे मंत्रणा समितियों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारा उत्तर यह है कि अभी कुछ राज्यों में वे नहीं बनी है और जहां बनी है उन राज्यों के नाम ये हैं :—

१. आसाम
२. मध्य-प्रदेश
३. उड़ीसा
४. आंध्र
५. हैदराबाद
६. मध्य भारत
७. सौराष्ट्र
८. त्रावनकोर-कोचीन
९. राजस्थान
१०. दिल्ली
११. विंध्यप्रदेश
१२. बिहार

संगीत नाटक अकादमी

†**६३. डा० सत्यवादी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५६–५७म संगीत नाटक अकादमी द्वारा विभिन्न संस्थाओं को आर्थिक सहायता की कितनी रकम दीये जाने का प्रस्ताव हैं ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)**: १९५६–५७ के लिये संगीत नाटक अकादमी द्वारा विभिन्न संस्थाओं को अनुदान के लिये २,३६,००० रुपये का बजट उपबन्ध किया गया है ।

बुनियादी और प्रशिक्षण स्कूल

†**६४. श्री राम कृष्ण** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में राज्यवार कितने बुनियादी और अध्यापक-प्रशिक्षण स्कूल खोले जायेंगे ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : सूचना अभी उपलब्ध नहीं है, और सब राज्य सरकारों से विस्तृत ब्योरा प्राप्त होने पर ही दी जा सकती है ।

त्रावणकोर-कोचीन में मंत्रणा समितियां

†**६५. श्री अ० क० गोपालन** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रावनकोर-कोचीन में मार्च से जून, १९५६ तक विभिन्न स्तरों पर कितनी मंत्रणा समितियां बनाई गई ;

(ख) प्रत्येक समिति के व्यक्तियों के क्या नाम है और वे कौन कौन से दलों के व्यक्ति है ;

(ग) क्या इन समितियों के पुनर्निर्माण के लिये सरकार के पास कोई अभ्यावेदन आये हैं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(घ) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) १९ ।

(ख) समितियों का ब्योरा तथा उन का निर्माण की प्रदर्शित करने वाली एक सूची सभा-पटल पर रखी जाती है। [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३४**]

(ग) और (घ). त्रावनकोर-कोचीन सरकार के पास निम्नलिखित विषयों के बारे में अभ्यावेदन आये हैं :—

(१) न्यूनतम मजूरी मंत्रणा समिति ।

(२) बागान उद्योग समिति ।

(३) क्विलोन और कोट्टायम जिलों में सरकारी जमीनों पर निर्धन व्यक्तियों को बसाने के लिये समितियां ।

ये अभ्यावेदन राज्य सरकार के विचाराधीन हैं ।

भारतीय विमान दल की दुर्घटनाएं

†६६. **श्री दी० चं० शर्मा :**
सरदार इकबाल सिंह

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) १ मार्च, १९५६ से अब तक ऐसी कितनी दुर्घटनायें हुई जिन में भारतीय विमान दल के वायुयान ग्रस्त हुये ;

(ख) ऐसी दुर्घटनाओं के क्या कारण थे;

(ग) उन में कितने व्यक्ति मरे और कितने माल की हानि हुई;

(घ) प्रति व्यक्ति को हरजाने के रूप में कुल कितनी रकम दी गई;

(ङ) ऐसे कितने मामले हैं जिन में क्षतिपूर्ति के बार में अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है; और

(च) जिन मामलों में क्षतिपूर्ति नहीं दी गई है, उस के क्या कारण है ?

***प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी)** : (क) चार ।

(ख) तीन मामलों में चालक के निश्चय में त्रुटि और एक मामल में प्रविधक की त्रुटि ।

(ग) एक उड्डयन छात्र और तीन विमान सेना दल के अधिकारी मर गये । विमान और विमान दल के सामान की हानि १६ लाख रूपये के लगभग है ।

(घ) से (च) ऐसे मामलों में कोई क्षतिपूर्ति नहीं दी जाती है, बल्कि नियमों के अनुसार व्यक्ति की विधवा को विशेष पेन्शन और उपदान दिये जाते है और बच्चों को कुछ भत्ता दिये जाते है । यदि वह अधिकारी अविवाहित हो तो उसके माता-पिताओं, भाईयों या बहनों को निभर व्यक्ति की पेन्शन दी जाती है, यदि वे उस पर निर्भर करते हों और यदि उनकी परिस्थितियों के अनुसार ऐसा करना आवश्यक हो ।

निर्भर व्यक्ति की पेन्शन की एक मांग एक उड्डयन छात्र के पिता से प्राप्त हुई है और वह विचाराधीन है ।

एक दुर्घटना में असैनिक सम्पत्ति ो हानि पहुंचने के कारण २०० रूपये का दावा भी किया गया था और उस को चुकाने का आदेश दिया जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

†६७. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५६–५७ के वित्तीय वर्ष में विभिन्न शीर्षों के अधीन वितरण के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को कुल कितनी रकम दी गई है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास) :** १९५६–५७ के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के लिये किये गये ३.५ करोड़ के सहायक-अनुदान के बजट-उपबन्ध में से अभी तक ६३,३५,००० रुपये आयोग को केन्द्रीय विश्वविद्यालयों (दिल्ली के विश्वविद्यालय से संबंध्द कालिजों सहित) राज्य-विश्वविद्यालयों और आयोग के निजी संस्थापन व्यय पर खर्च करने के लिये दिये गये हैं।

सोना

†६८. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५४ तथा १९५५ में सोने की खानों से कुल कितनी कितनी राशि रायल्टी के रूप में प्राप्त हुई ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :**

१९५४.....२७,१८,९१५ रुपये
१९५५.....२९,७२,८८३ रुपये

समय से पूर्व बजट के प्रस्ताओं का प्रकट होना

†६९. **श्री कामत :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री १६ मई, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २२७६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बजट प्रस्तावों के रहस्योद्घाटन से संबंधित मामले की जांच में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) जिन अपराधियों पर अभियोग लगाया जा रहा है, उन अपराधियों के क्या नाम हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार) :** जांच पूरी हो चुकी है तथा शासकीय भेद अधिनियम (१९२३ का अधिनियम २९) की धारा ५के साथ भारतीय दंड संहिता की धारा १२० (ख) के अधिन ज़िलाधीश के न्यायालय में मामला दर्ज किया जा चुका है।

(ख) धर्मपाल चड्ढ़ा
फ्रान्सिस एक्सीविअर जैकोब
नन्दलाल मोरे
हीरालाल जी० कोठारी।

जम्मू तथा काश्मिर को ऋण

†७०. **श्री कामत :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री २१ मई, १९५६को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या २२६८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित जानकारी संग्रहीत की जा चुकी है ; और

(ख) यदि हां, तो वह लोक-सभा पटल पर कब रखी जायेगी ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार) :** (क) जी हां।

(ख) जानकारी अति शीघ्र लोक-सभा पटल पर रखी जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

जीवन बीमा समवाय

†७१. **श्री राम कृष्ण :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जीवन बीमा समवायों का भारत में, समवायवार कुल कितना लाभ है ?

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री म० च० शाह) :** क्योंकि जीवन बीमा समवायों का मूल्यांकन निश्चित अवधि के अंतर से होता है, इसलिये अपेक्षित जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

खनिज पदार्थों का उत्पादन

†७२. **सरदार इक़बाल सिंह :** क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५५–५६ में लौह, अयस्क, इस्पात, सोना, मैंगानीज़, तांबा तथा चांदी का भारत में कुल कितना उत्पादन हुआ ह ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय):** जानकारी दर्शीत हुए एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३५**]

दक्षिण भारत की भाषाएं

†७३. **सरदार इकबाल सिंह :**
सरदार अकरपूरी :

क्या **शिक्षा** मंत्री १५ मार्च, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ७१३ को उत्तर के संबंध में यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण भारत की भाषाओं के अध्ययन के लिये प्रत्येक विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को अब तक कितने पुरस्कार दिये गये है ;

(ख) क्या सरकार इस योजना को बढ़ाने का विचार कर रही है ; और

(ग) यदि हां, तो किस प्रकार ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास):** (क) जहां तक केन्द्रीय विश्वविद्यालयों का सम्बन्ध है, कोई नहीं ।

(ख) और (ग). विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मामलों का विचार कर रहा है ।

टेकनिकल (प्रविधिक) शिक्षा

†७४. **सरदार इकबाल सिंह :**
सरदार अकरपूरी :

क्या **शिक्षा** मंत्री २ मार्च, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ४२३ के उत्तर के सम्बंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने प्रविधिक संस्थाओं में छात्रवृत्तियों तथा प्रवेश की अन्य सुविधायों के सम्बंध में शिक्षा के केन्द्रिय मंत्रणा बोर्ड द्वारा हाल में की गयी सिफारिशों को लागू करने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास) :** तब से द्वितीय पंचवर्षीय योजना की प्रविधिक शिक्षा की छात्रवृत्तियों तथा प्रविधिक अध्ययन के लिये निःशुल्क स्थानों के केन्द्रीय क्षेत्र में ५० लाख रुपये की व्यवस्था कर दी गई है । योजना के ब्योरा तैयार किया जा रहा है । कुछ राज्य सरकारोंने भी अपनी क्षेत्र में छात्रवृत्तियों की व्यवस्था की है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

भारतीय कला प्रदर्शनीयां

†७५. **सरदार इक़बाल सिंह :**
सरदार अकरपूरी :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या, १९५० से अब तक सरकार द्वारा विदेशों में कोई भारतीय कला प्रदर्शनी आयोजित की गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो वह कौन से देश हैं ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) जी हां ।

(ख) (१) मिश्र, तुर्की, इराक, १९५१–५२ में ।
(२) चीन, जापान, अस्ट्रेलिया, १९५२ में ।
(३) अमेरिका, कनाडा, १९५३ में ।
(४) रुस, पोलैंड, जर्मनी, १९५३ में ।
(५) इटली, १९५४ में ।
(६) मिश्र, इटली, यूगोस्लाविया, लेबनान, सीरिया, इराक़ १९५४–५५ में ।
(७) बर्मा, १९५५ में ।
(८) चेकोस्लोवेकिया, हंगेरी, रुमानिया, बलगारिया, रुस, १९५५–५६ में ।

सैनिक इंजीनियरींग सेवा के कर्मचारी

†७६. **सरदार इक़बाल सिंह :**
सरदार अकरपूरी :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह दिखाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ अप्रैल, १९५६ को प्रथम श्रेणी से चतुर्थ श्रेणी तक, प्रत्येक श्रेणी में सैनिक इंजीनियरींग सेवा में कर्मचारिओं की कुल संख्या कितनी कितनी है ;

(ख) उस तिथि को, श्रेणीवार स्थाई तथा अस्थाई कर्मचारिओं की क्या संख्या है ; और

(ग) कितने अस्थाई कर्मचारिओं ने :
(१) २० वर्ष से अधिक;
(२) २० वर्ष से कम तथा १० वर्ष से अधिक ; और
(३) ३ वर्ष से अधिक तथा १० वर्ष से कम की सेवा पूरी कर ली है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (डा० काटजू)** : (क) से (ग). जानकारी एकत्रित की जा रही है तथा लोक-सभा पटल पर रखी जायेगी ।

अखिल भारतीय विधीजीवी संघ

†७७. **सरदार इकबाल सिंह :**
सरदार अकरपूरी :

क्या **विधि** मंत्री २ मार्च, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ४१६ के उत्तर के

---

†मूल अंग्रेजी में ।

संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तब से अखिल भारतीय वैधिक मण्डल के संबंध में अंतिम निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो निर्णय किस प्रकार का है।

†**विधि कार्य मंत्री (श्री पाटस्कर)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

राष्ट्रीय सेना छात्र दल शिविर

†७८. **सरदार इक़बाल सिंह :**
सरदार अकरपूरी :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६ में समाज सेवा तथा विकास कार्यों के लिये देश में अब तक कितने राष्ट्रीय सेवा छात्र दल केम्प हुए है ; और

(ख) उन्होंने क्या कार्य किये हैं ?

†**प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी)** : (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३६**]

राष्ट्रीय सेना छात्र दल

†७९. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५–५६ में राष्ट्रीय सेना छात्र दल पर राज्य सरकारों ने कुल कितनी धनराशी व्यय की है ; और

(ख) १९५६–५७ में नये केन्द्र प्रारंभ करने के लिये राज्य सरकारों ने कितनी प्रगति की है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (डा० काटजू)** : (क) लगभग १.४३ करोड़ रुपये।

(ख) वृद्धि करने का कार्यक्रम राज्य सरकारों को उनकी स्वीकृति के लिये भेज दिया गया है। कुछ राज्यों ने कार्यक्रम को लागू करने की स्वीकृति भेज दी है। कुछ ने कुछ संशोधनो का सुझाव दिया है। कुछ मामलों पर अभी उत्तर प्राप्त नहीं हुये है।

सामाजिक कार्य संगठन

†८०. **श्री मादिया गौड़ा :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समाजिक कार्य में लगी हुयी कौन सी संगठनों को प्रथम पंचवर्षीय योजना अवधि में अनुदान दिये गये हैं तथा कितने-कितने ;

(ख) द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधि में कितना आवंटन किया गया है अथवा करने का विचार है ;

(ग) क्या व्यक्तियों को भी इस प्रकार की सहायता दी गई है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(घ) यदि हां, तो कितनी ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) से (ख). सूचना एकत्रित की जा रही है तथा प्राप्त होते ही लोक-सभा पटल पर रख दी जायेगी।

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड

†८१. **श्रीमति कमलेन्दुमति शाह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५–५६ में टिहरी-गढ़वाल जिले की समाज कल्याण संस्थाओं को केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने अब तक कितनी राशि सहायता अनुदान के रूप में दी है ; और

(ख) इस जिले में कितनी संस्थायें समाज कल्याण कार्य कर रही है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) ३,००० रुपये की राशि कुष्ट निवारक समिति, टिहरी-गढ़वाल, डाकखाना नरेन्द्र नगर को १९५५–५६ में दी गयी थी।

(ख) यह जानकारी उपलब्ध नही है।

सैनिक नाविक और उड़ाकू बोर्ड

†८३. **श्री हेमराज** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब, पेप्सु तथा हिमाचल प्रदेश में १९५२ से १९५५ तक सैनिक, नाविक और उड़ाक बोर्ड द्वारा राज्यवार कितने कल्याणकारी कार्यकर्ता नियोजित किये गये ;

(ख) कल्याणकारी कार्यकर्ताओं को वार्षिक पारिश्रमिक कितना दिया जाता है ;

(ग) यह व्यय राज्यों तथा केन्द्र द्वारा किस अनुपात में वहन किया जाता है ; और

(घ) १९५२ से १९५५ तक पंजाब सरकार को केन्द्रीय सरकार द्वारा वर्षवार कितनी रकम दी गई ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (डा० काटजू)** : (क) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३७]**

(ख) प्रत्येक कल्याणकारी कार्यकर्ता को ६०० रुपये वार्षिक मानदेय के रूप में दिये गये। इस के अतिरिक्त प्रत्येक कल्याणकारी कार्यकर्ता को १८ रुपये १२ आने मासिक यात्रा भत्ता दिया गया।

(ग) १–१२–४९ से २८–२–५४ तक केन्द्र सरकार ने इन नियुक्तयों के समस्त व्यय का भार पंजाब सरकार के साथ समान रूप से वहन किया। १–३–५५ से ३०–४–५४ तक व्यय पंजाब सरकार तथा पंजाब युद्धोत्तर सेवा पुनर्निर्माण निधि द्वारा समान रूप से वहन किया गया। हिमाचल प्रदेश में यह व्यय केन्द्र तथा हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समान रूप से वहन किया गया।

(घ) केन्द्र द्वारा पंजाब सरकार को इस प्रकार राशि दी गई :—

१९५१–५२ . . .	२१,८६२ रुपये ८ आने
१९५२–५३ . . .	२१,८६२ रुपये ८ आने
१९५३–५४	२१,८६२ रुपये ८ आने
१९५४–५५	शून्य
१९५५–५६	शून्य

†मूल अंग्रेजी में ।

तारांकित प्रश्न संख्या २२४४ के उत्तर की शुद्धि

†**गृह कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : १६ मई, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या २२४४ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में, जो पुलिस के सब-इंस्पेक्टरों की भर्ती के बारे में था, मैंने अन्य बातों के साथ यह कहा था कि प्रति दो वर्ष हमें २० सब-इंस्पेक्टरों की जरुरत होती है। यहां 'प्रति दो वर्ष' शब्द मैंने अकस्मात् कह दिये थे जो "प्रति वर्ष दो बार" होना चाहिये।

†**श्री कामत** : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूँ। मेरी समझ में नहीं आता कि इस प्रकार की गलती क्यों हुई। "प्रति वर्ष दो बार" के स्थान पर "प्रति दो वर्ष" कैसे समझा जा सकता है। गलती से कोई वर्ष में एक बार, या दो बार या तीन बार तो कहा जा सकता है किन्तु 'प्रति दो वर्ष' कैसे कहा जा सकता है। मैं समझता हूँ कि माननीय मंत्री को भविष्य में अधिक ध्यान देना चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : हां, यह तो चार गुना अधिक है।

†**श्री कामत** : मेरी समझ मेंनहीं आता कि यह कैसे हुआ। क्या मुंह से ऐसा निकल गया था या माननीय मंत्री को कुछ पता न था। आखिर क्या बात थी ?

†**श्री दातार** : "वर्ष में एक बार" कहने की गलती तो आदमी से हो सकती है।

†**श्री कामत** : आपने तो 'वर्ष में दो बार' कहा था। ऐसी गलतियां दर्जनों बार हो चुकी है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर		८५–१०६
तारांकित प्रश्न संख्या		
६८.	वैदेशिक ऋण	८५–८६
६९.	छपाई का प्रादेशिक स्कूल	८६–८७
७१.	लागत लेखा प्रणाली	८७–८८
७२.	त्रावणकोर-कोचीन में पुलिस की संख्या	८८–८९
७३.	छावनियों में आवास संबंधी सुविधायें	८९–९१
७४.	डालमिया अभियोग	९१
७६.	प्राकृतिक गैस	९१–९२
७८.	धर्म शिक्षक	९२–९३
८०.	जीपों का क्रय	९३–९६
८२.	राज भाषा आयोग	९६–९७
८३.	प्रशासकीय सतर्कता (विज़िलैंस) डिवीजन	९७–९८
८५.	हिन्दी का प्रचार	९८
८६.	विदेशी शासकों की मूर्तियां	९८–१००
८८.	कुष्ट रोग	१००
९०.	अभियोगाधीन बन्दी	१०१
९१.	त्रिपुरा में भुखमरी से मृत्यु	१०१–०२
९२.	बुद्ध जयंती	१०२
९३.	तेल की खोज	१०३
९६.	खनिज अनुसंधान	१०४
९७.	भारतीय वायु सेना	१०४–०५
९८.	दिल्ली में बम विस्फोट	१०५
९९.	भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास	१०६
प्रश्नों के लिखित उत्तर		१०६–२७
तारांकित प्रश्न संख्या		
७०.	प्रशासकीय कर्मचारी कालेज, हैदराबाद	१०६–०७
७५.	भारत में अवैध प्रवेश	१०७
७७.	भाखड़ा के निकट तेल के स्थान	१०७
७९.	भूमि में धंसता हुआ गांव	१०७–०८

[दैनिक संक्षेपिका]

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)		
तारांकित प्रश्न संख्या		
८१.	तेल	१०८
८४.	हिन्दी में पुस्तकों का अनुवाद	१०८
८७.	भारत-जापान सांस्कृतिक करार	१०८–०६
८६.	पालिटेकनिक तथा व्यावसायिक संस्थायें	१०६
६४.	आसाम में तेल के कुएं	१०६
६५.	प्राचीन पाण्डुलिपियां	१०६–१०
१००.	सरकारी कर्मचारियों का स्थायीकरण	११०
१०१.	एच० टी० -२ वायूयान	११०
१०२.	भारतीय प्रशासन सेवा आपातिक भर्त्ती	११०
१०३.	इंस्टीट्यूट आफ सिटी एण्ड गिल्डस (लंदन) इंजीनियरींग प्रमाण पत्र	१११
१०४.	त्रावनकोर-कोचीन में चक्रवात	१११
१०५.	पश्चिमी बंगाल में तेल की खोज	१११
१०६.	वित्त मंत्री की जापान यात्रा	११२
१०७.	पंजाब को अनुदान	११२
१०८.	उच्च टेकनालाजिकल संस्था, उत्तरी खण्ड	११२
१०६.	भारतीय प्राचीन ग्रन्थों का अनुवाद	११२–१३
११०.	नौवहन सेवा	११३
१११.	थोड़ी बचत	११३
११२.	त्रावनकोर-कोचीन राज्य परिवहन विभाग	११४
११३.	असैनिक स्कूल अध्यापक	११४
११५.	सैनिक शिक्षा	११४
११६.	इंजीनियरींग रिसर्च इंस्टीट्यूट, कलकत्ता	११४–१५
११७.	राजकोषीय एकाधिकार	११५
११८.	काम करने वाली महिलाओं के लिये होस्टैल	११५
११६.	खनीज मंत्रणा बोर्ड	११५–१६
१२०.	विशेष पुलिस संस्थापन	११६
१२१.	अनुसूचित आदिम जाति और अनुसूचित जाति कल्याण मंत्रणा बोर्ड	११६
१२२.	भारत का राज्य बैंक	११६–१७
१२३.	आसाम में स्थानीय भत्ते	११७
१२४.	तेल शोधनशाला	११७
१२५.	सांश्लेषिक चावल	११७

[दैनिक संक्षेपिका]

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)		
तारांकित प्रश्न संख्या		
१२६.	हिन्दी विश्वकोष	११८
१२७.	तेल और प्राकृतिक गैस निदेशालय	११८
१२८.	अनुसूचित आदिम जातियां	११८–१९
अतारांकित प्रश्न संख्या		
६०.	विज्ञान मंदिर	११९
६१.	तेल की खोज	११९
६२.	राज्य बचत परिषदें	११९–२०
६३.	संगीत नाटक अकादमी	१२०
६४.	बुनियादी और प्रशिक्षण स्कूल	१२०
६५.	त्रावनकोर-कोचीन में मंत्रणा समितियां	१२०–२१
६६.	भारतीय विमान दल की दुर्घटनायें	१२१
६७.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	१२२
६८.	सोना	१२२
६९.	समय से पूर्व बजट के प्रस्तावों का प्रकट होना	१२२
७०.	जम्मू तथा काश्मीर को ऋण	१२२
७१.	जीवन बीमा समवाय	१२३
७२.	खनीज पदार्थों का उत्पादन	१२३
७३.	दक्षिण भारत की भाषायें	१२३
७४.	टेकनिकल (प्रविधिक) शिक्षा	१२३
७५.	भारतीय कला प्रदर्शनियां	१२४
७६.	सैनिक इंजीनियरींग सेवा के कर्मचारी	१२४
७७.	अखिल भारतीय विधिजीवी संघ	१२४–२५
७८.	राष्ट्रीय सेना छात्र दल शिविर	१२५
७९.	राष्ट्रीय सेना छात्र दल	१२५
८०.	सामाजिक कार्य संगठन	१२५–२६
८१.	केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड	१२६
८३.	सैनिक, नाविक और उड़ाकू बोर्ड	१२६
तारांकित प्रश्न संख्या २२४४ के उत्तर शुद्धि		१२७

भा. स. मु. ना.—वि ३—१७१ लोक सभा ५६—७-६-५७—१९०

बुधवार
18 जुलाई 1956

लोक-सभा वाद-विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

खंड ६, १९५६

(१६ जुलाई से ३ अगस्त, १९५६)

1st Lok Sabha

सत्यमेव जयते

तेरहवां सत्र, १९५६

(खण्ड ६ में अंक १ से अंक १५ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

विषय सूची

भाग २—वाद-विवाद, खण्ड ६—१६ जुलाई से ३ अगस्त, १९५६

अंक १, सोमवार, १६ जुलाई, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—

देश में बाढ़ें १

संसद् भवन के आसपास प्रदर्शनों पर प्रतिबन्ध . . . २

सभा-पटल पर रखे गये पत्र २–४

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति ४–५

राज्य पुनर्गठन विधेयक ५

संविधान (नवां संशोधन) विधेयक ५

बिहार और पश्चिम बंगाल (राज्य-क्षेत्रों का हस्तान्तरण) विधेयक . ५–६

प्रतिलिप्यधिकार विधेयक—

संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव ७, ८–१९

सभा का कार्य ७–८

प्रतिभूति संविदा (विनियमन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव १९–३५

खण्ड २ से ३१ और १ . . . . . ३५–४०

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ४०

हिन्दू अवयस्कता तथा संरक्षकता विधेयक—

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . . ४०–४४

दैनिक संक्षेपिका ४५–४७

अंक २, मंगलवार, १७ जुलाई, १९५६

सभा-पटल पर रखा गया पत्र ४९

राज्य पुनर्गठन के बारे में याचिका . . ४९

हिन्दू अवयस्कता तथा संरक्षकता विधेयक—

राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . . ४९–६७

खंडों पर विचार—

खंड २ से १३, खंड १ और अधिनियमन सूत्र . . ६७–८१

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . ८१–८५

दैनिक संक्षेपिका . . ८६

अंक ३, बुधवार, १८ जुलाई, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . ८७

कार्य मंत्रणा समिति—

अड़तीसवां प्रतिवेदन . . . ८८

पृष्ठ

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—
पचपनवां प्रतिवेदन ८८

कारखाना (संशोधन) विधेयक के बारे में याचिका . . . ८८

भारत का रक्षित बैंक (संशोधन) विधेयक —
विचार करने का प्रस्ताव ८८–१२०

दैनिक संक्षेपिका १२१

अंक ४, शुक्रवार, २० जुलाई, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १२३

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—
सरकार की वस्त्र सम्बन्धी नीति तथा हथकरघा उद्योग का भविष्य . १२३–२५

सभा का कार्य १२५

भारत का रक्षित बैंक (संशोधन) विधेयक—
खंड २ से १४ और १ . . . . . १२५–३५
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव १३५–३८

औद्योगिक विवाद (संशोधन तथा विविध उपबन्ध) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव १३८–४३

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—
पचपनवां प्रतिवेदन १४३

आय-कर विभाग के कार्य-संचालन की जांच के बारे में प्रस्ताव . . १४३–६४

संयुक्त राष्ट्र संघ में अफ्रीकी तथा एशियाई राष्ट्रों के प्रतिनिधित्व के बारे में संकल्प १६४

दैनिक संक्षेपिका १६५–६६

अंक ५, शनिवार, २१ जुलाई, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—
विशाखापटनम् बन्दरगाह और पत्तन श्रमिक संघ द्वारा हड़ताल की पूर्व सूचना १६७–६८

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १६८

कार्य-मंत्रणा समिति—
अड़तीसवां प्रतिवेदन १६८–६९

सभा का कार्य १६९

औद्योगिक विवाद (संशोधन तथा विविध उपबन्ध) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव १६९–२०५

दैनिक संक्षेपिका २०६–०७

अंक ६, मंगलवार, २४ जूलाई, १९५६ पृष्ठ

स्थगन प्रस्ताव—

विशाखापटनम बन्दरगाह और पत्तन श्रमिक संघ द्वारा हड़ताल की पूर्व सूचना . . . २०९–१०

सभा-पटल पर रखे गये पत्र २१०–११

कार्य मंत्रणा समिति—

अड़तीसवां प्रतिवेदन २११–१३

औद्योगिक विवाद (संशोधन तथा विविध उपबन्ध) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . . २१३–२३

खण्ड २ से ३३, खंड १ और अधिनियमन सूत्र २२३–७६

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . २७६

दैनिक संक्षेपिका . २७७

अंक ७, बुधवार, २५ जुलाई, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र २७९–८०

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति—

छप्पनवां प्रतिवेदन २८०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

कच्छ में भूकम्प २८०–८१

श्री चिं० द्वा० देशमुख द्वारा मंत्री पद से त्यागपत्र के बारे में वक्तव्य . २८१–८५

बिहार तथा पश्चिम बंगाल (राज्य क्षेत्रों का हस्तान्तरण) विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव २८५–३३२

दैनिक संक्षेपिका . . . ३३३

अंक ८, गुरुवार, २६ जुलाई, १९५६

प्राक्कलन समिति—

कार्यवाही का सारांश (१९५५-५६) खंड ५, अंग १ . . . ३३५

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आदेश (संशोधन) के विधेयक के बारे में याचिका ३३५

राज्य पुनर्गठन विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . ३३५–७८

दैनिक संक्षेपिका ३७९

अंक ९, शुक्रवार, २७ जुलाई, १९५६	पृष्ठ
स्थगन प्रस्ताव—	
संसद् भवन के पास प्रदर्शन करने पर प्रतिबन्ध	३८१
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	३८१–८२
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति—	
सोलहवां प्रतिवेदन	३८२
राज्य पुनर्गठन विधेयक तथा संविधान (नवां संशोधन)	
विधेयक के बारे में याचिकायें	३८२–८३
सभा का कार्य	३८३
राज्य पुनर्गठन विधेयक	
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . .	३८३, ३८३–४००
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—	
छप्पनवां प्रतिवेदन	४००–०३
साधु तथा सन्यासी (पंजीयन तथा अनुज्ञापन) विधेयक . . .	४०४
भारतीय बालक दत्तक ग्रहण विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	४०४–०८
भूतपूर्व सैनिक कर्मचारी मुकदमेबाजी विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव . .	४०८–१०, ४११–१२
संसद् भवन के पास प्रदर्शन	४१०–११
दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा ४३५ का संशोधन)—	
विचार करने का प्रस्ताव	४१२–१३
खण्ड २, ३ और १	४१३–१४
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . .	४१४
भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा ४९७ का संशोधन)—	
विचार करने का प्रस्ताव	४१५
दैनिक संक्षेपिका	४१८-२०
अंक १०, शनिवार, २८ जुलाई, १९५६	
लोक लेखा समिति—	
सत्रहवां प्रतिवेदन	४२१
सभा का कार्य	४२१
सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . .	४२२
राज्य पुनर्गठन विधेयक—	
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . .	४२२–५७
दैनिक संक्षेपिका	४५८

अंक ११, सोमवार, ३० जुलाई, १९५६ — पृष्ठ

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ४५९

अनुपस्थिति की अनुमति ४५९–६०

समिति के लिये निर्वाचन—

अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था ४६०

राज्य वित्त निगम (संशोधन) विधेयक ४६०

राज्य पुनर्गठन विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . . ४६०–५०२

दैनिक संक्षेपिका . . . ५०३

अंक १२, मंगलवार, ३१ जुलाई, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . ५०५

राज्य-सभा से सन्देश ५०५

राष्ट्र-मंडल प्रधान मंत्री सम्मेलन तथा अपनी विदेश यात्रा के संबंध में प्रधान मंत्री का वक्तव्य . . . ५०६–०९

नागा पहाड़ियों की स्थिति के बारे में वक्तव्य . . . ५०९–१०

राज्य पुनर्गठन विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ५११–४८

खंड २ से १५ . . . ५४८–५२

दैनिक संक्षेपिका ५५३

अंक १३, बुधवार, १ अगस्त, १९५६

सभा पटल पर रखे गये पत्र ५५५–५६

राज्य-सभा से सन्देश ५५६–५७

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—

सत्तावनवां प्रतिवेदन ५५७

प्राक्कलन समिति—

कार्यवाही का सारांश (१९५५-५६) खंड ५ अंक २ और ३ . . ५५७

राज्य पुनर्गठन विधेयक ५५७–६००

खंड २ से १५ . . . . . ५५७–६००

दैनिक संक्षेपिका ६०१–०२

अंक १४, गुरुवार, २ अगस्त, १९५६—क्रमशः	पृष्ठ
राज्य पुनर्गठन विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में	६०३–४५
खंड २ से १५	६०३–३५
खंड १६ से ४९ और अनुसूची १ से ३	६३५–४५
दैनिक संक्षेपिका	६४६
अंक १५, शुक्रवार, ३ अगस्त, १९५६	
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	६४७
सभा का कार्य	६४८
राज्य पुनर्गठन विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में . .	६४८–७४
खंड १६ से ४९	६४८–७४
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—	
सत्तावनवां प्रतिवेदन	६७५
संयुक्त राष्ट्र संघ में अफ्रीकी तथा एशियाई राष्ट्रो को प्रतिनिधित्व देन में संबंधी संकल्प	६७५–९२
चल चित्रों के निर्माण तथा प्रदर्शन पर नियंत्रण एवं विनियमन के बारे में संकल्प	६९२
दैनिक संक्षेपिका	६९३
अनुक्रमणिका	(१–४३)

भा०स०मु०ना–वि० ३–२०५ लोक-सभा—१२-२-५८–१८०

लोक-सभा

बुधवार, १८ जुलाई, १९५६

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग—१)

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

(१२ मध्याह्न)

सभा पटल पर रखे गये पत्र

आश्वासनों आदि पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के विवरण

संसद कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह): मैं विविध सत्रों में जैसे प्रत्येक के सामने दिखाया गया है, मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, प्रतिज्ञाओं तथा वचनों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के निम्न विवरण सभा पटल पर रखता हूं ।

(१) अनुपूरक विवरण संख्या ४ — लोक सभा का बारहवां सत्र, १९५६ ।
[**देखिये परिशिष्ट १, अनबन्ध संख्या ३८**]

(२) अनुपूरक विवरण संख्या ७ — लोक-सभा का ग्यारहवां सत्र, १९५५ ।
[**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३९**]

(३) अनुपूरक विवरण संख्या ११ — लोक-सभा का दसवां सत्र, १९५५ ।
[**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४०**]

(४) अनुपूरक विवरण संख्या १७ — लोक-सभा का नवां सत्र, १९५५ ।
[**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४१**]

(५) अनुपूरक विवरण संख्या १९ — लोक-सभा का आठवां सत्र, १९५४ ।
[**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४२**]

(६) अनुपूरक विवरण संख्या ३१ — लोक-सभा का छठा सत्र, १९५४ ।
[**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४३**]

(७) अनुपूरक विवरण संख्या ४५ — लोक-सभा का तीसरा सत्र, १९५३ ।
[**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४४**]

†मूल अंग्रेजी में ।

कार्य मन्त्रणा समिति

अड़तीसवां प्रतिवेदन

†**सरदार हुक्म सिंह** (कपूरथला-भटिंडा) : मैं कार्य मन्त्रणा समिति का अड़तीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

पचपनवां प्रतिवेदन

†**सरदार हुक्म सिंह** (कपूरथला भटिंडा) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का पचपनवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

कारखाना (संशोधन) विधेयक के बारे में याचिका

†**सचिव** : श्रीमान्, मुझे प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम १७९ के अन्तर्गत यह सूचना देनी है कि कारखाना (संशोधन) विधेयक, १९५६ सम्बन्धी एक याचिका, जिसका विवरण सभा पटल पर रखा गया है, प्राप्त हुई है ।

विवरण

कारखाना (संशोधन) विधेयक, १९५६ के बारे में याचिका

हस्ताक्षर करने वालों की संख्या	जिला या नगर	राज्य	याचिका संख्या
१	दिल्ली	दिल्ली	६४

*तारांकित प्रश्न संख्या २२४४ के उत्तर की शुद्धी

भारत का रक्षित बैंक (संशोधन) विधेयक

†**राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अ० चं० गुह)**: श्री चि० द्वा० देशमुख की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारत का रक्षित बैंक (रिजर्व बैंक आफ इण्डिया) अधिनियम, १९३४ में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

इस विधेयक में केवल १४ खण्ड हैं और इसे बहुत छोटा विधेयक कहा जा सकता है । विधेयक के प्रयोजन उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण में बताये जा चुके हैं । तब भी, मैं विधेयक की मुख्य मुख्य बातों को संक्षेप में बताने का प्रयत्न करूंगा ।

मैं पहिले भारत का रक्षित बैंक अधिनियम, १९३४ की धारा ३३(२) में संशोधन करने की आवश्यकता पर विचार प्रकट करूंगा । इस धारा के अन्तर्गत रक्षित बैंक के निर्गम विभाग की कम से कम २/५ आस्तियों को सोने के सिक्के, सोने की छड़ों या वैदेशिक प्रतिभूतियों के रूप में रखना जरूरी है । इस मामले में यह भी ध्यान रखना होगा कि सोने के सिक्के और सोने का मूल्य ४० करोड़ रुपये से कम न हो । कुछ समय से यह महसूस किया गया है कि ये उपबन्ध हमारी विकास योजनाओं के प्रसंग में अनुचित रूप से कड़े हैं । सभा को भलीभांति विदित है कि विकासशील

†मूल अंग्रेजी में ।

*देखिये वाद विवाद भाग १, दिनांक १८ जुलाई, १९५६ ।

अर्थ व्यवस्था के लिये चलार्थ की मांग में साधारण वृद्धि की पूर्ति के लिये अधिक चलार्थ की आवश्यकता होती है। आर्थिक क्रियाकलाप के बढ़ने के साथ-साथ अधिक धन की आवश्यकता होती है जिससे कि अधिक लेन-देन सुचारू रूप से किया जा सके। उन वर्तमान उपबन्धों से जिनमें कहा गया है कि भारत के रक्षित बैंक के पास जो विदेशीय मुद्रा है उसमें परिचालित पत्र-मुद्राओं के अनुसार वृद्धि होनी चाहिए---विकासशील अर्थ-व्यवस्था में चलार्थ की बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति करने की बैंक की क्षमता बुरी तरह निर्बंधित हो जायेगी।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हम क्या करना चाहते हैं और वर्तमान उपबन्धों से योजना की वांछित कार्यान्विति कैसे रुक जायेगी, इस बारे में मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सरकारी और गैर सरकारी उद्योग क्षेत्रों में विकास व्यय के जो लक्ष्य रखे गये हैं तथा घाटे की अर्थ व्यवस्था का जो परिमाण रखा गया है, इससे हमारे विदेशी-मुद्रा की मात्रा में कमी होने के साथ साथ पत्र-मुद्रा निर्गम में पर्याप्त वृद्धि हो जायेगी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के ज्ञापन में कहा गया है कि १,२०० करोड़ रुपये तक के घाटे की अर्थव्यवस्था की जा सकती हैं। योजना की अधिक विदेशी विनिमय सम्बन्धी आवश्यकताओं की दृष्टि से, यह भी प्रस्ताव है कि बैंक की पौंड आस्तियों से २०० करोड़ रुपये लिये जा सकते हैं। इन परिस्थितियों में, विद्यमान उपबन्धों के कारण द्वितीय योजना काल में चलार्थ बढ़ाने की बैंक की क्षमता पर कड़ी सीमा लग जायगी। ६ जुलाई १९५६ को रक्षित बैंक के पास १,५०२·५८ करोड़ रुपये की पत्र-मुद्रा निर्गम के बदले निर्गम विभाग में सोने की मुद्रा तथा सोने के रूप में ४०·०२ करोड़ रुपये थे [यह मूल्य अधिनियम की धारा ३३(४) से निर्धारित किया गया था और इसकी दर थी शुद्ध स्वर्ण के ८·४७५१२ ग्रेन्स बराबर एक रुपया] तथा विदेशीय प्रतिभूतियों के रूप में ६३६·६१ करोड़ रुपये थे। बैंक के पास उसी तारीख में अपने बैंकिंग विभाग में ४१·८७ करोड़ रुपये की विदेशीय प्रतिभूतियां थीं। परन्तु बैंकिंग विभाग में साधारणतया कम से कम इतना काम चलाऊ बकाया तो रखना ही पड़ेगा। अतः केवल निर्गम विभाग की विदेशीय संचितियों का ध्यान रखते हुए, अधिनियम के विद्यमान उपबन्धों के अन्तर्गत, केवल १८९ करोड़ रुपये का चलार्थ और जारी किया जा सकता है। मुझे विश्वास है कि प्रत्येक व्यक्ति इस बात से सहमत होगा कि पांचों वर्षों में केवल १८९ करोड़ रुपये का चलार्थ जारी करना ऐसी अर्थव्यवस्था की आवश्यकतायें पूर्ण करने में बिल्कुल अपर्याप्त होगा जिससे राष्ट्रीय आय में २५ प्रतिशत वृद्धि होगी। प्रतिकूल भुगतान सन्तुलन के होते हुए चलार्थ में इतनी वृद्धि करना भी सम्भव नहीं है। अतः अधिनियम की धारा ३३(२) तथा धारा ३३(४) में संशोधन करने की आवश्यकता पड़ी है।

विदेशीय मुद्रा संचितियों के आधार पर पत्र मुद्रा जारी करने का सिद्धान्त एक प्रकार से पुराना अवशेष है तथा बहुत से देशों ने पिछले बीस वर्षों में इस सिद्धान्त में रूपभेद कर लिया है। जब तक अधिकारी अन्तर्देशिय कार्यों के लिए भी देशीय चलार्थ के बदले स्वर्ण या विदेशीय मुद्रा देने के लिए बाध्य थे, तब तक सैन्ट्रल बैंकों और सरकारों के लिए पत्रमुद्रा जारी करने के बदले कुछ स्वर्ण तथा विदेशी मुद्रा संचिति रखना ही बुद्धिमत्ता की बात थी। आजकल, प्रत्येक देश में विदेशी मुद्रा संचिति रखने का मुख्य ध्येय यह है कि वह देश भुगतान शेष की अस्थायी कठिनाइयों को पार कर सके। अतः स्वर्ण तथा विदेशी मुद्रा संचिति की मात्रा अब चलार्थ जारी करने के आधार की बजाये भुगतान स्थिति में सामान्य उतार चढ़ाव के आधार पर निश्चित की जाती है। वास्तव में, कुछ देशों में तो जिनमें कनाडा, न्यूजीलैण्ड, लंका तथा फिलीपाइन्स सम्मिलित हैं—चलार्थ जारी करने के बदले स्वर्ण या विदेशी मुद्रा संचिति रखने की कोई आवश्यकता विहित नहीं की गई है।

कोई भी व्यक्ति यह कह सकता है कि हम केवल कुछ अविकसित देशों का उल्लेख कर रहे हैं; परन्तु यह भी याद रखना चाहिए कि भारत भी उसी वर्ग में आता है। इसके अतिरिक्त, इंगलिस्तान में भी, जहां समय समय पर विश्वासाश्रित निर्गम की मात्रा बढ़ाई गई है, अधिक पत्र-मुद्रा निर्गम प्रत्येक दृष्टि से विदेशी मुद्रा संचिति के बिना किसी अनिवार्य वृद्धि के हुआ है। भारत

[श्री अ० चं० गुह]

का रक्षित बैंक अधिनियम में संशोधन करने का अब जो प्रस्ताव रखा गया है, उसका प्रभाव उस सीमा तक नहीं पड़ता जितना कुछ अन्य देश कर चुके हैं। हमारा यह विचार है कि आपातकालीन स्थितियों का सामना करने के लिए विदेशी मुद्रा तथा स्वर्ण दोनों की सर्वथा न्यूनतम संचितियां विहित की जायें।

मेरा ख्याल है कि मेरे माननीय मित्र यह महसूस करेंगे कि बहुत से देशों ने, विशेष कर उन देशों ने, जिन्होंने वैसे ही बड़े विकास कार्य आरम्भ कर दिये हैं जैसे कि भारत ने आरम्भ किये हैं, अब सैन्ट्रल बैंकों का रूढ़िनिष्ठ तरीका लगभग समाप्त कर दिया है।

इस व अन्य विकल्पों पर विचार करके तथा भारतीय परिस्थितियों की दृष्टि से स्वर्ण तथा विदेशीय प्रतिभूतियों की निश्चित शब्दों में न्यूनतम संचिति विहित करना सर्वोत्तम समझा गया है। तदनुसार अधिनियम की धारा ३३(२) में संशोधन करने का प्रस्ताव है ताकि विदेशीय प्रतिभुतियों के रूप में ४०० करोड़ रुपये की संचिति निर्धारित की जा सके। यह कार्य विधेयक के खण्ड ८ (क) द्वारा किया जा रहा है।

धारा ३३ की उपधारा (२) के संशोधन के साथ साथ इस धारा की उपधारा (४) में भी, जिसमें रक्षित बैंक के पास रखे हुए स्वर्ण का मूल्य निर्धारित करने की दर विहित की गई है, संशोधन करना होगा। आज कल रक्षित बैंक के पास रखे हुए स्वर्ण के मूल्य निर्धारण की दर ८·४७५१२ ग्रेन्स प्रति रुपया है, अर्थात् २१–३–१० रुपये प्रति तोला की दर पर। यह माना जा सकता है कि स्वर्ण के रूप में रुपया का यह मूल्य वास्तविक तथा रुपया के बाजार मूल्य की अपेक्षा ठीक नहीं है। संक्षेप में कह सकते हैं कि अब तक स्वर्ण का मूल्य बहुत कम है और वास्तव में उस दर की अपेक्षा, जो अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि द्वारा भारतीय रुपये के लिये स्वीकार की गयी है, बहुत कम लगाया जाता रहा है। अब निधि द्वारा स्वीकृत दर के अनुसार अर्थात्, २·८८ शुद्ध स्वर्ण बराबर है एक रुपया के या ६२–८–० रु० प्रति तोला की दर से स्वर्ण का पुनः मूल्यांकन करने का प्रस्ताव रखा गया है, इसके परिणामस्वरूप रक्षित बैंक के पास रखे हुए स्वर्ण का मूल्य ४० करोड़ रुपये से बढ़कर ११५ करोड़ रुपये से भी थोड़ा अधिक हो जायेगा। मैं यह भी बता दूं कि यह परिवर्तन केवल औपचारिक है और इसका उद्देश्य भारतीय रुपया की सरकारी दर के रूप में हमारी स्वर्ण संचिति का अधिक ठीक मूल्य बताना है। स्वर्ण के पुनः मूल्यांकन के साथ ही, रक्षित बैंक जो स्वर्ण रखता है उसकी न्यूनतम मात्रा भी ४० करोड़ रुपये से बढ़ाकर ११५ करोड़ रुपये की जा रही है जैसा कि खण्ड ८(क) में उल्लेख है। कम से कम ४०० करोड़ रुपये की विदेशीय प्रतिभूतियां रखने का ऊपर जो उल्लेख किया गया है, यह उसके अतिरिक्त है। इस प्रकार, रखा जाने वाला स्वर्ण तथा विदेशी प्रतिभूतियों का कुल मूल्य ५१५ करोड़ होगा। विधेयक का खण्ड ८ इन संशोधनों के सम्बन्ध में है।

भारत के रक्षित बैंक अधिनियम की धारा ३७ में, सरकार को विहित दरों पर कर का भुगतान करने की शर्त के अधीन रहते हुए, जब कि न्यूनतम विहित दर ६ प्रतिशत प्रतिवर्ष है, स्वर्णटंक, स्वर्णपिंड तथा विदेशीय प्रतिभूतियों सम्बन्धी आस्ति आवश्यकताओं के निलम्बन का उपबन्ध है। अप्रत्याशित आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए आस्ति आवश्यकताओं के निलम्बन का उपबन्ध करना उचित है, परन्तु ऐसे निलम्बन की स्थिति में किसी जुर्माना का कोई उपबन्ध करना आवश्यक है। जुर्माना सम्बन्धी खण्ड उस समय रखा गया था जब कि रक्षित बैंक पूर्णतया राष्ट्रीयकृत बैंक न था और जब कि अधिकतर अंश गैर-सरकारी थे। परन्तु अब यह एक राष्ट्रीयकृत बैंक है। अब कर के भुगतान का नाममात्र महत्व है क्योंकि बैंक एक राष्ट्रीयकृत संस्था है तथा अप्राप्य और संदेहपूर्ण ऋण आदि की व्यवस्था करने के बाद उसका अधिक्य लाभ केन्द्रीय सरकार को चला जाता है। पिछले वर्ष रक्षित बैंक ने केन्द्रीय सरकार के राजस्व में २० करोड़ रुपये दिये थे। इस उपबन्ध का निलम्बन करने के लिये जुर्माना खण्ड रखने की आवश्यकता नहीं है।

विधेयक के खण्ड ९ में उस विद्यमान उपबन्ध को हटाने का उपबन्ध है जिसका संबंध सरकार को कर का भुगतान करने से है। इसमें यह नया उपबन्ध किया गया ह कि बैंक केन्द्रीय सरकार की पूर्व-स्वीकृति से आस्ति आवश्यकताओं को पहिली बार छः मास के लिए निलम्बित कर सकेगा। यह काल समय समय पर बढ़ाया जा सकता है परन्तु एक बार में तीन मास से अधिक के लिए नहीं बढ़ाया जायेगा। वर्तमान धारा ३७ के अन्तर्गत पहिली बार केवल ३० दिन के लिये निलम्बित हो सकता है तथा यह निलम्बन-काल समय समय पर १५ दिन के लिए बढ़ाया जा सकता है। विदेशी प्रतिभूतियों में अधिकतम १०० करोड़ रुपये की प्रतिभूतियों की कमी होने पर ही निलम्बन होना चाहिए। यही बात ऐसे भी कही जा सकती है कि विदेशी प्रतिभूतियां किसी भी स्थिति में ३०० करोड़ रुपये से कम की न हों। इसके अतिरिक्त निलम्बन स्वर्णटंक तथा स्वर्णपिंड पर लागू नहीं होना चाहिए तथा वे कम से कम ११५ करोड़ रुपये के रहने चाहिये। अतः इस उपबन्ध का कुल प्रभाव यह होगा कि संचिति में ५१५ करोड़ रुपये रखने के बजाय, रक्षित बैंक आयात के मामलों में संचिति में केवल १०० करोड़ रुपये की कमी कर सकता है तथा ४१५ करोड़ रुपये की संचिति रख सकता है।

अब हम खण्ड १० पर आते हैं जिसका उद्देश्य रक्षित बैंक को ऋण नियन्त्रण करने का अधिकार देना है। कई वर्षों से लगभग सारा संसार यह स्वीकार करता है कि अधिकतर देशों में जटिल आर्थिक व्यवस्था होने के कारण ऋण की प्राप्ति तथा वितरण पर कुछ नियन्त्रण होना चाहिये। अधिकतर अर्थशास्त्रियों तथा बैंक वालों ने ऋण के नियन्त्रण या समायोजन को केन्द्रीय बैंक का एक मुख्य कार्य माना है। यह एक ऐसा कार्य है जिसका सम्बन्ध केन्द्रीय बैंकिंग नीति के अधिकतम महत्वपूर्ण प्रश्नों से है। इसका सम्बन्ध उस प्रश्न से भी है जो व्यवहारिक रूप में अन्य सारे कार्यों का समन्वय करता है तथा उनका एक सामान्य उद्देश्य रखता है। अर्थशास्त्रियों तथा बैंकरों ने ऋण-नियन्त्रण के तीन उद्देश्य बताये हैं, अर्थात्, (क) विनिमय दरों को स्थिरीकरण, (ख) सामान्य मूल्य स्तर का स्थिरीकरण, और (ग) व्यापार और रोजगार का स्थिरीकरण। पहिला रूढ़िगत उद्देश्य है—विनिमय दरों का स्थिरीकरण। परन्तु स्वर्ण के परिमाप के समापन या निलम्बन होने से अब मूल्य मान को स्थर बनाने पर अधिक जोर दिया जाता है।

यह महसूस किया जाता है कि मूल्य स्तर में परिवर्तन होने से देश में और देशों के बीच आर्थिक सम्बन्धों में महत्वपूर्ण परिवर्त्तन व गड़बड़ी हो जाती है। इस प्रकार इसके गम्भीर व दीर्घकालीन अनुचित समायोजन, दुःखदायी सामाजिक तथा आर्थिक परिणाम होते हैं। मूल्य स्तर के स्थिरीकरण से ऐसी गड़बड़ी तथा अनुचित समायोजनों की समाप्ति हो जायेगी।

अब अधिक से अधिक अर्थशास्त्री कदाचित यह विचार करेंगे कि ऋण नियन्त्रण का मुख्य उद्देश्य मंदी-तेजी क्रम को समाप्त करना है। उनका ख्याल है कि यद्यपि अन्य उद्देश्यों की पूर्ति बहुत ही वांछित है मगर फिर भी यह सामान्य आर्थिक कार्यवाही में प्रगति की सामान्य तथा निरन्तर गति को बनाये रखने में सहायक होती है। आशा है कि इससे तेजी और मंदी, अधिक मात्रा में फैली हुई बेकारी, आदि रुक जायेगी। १९३० से १९४० के आरम्भ में मुख्य रूप में जोर मूल्य स्तर के उद्देश्य पर दिया गया था। परन्तु स्वीडन, इंगलैण्ड, अमरीका आदि देशों की धन सम्बन्धी वर्तमान सरकारी नीतियां प्रकट करती है कि वे देश आर्थिक स्थिरीकरण को ऋण नियन्त्रण का उद्देश्य मानते हैं।

तत्पश्चात् प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि ऋण नियन्त्रण के तरीके क्या हैं? उनमें से एक तरीका तो निस्सन्देह यह है कि बैंकों द्वारा केन्द्रीय बैंक के पास बकाया राशि के रूप में रखी जाने वाली न्यूनतम समिति घटा या बढ़ा दी जाये। यह उपाय केन्द्रीय बैंक को वाणिज्यिक बैंकों की ऋण प्राप्त करने की क्षमता बढ़ाने अथवा घटाने का एक अतिरिक्त और अधिक प्रभावी बनाने में समर्थ हो सकता है। वर्तमान आर्थिक स्थितियों में बैंक दर संबंधी निति और खुले बाजार का व्यापार ऋण नियंत्रण के लिये पर्याप्त प्रभावी अथवा सम्भव उपाय नहीं सिद्ध हो सकता है। ऋण

[श्री अ० चं० गुह]

नियंत्रण के पुराने तरीके की सीमित क्षमता को देखते हुये अब यह सुझाव दिया गया है कि बैंकों को अपने कुछ प्रतिशत निक्षेप केन्द्रीय बैंक के पास रखने चाहिये और केन्द्रीय बैंक को इस प्रतिशत को समय समय पर बदलने का अधिकार मिलना चाहिये। विधेयक के खण्ड १० के द्वारा ऐसा करने का विचार है।

न्यूनतम संचिति की व्यवस्था मुद्रा म विश्वास बनाय रखने के लिये की गई थी। अन्ततोगत्वा यही पता लगता है कि मुद्रा में विश्वास रिजर्व बैंक द्वारा ऋण का विनियमन करने की क्षमता पर निर्भर करता है जिससे मुद्रास्फीति अथवा अपस्फीति वाली प्रवृत्तियों पर नियंत्रण बना रहे। इसीलिये साथ ही इस महत्वपूर्ण संशोधन को पुनःस्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है जिससे कि अनुसूचित बैंकों के लिये नम्य नकद संचिति की आवश्यकता की प्रणाली के द्वारा रिजर्व बैंक की क्षमता ऋण स्थिति का अधिक प्रभावपूर्ण ढंग से विनियमन करने के लिये सुदृढ़ हो सके। द्वितीय योजना काल में नोट छाप कर वित्त व्यवस्था करने के परिणामस्वरूप बैंकों को काफी स्वतन्त्र नकद राशि मिलेगी। इस स्थिति से बैंकों की ऋण बढ़ाने की क्षमता बढ़ जायेगी। इस वर्ष ही यह प्रवृत्ति नहीं रह गई है। हाल के कुछ महीनों में अनुसूचित बैंकों की अग्रिम राशियों में काफी शीघ्रता से वृद्धि होने के लक्षण दिखाई पड़ने लगे हैं। इससे ऋण के विस्तार को रोकने के लिये जो अच्छा नहीं है—रिजर्व बैंक को कुछ और शक्तियां देने की अत्यधिक आवश्यकता जान पड़ती है क्योंकि उसी से मुद्रास्फीति को बढ़ने में सहायता मिलती है। रिजर्व बैंक आफ इण्डिया अधिनियम की धारा ४२(१) के अधीन अनुसूचित बैंकों को रिजर्व बैंक के पास अपने मांग सम्बन्धी दायित्वों की ५ प्रतिशत न्यूनतम नकद संचिति और २ प्रतिशत समय सम्बन्धी दायित्वों की नकद संचिति रखनी पड़ेगी। इन वर्षों में इन प्रतिशतों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। यह निश्चित न्यूनतम संचिति का अनुपात है।

बहुत से लोगों ने निश्चित न्यूनतम संचिति अनुपात की नीति को बैंकों पर सीधा नियंत्रण लगाना समझा है। नकद संचिति मौसम और व्यापार क्रम के अनुसार घटती-बढ़ती रहती है। अतः निश्चित न्यूनतम राशि यदि किसी समय अप्रभावी होगी तो किसी समय बैंकों के लिये बड़ा भारी बोझ सिद्ध हो सकती है। निम्न अनुपात बहुधा अप्रभावी हो सकता है और उच्च अनुपात किसी समय निरुत्साहित करने वाला सिद्ध हो सकता है तथा व्यापार चक्र की किसी और अवस्था में अप्रभावी सिद्ध हो सकता है। अतः आज कल की धारणा संचिति अनुपात को बदलते रहने की है। सामान्य कार्यों की अपेक्षा संचिति अनुपात को बदलते रहने की मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया अधिक लाभदायक हो सकती है क्योंकि पहली यदि अदृश्य रूप से काम करती है तो दूसरी खुले आम दिखाई देती है। व्यापार बैंक को जब तक केन्द्रीय बैंक से ऋण न लेना पड़े तब तक बहुधा वह बैंक दर में वृद्धि हो जाने की उपेक्षा कर सकता है। किन्तु वह उच्च संचिति अनुपात की उपेक्षा नहीं कर सकता क्योंकि इसका प्रभाव उसकी नकद बकाया राशि पर भी पड़ता है। बहुत से देशों में जिनमें अमरीका भी एक है, परिवर्तनशील संचिति अनुपात को खुले बाजार के व्यापार के लिये प्रयोग में लाया जाता है। सामान्य अवसरों पर खुले बाजार का व्यापार किया जाता है। किन्तु बैंक की स्थिति के कुछ मूल परिवर्तनों के मामलों में अथवा व्यापार चक्र में, साधारणतः परिवर्तनशील संचिति अनुपात प्रयोग किया जा रहा है और अधिक प्रभावी सिद्ध हुआ है।

रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा ४२(१) में संशोधन करने के साथ ही अन्य धाराओं में आनुषंगिक संशोधन करने का प्रस्ताव इसलिये किया गया है कि रिजर्व बैंक को कुछ निश्चित सीमाओं के अन्दर उस धारा में जितनी नकद संचिति रखी जानी चाहिये उसमें परिवर्तन करने की शक्ति मिल सके। अनुसूचित बैंकों के लिये यह रिवाज है कि वे रिजर्व बैंक के पास जितनी बकाया राशि संविहित रूप से रखनी चाहिये उससे अधिक रखते हैं, यद्यपि पिछले ५-६ वर्षों में यह राशि कम होती जा रही है। अतः १९५५–५६ में औसतन १९५०–५१ में ६०·८ करोड़ बकाया राशि और अतिरिक्त बकाया राशि २५·२ करोड़ की तुलना में अनुसूचित बैंकों ने रिजर्व बैंक के पास

५२·५ करोड़ रुपया बकाया राशि के रूप में रखा जो संविहित आवश्यकता से १३·९ करोड़ रुपय अधिक थी। यह प्रवृत्ति अच्छी नहीं है; शीघ्र ही कार्यवाही करनी चाहिये। इसलिये जैसा कि खण्ड १० में प्रस्ताव किया गया है, संशोधन करने की आवश्यकता पड़ जाती है।

परिवर्तनशील संचिति आवश्यकता प्रणाली एक प्रभावी उपाय है जिसको नम्य बनाया जा सकता है। यह प्रणाली अधिकतर देशों में ऋण नियंत्रण की व्यवस्था का एक सामान्य अंग है जिसमें संविहित संचिति के तरीके को अपनाया गया है। परिवर्तनशील संचिति आवश्यकता प्रणाली लगभग २५ विकसित और अविकसित देशों में विद्यमान है जिनमें अमरीका, पश्चिमी जर्मनी, मेक्सिको, ब्राजील, पीरू, लंका, बर्मा पाकिस्तान और न्यूजीलैण्ड भी सम्मिलित हैं। ऋण नियंत्रण के इस शस्त्र का उपयोग हाल के वर्षों में अधिक किया जा रहा है। प्रस्ताव यह किया गया है कि उक्त धारा में उचित रूप में संशोधन करके मांग सम्बन्धी दायित्वों के सम्बन्ध में न्यूनतम और अधिकतम संचिति ५ और २० प्रतिशत तथा समय सम्बन्धी दायित्वों के बारे में २ और ८ प्रतिशत कर दी जाये। संचिति के प्रयोजना के लिये मांग और समय सम्बन्धी दायित्वों में यह भेद रूढ़िगत और सुविधाजनक है तथा इसे चलते रहने देना चाहिये।

परिवर्तनशील संचिति प्रणाली को नम्य बना कर लागू करने के लिये रिजर्व बैंक को भी यह शक्ति दी जा रही है कि वह अनुसूचित बैंकों को अतिरिक्त बकाया रखने के लिये कहे, जिसकी गणना रिजर्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट दिनांक के मांग तथा समय सम्बन्धी दायित्वों से अधिक हो परन्तु अनुसूचित बैंक द्वारा रखी जाने वाली बकाया राशि उसके मांग सम्बन्धी दायित्वों के २० प्रतिशत से और समय सम्बन्धी दायित्वों के ८ प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। इसका तात्पर्य यह होगा कि रिजर्व बैंक द्वारा अनुसूचित बैंकों को अधिक निधियां रखने का यह जो विशेष अधिकार दिया गया है उसके अनुसार यह कुल निश्चित अधिकतम राशि मांग सम्बन्धी दायित्वों के लिये २० प्रतिशत और समय सम्बन्धी दायित्वों के लिये ८ प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। स्थिति की व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है। कुछ समय में कुछ बैंकों के निक्षेप आत्यधिक बढ़ सकते हैं। ऐसे मामलों में रिजर्व बैंक को यह शक्ति देना आवश्यक होना कि वह अनुसूचित बैंकों से यह कहे कि उन्हें रिजर्व बैंक के पास अतिरिक्त बकाया राशि रखनी होगी। इस नीति से छोटे बैंकों को कुछ सहायता मिलेगी। यदि न्यूनतम और अधिकतम सीमा जो निश्चित की जा चुकी है उसी के आधार पर हम सदा चलते हैं तो वह सभी बैंकों के साथ लागू होगी। किसी एक बैंक के पिछले वर्ष में निक्षेपों में कुछ करोड़ रुपयों की वृद्धि हो सकती है। जब कि अन्य बैंक के निक्षेप में हो सकता है कि कुछ भी वृद्धि न हुई हो। यदि रिजर्व बैंक यह कहता है कि इस वर्ष की बढ़ी हुई मांग का ५० प्रतिशत अतिरिक्त वकाया राशि के रूप में रिजर्व बैंक में रखना चाहिये, तो इस ५० प्रतिशत का उन छोटे बैंकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जिनके निक्षेपों में उस वर्ष या तो बिल्कुल ही वृद्धि नहीं हुई है अथवा नगण्य वृद्धि हुई है। इस उपबन्ध से इस प्रकार समानता आ जायेगी कि जितनी संचिति रखी जानी चाहिये उसमें परिवर्तन केवल उन्हीं बैंकों में होगा जिनके निक्षेपों में पर्याप्त वृद्धि हुई होगी। रिजर्व बैंक को उस राशि पर स्वेच्छा से समय-समय पर निश्चित की गई दर पर ब्याज देने, जो न्यूनतम संचिति जिसका होना आवश्यक है उससे मांग सम्बन्धी दायित्वों के ५ प्रतिशत और समय सम्बन्धी दायित्वों के २ प्रतिशत से अधिक होने पर, जितनी न्यूनतम बकाया राशि अनुसूचित बैंक के लिए रखना जरूरी है कुछ शर्त्तों के अधीन उस पर ब्याज का भुगतान करने की व्यवस्था भी की जा रही है। इन संशोधनों पर विधेयक के खण्ड १० में चर्चा की गई है।

अधिनियम की धारा ४६ (क) की उप-धारा २ (ख) में संशोधन करने का प्रस्ताव उपधारा के क्षेत्र के सम्बन्ध में सन्देह दूर करने की दृष्टि से किया गया है। उप-धारा की भाषा में जिस कमी की कल्पना की गई थी वर्तमान संशोधन उसको दूर करके स्पष्टीकरण के रूप में है। धारा ४६(क) से रिजर्व बैंक को राष्ट्रीय कृषि सम्बन्धी उधार दीर्घकालीन (कार्य) निधि से ऋण और अग्रिम राशि लेने का अधिकार मिलता है। इन ऋणों और अग्रिमों में धारा ४६(क) की उप-धारा २(ख) में विशेष रूप से उल्लिखित कृषि सम्बन्धी कार्यों के लिये राज्य के सहकारी बैंकों को दिये जाने वाले मध्य कालीन ऋण भी सम्मिलित हैं। ग्राम ऋण के विकास और अन्य ग्राम

[श्री अ० चं० गुह]

आर्थिक क्रियाकलापों के सम्मिलित कार्यक्रम जैसे विपणन तथा परिष्करण की दृष्टि से यह आवश्यक है कि छोटे और मध्यम वर्ग के कृषकों को सहकारी समितियों और सहकारी सार्थों में, जो विपणन तथा उनके अपने उत्पादों के परिष्करण से सम्बन्धित हैं, (अंशधारियों आदि के रूप में) सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिये। हो सकता है कि 'कृषि सम्बन्धी कार्यों' नामक शब्दों की ठीक-ठीक परिभाषा के अनुसार वर्तमान उपबन्धों के द्वारा रिजर्व बैंक के लिये यह सम्भव न हो कि वह आवश्यकता के समय भी सहकारी बैंकों को अग्रिम राशि दे सके जिससे छोटे और मध्यम वर्ग के कृषक ऐसी समितियों और सार्थों में अंश खरीद सकें।

विधेयक का खण्ड ११ मुख्य अधिनियम की धारा ४६(क) के बारे में है जिससे सन्देह दूर किया जा सके और रिजर्व बैंक ऐसे प्रयोजनों के लिये अग्रिम राशि देने में समर्थ हो सके।

खण्ड ३ स्थानीय बोर्डों को तोड़ने के बारे में है। रिजर्व बैंक आफ इण्डिया अधिनियम की धारा ९ में एक उपबन्ध यह है कि पश्चिमी, पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी इन चार प्रादेशिक क्षेत्रों के लिये एक-एक स्थानीय बोर्ड स्थापित किया जाना चाहिये। जिसमें से प्रत्येक में पांच-पांच सदस्य होंगे जिनकी नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य क्षेत्रीय और आर्थिक हित में तथा सहकारी और देश के बैंकों के हित में की जायेगी। मूल अधिनियम की योजना के अन्तर्गत स्थानीय बोर्ड केन्द्रीय बोर्ड के निर्वाचित निदेशालय की रचना करने के प्रयोजन से निर्वाचकगण का काम करने के लिये बनाये गये थे और उनका प्रधान कार्य अंशों का हस्तांतरण करना था। बैंक ने यथा-सम्भव उनकी सेवाओं का उपयोग करने का प्रयत्न किया और अन्य कार्य समय-समय पर निश्चित कर दिये जाते थे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य उनके प्रदेश में बैंक सम्बन्धी स्थिति के बारे में था और उनकी राय बैंकों को अनुसूचित और अननुसूचित करने से सम्बन्धित सभी मामलों, नई शाखायों खोलने तथा बैंकों के विरुद्ध अन्य कार्यवाही करने के बारे में ली जाती थी, जिनको बैंकिंग समवाय अधिनियम के अधीन रिजर्व बैंक करने के लिये सशक्त था। रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हो जाने के पश्चात् सोचा गया कि ये स्थानीय बोर्ड अन्य कार्य करते रह सकते हैं किन्तु निर्वाचक-गण के रूप में कार्य करने की उनकी उपादेयता नहीं है क्योंकि रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हो जाने से केन्द्रीय बोर्ड में स्थानीय बोर्ड से किसी का निर्वाचन नहीं किया गया। अनुभव से ज्ञात हुआ है कि बहुत बड़ी संख्या में कर्मचारियों तथा उस विस्तृत तरीके से, जिसमें अब बैंक सम्बन्धी तैयार किये जाते हैं, बैंकिंग कार्य विभाग का विकास हो जाने से अब इस बात की बहुत कम सम्भावना जान पड़ती है कि इस क्षेत्र में स्थानीय बोर्ड कुछ कर सकेंगे। स्थानीय बोर्डों से परामर्श लेने के बारे में रिजर्व बैंक की इच्छा में किंचित मात्र भी कमी नहीं आई है अपितु उनकी उपादेयता ही समाप्त हो गई है। स्थानीय बोर्डों को तोड़ देने के लिये वस्तुतः सबसे पहला कदम उसके सदस्यों ने ही उठाया जिन्होंने महसूस किया है कि रिजर्व बैंक के संचालन में उनका कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं है। बैंकों से सम्बन्धित मामले जो पहले से बनाये गये सामान्य सिद्धान्तों से परे हैं, अब पूरे बोर्ड के सम्मुख रखे गये हैं जिसमें देश के सभी भागों के लोग हैं। अतः इन मामलों को निबटाने के लिये प्रादेशिक सम्मति उपलब्ध है और इस प्रयोजन के लिये अलग स्थानीय बोर्ड रखने का कोई विशेष महत्व नहीं है। चूंकि केन्द्रीय बोर्ड में विदेशकों के नामनिर्देशन की वर्तमान प्रणाली ऐसी है जिसमें भूक्षेत्रीय, आर्थिक और कृषि सम्बन्धी हितों का काफी प्रतिनिधित्व किया जाता है अतः स्थानीय बोर्डों को बनाये रखना आवश्यक नहीं है।

विधेयक के अन्य खण्ड आनुषंगिक प्रकार के हैं और मुझे आशा है कि सभा इस विधेयक को पारित करेगी।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में।

इस विधेयक के सभी प्रक्रमों के लिये आठ घंटे नियत किये गये हैं। इस समय को किस प्रकार बांटा जाये ? विचार सम्बन्धी प्रस्ताव अथवा खण्डों तक के सम्बन्ध में कोई संशोधन नहीं है। अतः हम सामान्य चर्चा के लिये छः घंटे और दो घंटे शेष प्रक्रमों के लिये रख सकते हैं।

†**श्री नि० बि० चौधरी** (घाटल) : भारत का रक्षित बैंक अधिनियम, १९३४, में संशोधन करने का यह विधेयक ऐसे समय रखा गया है जब कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिये १२०० करोड़ रुपये की घाटे की वित्त-व्यवस्था की गई है जिसके फलस्वरूप बैंकों से ऋण लेने में वृद्धि होगी और सट्टा बढ़ेगा। इस विधेयक में कुछ ऐसे उपबन्ध हैं जिनका यदि उचित उपयोग किया गया तो ऐसी अवांछित बातों को रोका जा सकेगा, परन्तु देखना यह है कि रक्षित बैंक किस प्रकार और कहां तक इन शक्तियों का उपयोग करेगा।

नोट जारी करने की प्रवृत्ति पहले ही बहुत अधिक बढ़ चुकी है और उसकी तुलना में रक्षित अनुपात कम होता जा रहा है। इसके साथ ही अनुसूचित बैंक ऋण भी बढ़ता जा रहा है। इसका मूल्य स्थिति पर कुप्रभाव पड़ चुका है।

कुछ महीने पहले सभा में पुनः पुनः इस प्रश्न के आने पर सरकार ने सट्टे के प्रयोजन के लिये ऋण बन्द करने के बारे में अनुदेश दिये थे। उसके कुछ परिणाम अवश्य निकले थे, परन्तु गड़बड़ी तो पहले ही हो चुकी थी। कल पश्चिम बंगाल सरकार को माल जमा रखने की प्रवृत्ति को रोकने के लिये शक्तियां देने के बारे में खाद्य और कृषि मंत्री श्री अ० प्र० जैन ने कहा कि इसकी आवश्यकता नहीं है। इससे मूल्य सम्बन्धी कुछ समस्याएं खड़ी हो रही है। ऐसी परिस्थिति में यह विधेयक प्रस्तुत हुआ है।

१२०० करोड़ रुपये की घाटे की वित्त व्यवस्था के कारण सरकार को रक्षित बैंक को पर्याप्त शक्तियां देनी होंगी, ताकि वह ऋण देने के बारे में बैंकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई कर सके।

खण्ड ८ में दो मूल परिवर्तनों का उपबंध है। पहला रक्षित बैंक में रक्षिक धन रखने के सिद्धान्त के बारे में है। यह सिद्धान्त संसार की केन्द्रीय बैंक प्रणाली में सर्वमान्य है। फ्रांस में भी जब कि वहां की अर्थ व्यवस्था खतरे में थी, ऐसा ही किया गया था, अब ४० प्रतिशत स्वर्ण मुद्रा या सोना और न्यूनतम ४० करोड़ रुपये की विदेशी प्रतिभूतियां रखने के स्थान पर यह उपबन्ध किया जा रहा है कि कुल आस्तियों में स्वर्ण मुद्रा और बुलियन तथा विदेशी प्रतिभूतियां क्रमशः ११५ करोड़ रुपये और ४०० करोड़ रुपये से कम नहीं होगी। हमें इस उपबन्ध पर कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु चूंकि हम अनुभव करते हैं कि पर्याप्त स्वर्ण रक्षित रखना हमारे लिये संभव नहीं होगा, इसलिये हमें आस्तियों का परम्परागत अनुपात रखना चाहिये। ऐसे समाचार प्रकाशित हुए हैं कि कलकत्ता में सूरजमल और नागरमल के घरों से बहुत सोना मिला है।

†**श्री अ० चं० गुह** : अभी इस मामले की जांच हो रही है, किन्तु माननीय सदस्य निश्चित आरोप लगा रहे हैं। ऐसा करना उचित नहीं है।

†**श्री नि० बि० चौधरी** : मैंने केवल प्रकाशित समाचारों का उल्लेख किया है।

अब मैं सोने का रुपयों में मूल्यांकन करने से संबंधित उपखण्ड को लूंगा। पहले ८·४७५१२ ग्रेन शुद्ध सोना प्रति रुपया की दर थी, अब उसे घटा कर २·८८ ग्रेन शुद्ध सोना कर दिया गया है। माननीय मंत्री का यह कथन ठीक है कि पहली दर बाजार की स्थिति के अनुसार नहीं थी। अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये हम भी शायद नवीन प्रणाली को अपना लें। इसके द्वारा हम ११५ करोड़ रुपये का अपना रक्षित धन बनाए रख सकेंगे।

इस सम्बन्ध में मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इस प्रणाली से होने वाले लाभ का वह किस प्रकार हिसाब लगायेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री नि० बी० चौधरी]

खण्ड ९ में निस्सन्देह ३० दिन और १५ दिन के समय को क्रमशः ६ महीने और ३ महीने करके आवश्यक परिवर्तन किया गया है। योजना के लिये पूंजी माल का आयात करने के लिये रक्षित धन को कुछ समय के लिये रद्द करना अनिवार्य हो सकता है। अतः समय बढ़ाने की बात युक्तियुक्त है। परन्तु इससे देश की विदेशी मुद्रा कम हो जाती है। विदेशों से ऋण की बात सुनने में आती है। इस बात का स्पष्टीकरण होना चाहिये कि क्या यह सहायता पूंजी माल के रूप में आयेगी या विदेशी मुद्रा के रूप में।

खण्ड १० में रक्षित बैंक को अनुसूचित बैंकों के बारे में कुछ शक्तियां देने का उपबन्ध है, जिसके द्वारा रक्षित बैंक अनुसूचित बैंकों को अधिक धन जमा करवाने के लिये कह सकेगा। आवश्यकतानुसार मांग दायित्व के ५ प्रतिशत और काल दायित्व के लिये २ प्रतिशत की दर को क्रमशः २० प्रतिशत और ८ प्रतिशत बढ़ाने का विचार है। यह कुछ बैंकों की सटोरियाई कार्रवाइयों को प्रोत्साहन देने की प्रवृत्ति को रोकने के लिये किया जा रहा है।

यह भी उपबन्ध है कि ऐसे बैंकों को अधिक प्रतिशत धन रखने के लिये कहा जाये, जो ठीक ढंग से न चलने वाले बैंकों के मामले में ठीक है।

ऐसा न करने वाले बैंकों से एक सप्ताह तक बैंक दर से तीन प्रतिशत अधिक सूद मांगने और उसके पश्चात् बैंक दर से पांच प्रतिशत अधिक सूद मांगने का भी उपबंध है। निश्चित विनियोग जमा न करवाने वाले बैंकों पर यह दण्ड लगाना सर्वथा उचित है।

अधिनियम में, सिद्धान्तों का पालन न करने वाले बैंकों को दण्ड देने का उपबन्ध है। परन्तु इस विधेयक में उस उपबंध में कुछ परिवर्तन कर दिया गया है। इसका क्या लाभ होगा, यह स्पष्ट नहीं है। पहले उपबन्ध के अनुसार प्रत्येक निदेशक, प्रबंधक या मंत्री को दण्ड दिया जा सकता है, परन्तु अब यह उपबंध किया जा रहा है कि दोषी निदेशक, प्रबंधक या सचिव को ही दण्ड दिया जा सकेगा। माननीय मंत्री को इस बात का स्पष्टीकरण करना चाहिये।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

माननीय मंत्री ने कहा है कि स्थानीय बोर्डों का कोई उपयोग नहीं, अतः उन्हें समाप्त करना चाहिये। कलकत्ता और मद्रास जैसे नगरों में अखिल भारतीय संस्थाओं के मुख्यालय खोलने की सुविधा भी नहीं मिलती और समस्त वित्तीय काम बम्बई में ले जाया जा रहा है। स्थानीय बोर्ड स्थानीय बैंकों और दूसरी संस्थाओं से सम्पर्क स्थापित करने में बहुत सहायक होते हैं। इस विषय में मैं विस्तारपूर्वक उत्तर चाहता हूं।

खण्ड ११ में 'कृषि-कार्यों के लिये' शब्दों को हटाने का प्रस्ताव अच्छा है, ताकि बैंक प्रान्तीय सहकारी बैंकों को दूसरे कार्यों के लिये भी धन दे सकें। यदि सहकारी संस्थाओं के अंश खरीदने का इरादा है तो निश्चय ही अच्छा विचार है। देश में ग्राम ऋण बढ़ाने और सहकारी संस्थाओं को बल देने के बारे में सभा में इतना जोर दिया जाता है, परन्तु खेद है कि इस दिशा में कुछ नहीं हो रहा है।

ग्राम ऋण सर्वेक्षण की सिफारिशों के अनुसार राज्य को सहकारी संस्थाओं या बैंकों के अंश खरीदने चाहिये ताकि उन की हालत में सुधार हो। अब इसमें उपबंध किया गया है। किन्तु किन कामों के लिये ऋण दिया जायगा, यह स्पष्ट नहीं है। क्या यह उपाय सहकारी संस्थाओं के पुनर्गठन और ग्राम ऋण की व्यवस्था के लिये किया गया है?

इस विधेयक के उपबंधों का समर्थन करते हुए भी हम अनुभव करते हैं कि कुछ दूसरे उपबंध भी इसमें होने चाहिये थे । दूसरी योजना के अनुसार इस विधेयक में कुछ मात्रा सम्बन्धी और गुण प्रकार सम्बन्धी नियंत्रण का उपबन्ध किया जाना चाहिये था । संसद् की ओर से यह निदेश होने चाहिये कि कुछ वस्तुओं में सटोरियाई कार्रवाइयां होने की अवस्था में रक्षित बैंक उनको रोकने के लिये बैंकों को निदेश दे, क्योंकि ये समाज विरोधी तत्व तूफान मचा दिया करते हैं । घाटे की वित्त व्यवस्था के बढ़ने के साथ करारोपण भी बढ़ेगा और इसका मूल्यों पर बहुत भीषण प्रभाव होगा । जब तक इसका बचाव नहीं किया जायेगा, बड़ी कठिनाइयां उत्पन्न होने की आशंका है ।

निस्सन्देह विदेशों में घाटे की वित्त व्यवस्था से विकास कार्य में प्रगति हुई है, परन्तु वहां भी विनियमन की आवश्यकता अनुभव की गई है । हमारे देश में गैर सरकारी क्षेत्र समाज के हितों की परवा नहीं करता । इसलिये जब कभी अवस्था बिगड़े, तब संसद् को वित्तीय संस्थाओं और रक्षित बैंक को निदेश देने चाहिये कि बे स्फीति को रोकने के लिये उपाय करें और देश के वित्तीय संसाधनों को देश के विकास कार्य में लगाने का उपाय करें ।

†**श्री म० शि० गुरुपादस्वामी** (मैसूर) : इस विधेयक में बड़े परिवर्तन करने का विचार किया गया है जो समाज के धन विषयक और आर्थिक ढांचे को प्रभावित करेगा ।

इसका मुख्य उद्देश्य रक्षित बैंक को सुलभ मुद्रा बनाने की पर्याप्त शक्ति देना है । सरकार को १२०० करोड़ रुपये तक नवीन धन जुटाना है ।

रक्षित बैंक ने १९५५–५६ को व्यापार, वाणिज्य और विकास की दृष्टि से संपन्न वर्ष कहा है । मैं इसे स्वीकार करता हूं । परन्तु १९५६–५७ में हम राजकोषीय और मुद्रा क्षेत्र के स्थायित्व नहीं रख सके । जो १९५५–५६ में प्राप्त किया था, वह अब हम खो रहे हैं, क्योंकि हमने बहुत अधिक धन और ऋण पैदा कर दिया है, परन्तु इसके प्रभाव को नियंत्रण करने की शक्ति हमारे पास नहीं है ।

सरकारी क्षेत्र में विकास सम्बन्धी व्यय को पूरा करने के घाटे की वित्त व्यवस्था की गई है, परन्तु धन गैर सरकारी क्षेत्र में अनुत्पादक व्यापार में खर्च हो रहा है । व्यय का नियंत्रण करने के लिये सरकार के पास कोई तंत्र नहीं है । मेरा सुझाव है कि रक्षित बैंक में इस पहलू का अध्ययन करने के लिये एक शाखा खोलनी चाहिये ।

गत वर्ष सभा में वस्तुओं के भाव गिरने के बारे में चर्चा हुई थी और अब भाव बढ़ते जा रहे हैं । परन्तु रक्षित बैंक ने इस गंभीर स्थिती को आसान समझा है पिछले वर्ष भाव में जितनी गिरावट थी, इस वर्ष भाव उतने ही अधिक बढ़ गये हैं । यह बड़ी असामान्य बात है । वित्तमंत्रालय को सोचना चाहिये कि सरकार की राजकोषीय या मुद्रा नीति में कोई गलती है, जिस कारण भावों में इतना बड़ा अन्तर हुआ है ।

पिछली योजना के अन्त में बहुत नवीन धन हमारी आर्थिक व्यवस्था में लाया गया था और इस वर्ष भी अधिक धन डाला जा रहा है, परन्तु इस धन को वापिस लेकर उपयोगी उत्पादक कार्यों में लगाने की कोई संभावना नहीं है । सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिये कि जो नवीन धन बनाया जाये वह विकास कार्यों में लगाना चाहिये, गैर-विकास कार्यों में नहीं ।

कहा जाता है कि वाणिज्यिक बैंकों के ऋणों पर रक्षित बैंक को नियंत्रण करने की पर्याप्त शक्ति है । मैं इससे सहमत नहीं हूं । सांख्यिकी से पता चलता है कि वाणिज्यिक और अनुसूचित बैंकों ने अंधाधुंध ऋण दिया है और उनकी कार्रवाइयों को रोकने के लिये रक्षित बैंक की शक्तियों का उपयोग नहीं किया गया ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[श्री. म. शि. गुरूपादस्वामी]

रिजर्व बैंक ने अपने एक विवरण में बैंकों में प्रायः होने वाली १४ त्रुटियों का उल्लेख किया है। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं। रक्षित धन की कमी, जिन ऋणों की वसूली में संदेह हो उनको पूरा करने के लिये अपर्याप्त धन तथा अति अधिक अग्रिम धन दे देना आदि। रिजर्व बैंक इनमें से किसी भी त्रुटि को दूर नहीं कर सका है। और फिर भी आप उसके अधिकारों को बढ़ाने की बात कह रहे हैं। रिजर्व बैंक प्रत्यय के विवरण पर नियंत्रण करने में पूर्णतः असफल सिद्ध हुआ है। मुझे उसमें कोई विश्वास नहीं है।

वास्तव में प्रत्यय का निर्माण और नियन्त्रण एक ही अभिकरण के हाथों में होना चाहिये। तभी हम इस समस्त धन का वांछित रूप से उपयोग कर सकते हैं। केवल ऊपरी नियंत्रण से कोई लाभ नहीं होगा। हमने जो नया धन पैदा कर दिया है उससे हमारे चलार्थ का मूल्य घट गया है और लोगों का हमारी करंसी से विश्वास उठता जा रहा है। निरन्तर कीमतें बढ़ती जा रही हैं। आज हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार कौन सा धन-मान अपनाने जा रही है? क्या वह फिर पंगु पत्र-चलार्थ मान को अपनाने जा रही है? अथवा क्या वह अब भी यह विश्वास करती है कि उसकी करंसी के पीछे सोने और संचित धन का पुष्ट आधार रहना चाहिये? आप करंसी को देश की अर्थ व्यवस्था से भिन्न नहीं रख सकते हैं, इसका आर्थिक संसार तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसका मूल्य कम होने से देश का मूल्य कम हो जाता है। और मैं नहीं चाहता हूं कि हमारे देश का मूल्य किसी भी भांति कम हो।

आप स्वर्ण तथा चलार्थ के बीच इस अनुपात को इसलिये समाप्त करना चाहत हैं कि आप विकास कार्यों के लिये रुपया बढ़ा सकें। किन्तु मैं पूछता हूं कि क्या संसार के किसी देश में इतने बड़े पैमाने पर घाटे की अर्थ-व्यवस्था का आश्रय लिया गया है। हमारे देश में पहले ही चलार्थ का मूल्य कम हो रहा है। इस पर आप इतनी बड़ी रकम और बनाने जा रहे हैं। लोगों को पहले ही नये पैसे आदि के बारे में बड़ा सन्देह हो रहा है। सब लोग बड़े शशोपंज में हैं। लोगों ने सोना खरीदना शुरू कर दिया है और परिणामस्वरूप उसकी कीमत बहुत बढ़ गई है। क्या हमारे देश में सोने की कमी है? मैं समझता हूं कि सरकार को सोने का कारोबार अपने हाथ में ले लेना चाहिये और कोलार की सोने की खानों का राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिये। इससे लोगों को करंसी में अधिक विश्वास उत्पन्न हो जायेगा।

हम राज्य-व्यापार निगम खोल रहे हैं। हमें सोने के व्यापार को उसके एकाधिकार में ले आना चाहिये। क्योंकि लोग इस समय सोना खरीद कर उसको दबाते जा रहे हैं जो कि देश के लिये बहुत बुरा है। हमारी सरकार को देश की करंसी को मजबूत बनाने पर ध्यान देना चाहिये। मैं अनुपात का समर्थन करता हूं। मैं उसको समाप्त करने के पक्ष में नहीं हूं। अगर हम अधिक नोट छापते जायेंगे तो उससे मध्यम तथा निर्धन लोगों के कष्ट और बढ़ जायेंगे, इससे केवल अमीरों की जेबें ही अधिक भरेंगी। इस सभा को इन सब बातों पर ध्यान पूर्वक विचार कर लेना चाहिये।

हां, मैं परिवर्तनशील रक्षित अनुपात के विषय में मंत्री महोदय से सहमत हूं। किन्तु उन्हें इसकी न्यूनतम तथा अधिकतम सीमा में अन्तर नहीं रखना चाहिये। अभियाचन दायित्वों के सम्बन्ध में यह सीमा १० प्रतिशत और २० प्रतिशत के बीच होनी चाहिये और सामयिक दायित्वों के सम्बन्ध में ४ प्रतिशत और ८ प्रतिशत के बीच। इससे बैंकों के प्रत्यय कार्यों में कुछ स्थिरता आ जायेगी।

सरकार का यह कहना है कि जितना रुपया बनाया जा रहा है वह बैंकों की बचत के रूप में फिर वापस आ जाता है। किन्तु मैं पूछता हूं क्या उसी अनुपात में? जिस अनुपात में रुपया बनाया जाता है वह उस अनुपात में कभी वापस नहीं आता है। क्योंकि कुछ रुपया तो अनुत्पादक क्षेत्र में चला जाता है और कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर ग्रामीणों के पास बंदी हो जाता है। ग्रामीण

लोग नोटों को भी दबा लेते हैं। उनकी बक में रुपया जमा कराने आदि की आदत ही नहीं होती है। इसलिये जब तक आप रुपये के वितरण का नियन्त्रण नहीं कर सकते तब तक आप को प्रत्यय उत्पन्न करने की बात नहीं सोचनी चाहिये।

अब मैं खंड ११ पर आता हूं। इसमें सहकारी बैंकों तथा संस्थाओं को ग्रामीण लोगों को विशेष कर कृषकों को, अधिक से अधिक अग्रिम धन देने के लिये कहा गया है ताकि वे उनके अंश-धारी बन सकें। किन्तु इसम एक शर्त रखी गई है कि प्रत्येक सहकारी संस्था को तभी नया ऋण मिल सकेगा जब कि वह अपना पुराना ऋण पूर्णतया चुका देगी। अब मान लीजिये किसी सहकारी संस्था का कोई सदस्य किसी कारण से अपना ऋण नहीं चुका सकता है। जब तक वह ऋण नहीं चुका देगा वह संस्था किसी सहकारी बैंक से ऋण नहीं ले सकेगी। इस प्रकार एक व्यक्ति के कारण सारी संस्था का काम ठप हो जायेगा। आपको ऐसा उपबन्ध नहीं बनाना चाहिये। ऐसी दशा में धीरे-धीरे ऋण इकट्ठा किया जा सकता है। इसमें इस प्रकार की अड़चनें नहीं डालनी चाहिये। वरना आप का कृषकों की सहायता करने का उद्देश्य धरा धराया रह जायेगा। दूसरे, आपको अंशों (शेयरों) की कीमत भी बहुत कम कर देनी चाहिये। आप ८ आने या १ रुपये के शेयर रखिये। इससे आपको लोगों के पास बचने वाला रुपया अधिक से अधिक मात्रा में मिल सकेगा।

मुझे ऐसा लग रहा है कि आप वित्तीय बौखलाहट के कारण इस प्रकार के प्रयोग कर रहे हैं। इससे देश की अर्थ व्यवस्था को तनिक भी लाभ नहीं होगा और हम अप्रावधानता से पत्र-चलार्थ पर पहुंच जायेंगे। आपको विदेशी विनिमय में बड़ी कठिनाइयां उत्पन्न हो जायेंगी। देश में पहले ही बड़ी मुद्रा-स्फीति हो रही है और इस प्रकार से बढ़ाया गया प्रत्येक रुपया डेढ़ गुणा प्रत्यय को पैदा करता है। इस प्रकार हमें इतने बड़े पैमाने पर घाटे की अर्थ-व्यवस्था का आश्रय नहीं लेना चाहिये। अन्यथा १९६० तक सारे देश में नोटों की एक बाढ़ सी आ जायेगी। तब सारे नोट गांधियन नोटों की तरह हो जायेंगे जिनका विनिमय मूल्य कुछ भी नहीं रहेगा। मैं अपने आयोजकों से अपील करता हूं कि उन्हें यह देखना चाहिये कि प्रथम योजना की समाप्ति पर लोगों के रहन-सहन के स्तर में तथा राष्ट्रीय आय में—वास्तव में भौतिक पदार्थों की दृष्टि से—क्या अनुपात था? तब उन्हें पता लगेगा कि वह कितने भ्रम में हैं।

अन्त में मैं यह कहूंगा कि पर्याप्त परित्राणों के बिना आपको रिजर्व बैंक के अधिकार नहीं बढ़ाने चाहिये। वरना देश की करंसी व्यवस्था में एक प्रलय मच जायेगी।

†**श्री ग० ध० सोमानी** (नागौर-पाली) : इस विधेयक द्वारा दो मुख्य परिवर्तन होंगे। एक तो वर्तमान अनुपातिक संचिति प्रथा के स्थान पर एक निश्चित न्यूनतम रखने की प्रथा अपना ली जायेगी और दूसरे रिजर्व बैंक को कमर्शल बैंकों की वर्तमान अपेक्षित न्यूनतम रक्षित राशि को चार गुना तक बढ़ाने का अधिकार मिल जायेगा। इस समय हम जितनी करंसी छापते हैं उसके ४० प्रतिशत के बराबर सोना तथा विदेशी प्रत्याभूतियां रक्षित धन के रूप में रख लेते हैं। किन्तु हम अब इस अनुपात को हटा कर एक निश्चित न्यूनतम ५१५ करोड़ रुपये के बराबर ही ये वस्तुएं रक्षित धन के रूप में रखेंगे। इसके विरुद्ध हम चाहे कितनी भी करंसी छापते रहें, उसकी कोई सीमा नहीं है।

इस प्रश्न के दो पहलू हैं। एक तो निराशावादी दृष्टिकोण कि इससे मुद्रा-स्फीति बहुत बढ़ जायेगी, वस्तुओं की कीमतें बढ़ जायेंगी आदि। इन सब का उल्लेख श्री गुरुपादस्वामी ने बड़े विस्तार से कर दिया है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री० ग० ० सोमानी]

दूसरा दृष्टिकोण हमारे मंत्री महोदय ने हमारे सामने रखा है । उनका कहना है कि रिजर्व बैंक योजना की सम्पूर्ण अवधि में वर्तमान अनुपात से केवल १८९ करोड़ रुपया और बढ़ा सकता है, जब कि देश के विकास कार्यों के लिये हमें १२०० करोड़ रुपये की आवश्यकता है । अगर उसको अधिक शक्तियां नहीं दी जाती हैं तो सारा विकास कार्य ठप हो जायेगा ।

मैं अपने पहले वक्ता के इस विचार से सहमत नहीं हूं कि रिजर्व बैंक मुद्रा-स्फीति के प्रभावों को रोकने में असफल सिद्ध हुआ है तथा उसे इसके प्रभावों का कुछ भी ज्ञान नहीं है । रिजर्व बैंक ने कोरिया के युद्ध के पश्चात् होने वाले मुद्रास्फीति के प्रभाव को अपनी नीति से बड़ी कुशलता से काबू में रखा था । उसका उस समय का कार्य बड़ा सराहनीय था । अतः हम यह नहीं कह सकते कि वह ऐसी परिस्थितियों का सामना करने में असफल हुआ है ।

अभी हाल में भी उसने कमर्शल बैंकों को खाद्यान्नों के लिये अन्धाधुन्ध अग्रिम धन न देने का निर्देश देकर बड़ा अच्छा कार्य किया है ।

अतः यह कहना ठीक नहीं है कि यह संशोधन सरकार के मार्ग में अड़चन पैदा करेगा । यदि हमें अपनी विकास योजनाओं के साथ आगे बढ़ना है तो इस विधेयक में प्रस्तावित संशोधन को स्वीकार करना होगा क्योंकि हमारी मुद्रा का विस्तार अनिवार्य है ।

जहां तक स्वर्ण के पुनर्मूल्यन का प्रश्न है, उससे भारत के रिजर्व बैंक की धनराशि में वृद्धि होगी । अभी नोट जारी करने पर जो ४० प्रतिशत संचिति रखने का अनुपात है उसे बीस पच्चीस प्रतिशत तक रखना उचित हो सकता है, किन्तु न्यूनतम सीमा केवल ५१५ करोड़ रुपये तक ही सीमित रखना ठीक नहीं होगा । हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि हमारे रुपये की यहां तथा यहां से बाहर जो स्वस्थ स्थिति बनी हुई है उसमें कोई फर्क न आने पाये । रुपये की स्थिति सुदृढ़ रहने से देशी और विदेशी सब लोगों को सरकार के प्रति विश्वास रहता है ।

इस समय पश्चिमी एशिया में हमारे रुपये का अधिक आदर है और कुछ स्थानों पर राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी उसका प्रयोग किया जाता है । हमें अपनी स्थिति अधिकाधिक दृढ़ करने का प्रयत्न करना चाहिये, इसीलिये मैं इस बात पर जोर दे रहा हूं कि नोट जारी करने और रिजर्व बैंक की धन राशि में एक अच्छा अनुपात होना चाहिये ।

अब मैं खण्ड १० के बारे में कुछ शब्द कहना चाहता हूं । रिजर्व बैंक को तो पहले ही बहुत से अधिकार प्राप्त हैं । वह जब भी चाहे सूद की दर बढ़ा कर अधिक ऋण देने के कार्य को रोक सकता है इसीलिये समस्त वाणिज्यिक (कमर्शल) बैंक रिजर्व बैंक के आधार पर अपनी नीति निर्धारित करते हैं । किन्तु अब इस विधेयक में यह उपबन्ध किये जा रहे हैं कि वाणिज्यिक बैंकों की न्यूनतम धनराशि, अभियाचन दायित्व का कम से कम २० प्रतिशत हो जब कि अभी वह केवल ५ प्रतिशत है और सामयिक दायित्व का ८ प्रतिशत हो जब कि अभी वह केवल २ प्रतिशत है । इसका अर्थ यह है कि उनका दायित्व चौगुना बढ़ाया जा रहा है । मैं इसे वांछित नहीं समझता । यह उपबन्ध वाणिज्यिक बैंकों के हित में नहीं होगा । अधिकांश बैंकों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और विशेषतः जब ऋण देने का मौका आता है उस समय और भी दिक्कत होगी । जब रिजर्व बैंक के पास काफी शक्तियां हैं तो फिर इस उपबन्ध की क्या आवश्यकता है, और यदि दायित्व को बढ़ाया भी जाये तो उसे वर्तमान अनुपात के चौगुना बढ़ाने के स्थान पर केवल दुगना बढ़ाया जाना चाहिये ।

सूद पर ऋण लेने के लिये वाणिज्यिक बैंकों को रिजर्व बैंक में कुछ राशि जमा करानी पड़ती है और फिर उन्हें ऋण दिया जाता है । इस विषय में मुझे केवल यही कहना है कि सूद की दर उदार होनी चाहिये ।

अंत में, मैं स्थानीय बोर्डों के बारे में यह कह कर अपना स्थान ग्रहण करता हूं कि उन्हें हटाया नहीं जाना चाहिये क्योंकि प्रादेशिक प्रतिनिधित्व के कारण उनका रहना आवश्यक है। मैं आशा करता हूं कि इन बातों पर ध्यान दिया जायेगा।

†**श्री व० बा० गांधी** (बम्बई नगर–उत्तर) : यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है और मैं इसके बारे में माननीय वित्त मंत्री की प्रशंसा किये बिना नहीं रह सकता। वैसे तो मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं किन्तु मैं चाहता हूं कि इसमें कुछ परिवर्तन होने चाहिये।

सबसे पहली बात तो यह है कि सरकार को अपनी इच्छानुसार मुद्रा-विस्तार की स्वतन्त्रता नहीं दी जानी चाहिये। कनाडा, ब्रिटेन आदि अन्य देशों में तो वहां के बैंकों में जो बृहत् धनराशि जमा है उससे उनका काफी काम चलता है किन्तु हमारे देश में सरकारी धन-राशि पर ही अधिकांश कार्य चलता है और बैंकों के धन पर बहुत कम लोग निर्भर हैं?

मैं चाहता हूं कि रिजर्व बैंक को यह भी अधिकार होना चाहिये कि वह वित्त मंत्री से यदि आवश्यक समझे तो यह कह सके कि अधिक नोट जारी नहीं किये जा सकते। ऐसी स्थिति में वित्त मंत्री को संसद् के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा और संसद् का सरकार पर नियंत्रण रह सकेगा जो वित्त सम्बन्धी बातों के लिये आवश्यक है।

अब मैं विधेयक के उपबन्धों के बारे में कुछ शब्द कहना चाहता हूं। वित्त मंत्री ने ठीक कहा है कि आर्थिक विकास के लिये मुद्रा में भी विस्तार होना चाहिये। हमने देखा है कि १९५२–५३ में १,११९ करोड़ रुपये के नोट जारी किये गये थे जब कि १९५५–५६ में १,४२४ करोड़ रुपये के नोट जारी किये गये।

तात्पर्य यह है कि देश के बढ़ते हुए आर्थिक विकास के साथ मुद्रा की भी वृद्धि होती है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हम राष्ट्रीय आय में २५ प्रतिशत वृद्धि करना चाहते हैं। अतः हमें अधिक मुद्रा की जरूरत होगी। घाटे के बजट की व्यवस्था से केवल १२ अरब रुपये प्राप्त होंगे, जब कि पंचवर्षीय योजना में लगभग २५ अरब रुपये के नोट जारी किये जायेंगे। हमें लगभग १० अरब रुपये की कमी स्वर्ण अथवा विदेशी प्रतिभूतियों के द्वारा पूरी करनी पड़ेगी।

इस समय पौंड पावने में हमारा केवल ७५० अरब रुपया है, किन्तु हमारी विकास योजनाओं के लिये हमें बहुत सा माल आयात करना पड़ेगा। इस प्रकार हमारी जो रकम पौंड पावने में जमा है वह घट जायेगी। अतः सरकार के लिये यह आवश्यक है कि वह मुद्रा में वृद्धि करे। किन्तु इसके लिये, जिस रूप में इस विधेयक में उपबन्ध किया गया है उसमें कुछ परिवर्तन किये जाने चाहिये और रिजर्व बैंक में जमा की गई धनराशि में और जारी किये गये नोटों में कुछ अनुपात रहना चाहिये। यदि हम इस अनुपात को २/५ के बजाय १/५ कर दें तो २५ अरब रुपये के नोट जारी करना संभव हो सकता है।

सरकार के पास इस समय ५ अरब १५ करोड़ रुपये की संचिति है जिसके आधार पर उसने १५ अरब रुपयों के नोट जारी कर रखे हैं तथा और कितनी ही राशि के नोट जारी कर सकती है। यदि सरकार चाहे तो २५ अरब रुपये के नोट भी जारी कर सकती है। इतना ही नहीं बल्कि वह ५५ अरब रुपये के नोट जारी करने का भी साहस कर सकती है।

धारा ३७ के अधीन, सरकार यह उपबन्ध कर रही है कि बाणिज्यिक बैंकों को ऋण देने से पूर्व रिजर्व बैंक में जो न्यूनतम धनराशि जमा करानी पड़ती है उसका समय छः महीने रखा जाय और उसमें भी कुछ और वृद्धि की जा सकती है। किन्तु यह समय बहुत अधिक है। यदि कभी कोई अयोग्य सरकार के हाथ में शासन आ गया तो वह इस अवधि में आर्थिक दशा को बहुत कुछ बिगाड़ सकती है और संसद को उसे रोकने का तब तक अवसर भी नहीं मिलेगा?

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री व० बा० गांधी]

समय के भीतर धनराशि जमा न होने पर रिजर्व बैंक द्वारा अन्य वाणिज्यिक बैंकों पर पहले जो कर लगाया जाता था, वह अब इस विधेयक के उपबन्ध के अधीन हटाया जा रहा है। किन्तु मैं चाहता हूं कि इस प्रकार का नियंत्रण रहना अत्यन्त आवश्यक है।

आजकल हम देखते हैं कि चल मुद्रा की पृष्ठभूमि में जो रिजर्व बैंक की संचिति है उसे अधिक महत्त्व नहीं दिया जाता। फिर भी हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि उसी संचिति के द्वारा जनता को सरकार पर विश्वास रहता है अन्यथा यदि हम अभी एकदम से ५५ अरब रुपये के नोट जारी कर दें तो क्या उससे लोगों में अविश्वास उत्पन्न नहीं होगा ? प्रथम विश्व युद्ध के बाद रूस, आस्ट्रिया और जर्मनी की जो दशा लोगों का अविश्वास पैदा होने के कारण हुई है वह सब को विदित है।

खण्ड १० के अधीन भारत का रक्षित बैंक अधिनियम में संशोधन किये जायेंगे। रिजर्व बैंक को ऋण देने तथा उस पर नियंत्रण रखने सम्बन्धी बहुत शक्तियां दी जा रही हैं। मैं आशा करता हूं कि रिजर्व बैंक उनका बहुत सोच समझ कर प्रयोग करेगा।

†**श्री जोकीम आल्वा** (कनारा) : सब से पहले तो मैं यह कहना चाहता हूं कि भारत के रिजर्व बैंक ने देश की आर्थिक दशा को सुदृढ़ बनाने में सबसे अधिक योग दिया है और साथही माननीय वित्त मंत्री ने भी रिजर्व बैंक की स्थिति सुधारने में प्रमुख भाग लिया है।

फिर भी हमें यह ध्यान रहना चाहिये कि अभी राष्ट्र की अनेक समस्यायें ऐसी हैं जिनको हल करने में रिजर्व बैंक से काफी सहायता लेनी होगी। मेरी धारणा तो यह है कि रिजर्व बैंक में जो धनराशि जमा है वह यथावत् रहनी चाहिये और उससे छेड़छाड़ करने से हमारा अहित हो सकता है। माननीय वित्त मंत्री ने कहा कि यदि आवश्यक हो तो रिजर्व बैंक में से एक अरब रुपया निकाला जा सकता है। मैं तो समझता हूं कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिये। इतना ही नहीं बल्कि समस्त वाणिज्यिक बैंकों पर भी कठोर नियंत्रण होना चाहिये ताकि वे सरकार को और जनता को किसी रूप में धोखा न दे सकें।

रिजर्व बैंक ने अनेक काम बड़े महत्त्वपूर्ण किये हैं। उदाहरण के लिये उसने अपने कर्मचारियों के लिये आवास का प्रबन्ध किया जब कि अन्य पैसे वाले विदेशी बैंकों ने केवल गोरे कर्मचारियों को छोड़ कर अपने अन्य अल्पवेतन वाले कर्मचारियों की सुविधाओं की ओर कोई कदम नहीं उठाया है। क्लर्कों को तथा भारतीय पदाधिकारियों को क्वार्टर नहीं दिये गये हैं। अतः यदि हम एक कल्याणकारी राज्य बनाना चाहत हैं तो यह सब सुविधायें देनी चाहिये।

अब मैं सोने के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। तीस वर्ष पूर्व रूस में केवल वही सोना तथा जवाहिरात थे जो कि जार तथा जारिना के द्वारा पहने जाते थे। परन्तु आज सोने के सम्बन्ध में, उस देश का विश्व में दूसरा स्थान है। आज रूस ८० से १५० लाख औंस सोने का प्रति वर्ष उत्पादन कर रहा है। हम भारत में सोने के अधिक उत्पादन की समस्या पर विचार न करके इस समस्या पर विचार कर रहे हैं कि सोने की खानों पर अंग्रेजों का अथवा हमारे कल्याणकारी राज्य का नियंत्रण रहे तथा रिजर्व बैंक की सोने की संचिति को कम करने के सम्बन्ध में विचार कर रहे हैं जब कि दूसरी ओर द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हम अपनी अर्थ-व्यवस्था बढ़ाने की भी सोच रहे हैं। इसलिये कभी ऐसा समय न आ जाये जब सोने की संचिति कम होते होते एकदम समाप्त हो जाये।

रूस में २,००० लाख औंस सोने की रक्षिति है। यह इसलिये है क्योंकि वहां के अर्थ शास्त्री जितने अपने क्रान्तिकारियों के प्रति सावधान हैं उतने ही वह अपनी सोने की रक्षिति के सम्बन्ध में सावधान हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

१९५४ में हमारे देश में २३९,१६२ औंस सोना उत्पादित हुआ था। १९५५ में २१०,८८० औंस भारत के पास था। सौभाग्य से मैसूर एक बड़ा राज्य बनने जा रहा है। उसे सोने का उत्पादन बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिये। क्या रिजर्व बैंक का यह कर्त्तव्य नहीं है कि वह सोने का देश में सर्वेक्षण कराये तथा इससे उत्पादन को बढ़ाने में सहायता दे? मैं इस पर इसलिये बल दे रहा हूं कि इस पर किसी का ध्यान नहीं गया है। सोने के सम्बन्ध में हमारा स्थान निम्नतम है तथा यह तब तक ठीक नहीं हो सकेगा जब तक रिजर्व बैंक इस प्रश्न पर विचार नहीं करेगा। इसलिये मेरी वित्त मंत्री से प्रार्थना है कि वह देखें कि रिजर्व बैंक हमारी राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के सभी पहलुओं पर विचार करे तथा देश के सोने के सभी स्थानों की खोज करे जिससे हमारे सोना उत्पादन तथा संचिति के आंकड़े बढ़ जायें।

अब मैं विदेशी बैंकों की कार्यवाहियों के सम्बन्ध में कुछ बताना चाहता हूं। मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि ब्रिटेन दुर्गापुर इस्पात कारखाने को २० करोड़ रुपया अग्रिम धन दे रहा है। अमेरिका खाद्य परियोजनाओं को ४० करोड़ रुपये दे रहा है। रूस भिलाई इस्पात कारखाने के लिये ६३ करोड़ रुपये दे रहा है। रूस संभवतया अधिक धन दे सकता है क्योंकि उनके पास पर्याप्त सोना है। हमारे देश में इतने चोरबाजारी करने वाले हैं कि वह देश का हित न देखकर निजी लाभ को अधिक महत्त्व देते हैं। मैं इस सम्बन्ध में इसलिये अधिक उत्सुक हूं कि जब तक हम चोर बाजार करने वालों पर नियंत्रण की व्यवस्था नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं।

हमारे रिजर्व बैंक का यह कर्त्तव्य है कि वह विदेशी बैंकों पर भी नियंत्रण लगाये। आज के 'टाइम्स आफ इंडिया' में एक समाचार प्रकाशित हुआ है कि पूर्वी नाइजीरिया के प्रधान मंत्री ने श्री ए० टी० लेनौक्स बौयड, औपनिवेशिक सचिव, पर मानहानि, हस्तक्षेप आदि का आरोप लगाया। और कहा कि वह एक ब्रिटिश बैंकिंग कम्पनी को संरक्षण देना चाहते थे तथा हम जहां चाहें वहां अपना धन रखने के लिये स्वतन्त्र नहीं थे। आप इस उदाहरण से अपनी स्थिति देख सकते हैं। हम जानते हैं कि कम से कम वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने इस सम्बन्ध में कार्य प्रारम्भ कर दिया है। विदेशी बैंकों के पदाधिकारियों के पारिश्रमिक देशी बैंकों के पदाधिकारियों के पारिश्रमिकों से बहुत अधिक हैं। तथा इन्हीं बातों से यह जानकारी होती है कि इन बैंकों में कितना अधिक धन जमा है। इन्हीं सब बातों का ध्यान रिजर्व बैंक को रखना चाहिये। रिजर्व बैंक, जब देशी बैंकों को अव्यवस्था के आधार पर बन्द कर सकता है तब उसे विदेशी बैंकों से यह भी पूछना चाहिये कि वह भारतीयकरण के सम्बन्ध में क्या कर रहे हैं। एकाउन्टैन्ट, लिपिक आदि उनमें भारतीय हो सकते हैं, परन्तु ऊंचे पदों पर अब भी विदेशी हैं। और इस प्रकार देश का काफी धन विदेशों में जा रहा है। इसलिये मैं यही कहना चाहता हूं कि रिजर्व बैंक को विदेशी बैंकों पर नियंत्रण लगाना चाहिये। मैं यह अपने सब पड़ौसी देशों के बैंकों के सम्बन्ध में नहीं कह रहा हूं मेरा यह कहना पाकिस्तान तथा चीन के बैंकों को छोड़कर ११ अन्य बैंकों के सम्बन्ध में है।

फिर, इसका क्या कारण है कि रिजर्व बैंक भारतीय बैंकों को विदेशों में विदेशी मुद्रा सम्बन्धी कार्यवाइयों की अनुज्ञप्तियां देने में उदारता नहीं बरत रहा है? यदि मैं विदेश में कोई काम करना चाहता हूं तो मुझे विदेशी बैंक में जाना पड़ता है तथा उसका कमीशन उनको मिलता है। हो सकता है कि कुछेक भारतीय बैंकों को विदेशी विनिमय सम्बन्धी कार्यों के लिये अनुमति दे दी गयी हो लेकिन इनकी संख्या केवल ६५ में से ५ है। क्या शेष ६० में से कोई भारतीय बैंक इस योग्य नहीं है? इसी के परिणामस्वरूप कई लाख पौंड की हमें हानि होती है। क्या आपको भारतीय बैंकों में विश्वास नहीं है? मेरा विचार है कि कम से कम २४ बैंक हैं जो विदेशी विनिमय कार्य कर सकते हैं। मेरा विचार था कि हमारे वित्त मंत्री इस सम्बन्ध में कुछ करेंगे जिससे हमारी अर्थ व्यवस्था के निर्माण में कुछ सहायता हो सके तथा देश का गौरव बढे; परन्तु मुझे खेद है कि उन्होंने इस सम्बन्ध में कुछ नहीं किया है।

[श्री जोकिम आल्व]

मैंने यह सब बातें इसलिये बताई हैं जिससे रिजर्व बैंक इनका ध्यान रखे। जब बैंक आफ इंगलैण्ड तथा बैंक आफ अमेरिका अपना कार्य समुचित रूप से कर सकता है तब हमारा रिजर्व बैंक इतना महत्त्वपूर्ण कार्य क्यों नहीं कर सकता, यह मेरी समझ में नहीं आता। मेरी समझ में तो यह सब हमारे स्टर्लिंग ब्लाक में रहने के कारण हैं। स्वतन्त्रता से पूर्व इंग्लैंड ने प्रतिरक्षा तथा वित्त विभागों का इतनी कठोरता से प्रबन्ध किया कि अपनी एक पाई भी उन्होंने व्यर्थ नहीं जाने दी। तथा स्वतन्त्रता के पश्चात् हम उनके प्रभाव में हैं ही। मैं यह चाहता हूं कि भारत के रिजर्व बैंक को इस सम्बन्ध में भी कुछ कार्य करना चाहिये तथा अपना अलग ब्लाक बनाना चाहिये जो कैरो से टोकियो तक का हो। मैं यही चाहता हूं कि विदेशी बैंकों की देखभाल रखी जाये तथा प्रार्थना करता हूं कि हमारे देशी बैंकों को विदेशी विनिमय कार्य करने के सम्बन्ध में सहायता दी जाये।

अन्त में मैं, यह कहना चाहता हूं कि मैं नहीं जानता कि रिजर्व बैंक के पास इसका निर्णय करने का समय है अथवा नहीं कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो। यदि माननीय वित्त मंत्री बीमा समवायों के राष्ट्रीयकरण की नीति अपना सकते हैं तो मेरे विचार से अब ऐसा समय है कि बकों का राष्ट्रीयकरण किया जाये।

†**श्री बर्मन** (उत्तर बंगाल–रक्षित–अनुसूचित जातियां) : मैं वित्तीय समस्याओं के सम्बन्ध में कुछ न कह कर केवल कुछ शब्द विधेयक के आर्थिक तथा सामाजिक प्रभावों के सम्बन्ध में कहूंगा। इस विधेयक के उद्देश्य तथा कारण के विवरण में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में कहा गया है कि आयोजित आर्थिक विकास में अधिक नोटों का जारी होना अनिवार्य है। जिसका यह अर्थ है कि मंत्रालय सोने की संचिति का पुनर्मूल्यन करने जा रहे हैं।

इस समय जितना रिजर्व बैंक में सोना हो उसके एक निश्चित अनुपात में, नोट जारी किये जा सकते हैं। मंत्रालय चाहता है कि उसको इस अनुपात से छूट दी जाये परन्तु जहां तक सोने का सम्बन्ध है, सोने का मूल्य आज के मूल्य पर निर्धारित किया जा रहा है जो कि अब ६३ रुपये है जब कि पुराना मूल्य २१ रुपये था। कुछ माननीय सदस्यों की यह धारणा है कि यदि मंत्रालय को यह छूट दे दी गई तो इससे मुद्रास्फिति हो जायेगी।

हमें यह समझना चाहिये कि जिस समय अनुपात निर्धारित किया गया था तथा अब इस विधेयक के समय में बड़ा अन्तर है। जब यह अनुपात निश्चित किया गया था उस समय ऐसी सरकार थी जो जनता के प्रति प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार नहीं थी। अब सरकार जनता के प्रति जिम्मेदार है तथा हमें अपने मंत्रालय पर विश्वास करना चाहिये जो कि सरकार तथा जनता के प्रतिनिधियों का एक अंग है। इसलिये हमें यह नहीं सोचना चाहिये कि चलार्थ की इस अनुपात से विमुक्ति हो जाने पर देश में अशांति हो जायगी।

मेरे से पूर्व वक्ता ने सोने की संचिति के बारे में बताया तथा यह कहा कि जिन देशों के पास सोना है वही हमारी सहायता कर रहे हैं। मेरे विचार भिन्न हैं। रूस हमारी सहायता सोने के कारण नहीं कर रहा है अपितु वह अपनी उत्पादन क्षमता के कारण कर रहा है। इसलिये यदि हम अपने सोने को अलमारी आदि में बन्द कर के रखते हैं तो वह सोना तो लोहे के समान हो जायेगा। इसलिये मेरे विचार से अधिक संचिति रखने से कोई लाभ नहीं है।

मैं सर डेनियल हैमिल्टन की जमीदारी गोसाबा देखने गया था। मुझे वहां जानकारी हुई कि उन्होंने गोसाबा में एक रुपये का नोट चला रखा है तथा उसका आदान-प्रदान इस प्रकार है कि वह मजदूरों को पारिश्रमिक अपने नोट के रूप में दे देतें हैं तथा यह मजदूर किराया आदि देने

†मूल अंग्रेजी में।

के समय उन्हीं नोटों को जमीन्दार को दे देते हैं। इस प्रकार यह एक माध्यम है। हमें स्वर्ण-प्रमाप आदि के चक्कर में नहीं फंसना चाहिये। हमें इस रूप में केवल एक न्यूनतम राशि ही रक्षित रखनी चाहिये जिससे कि हम विदेशी विनिमय आदि के कार्य पूरे कर सकें। इसके अतिरिक्त इसका और कोई महत्त्व नहीं है। अतः यह संशोधन बड़ा आवश्यक है।

जहां तक चलार्थ का सम्बन्ध है, वह अपने आप ही कोई खराब प्रभाव नहीं डाल सकता है। यदि चलार्थ का उपयोग धन की उत्पत्ति के लिये किया जाये और धन का ठीक उपयोग हो तो मुद्रा स्फीति का कोई भय नहीं होता। चलार्थ अपना कार्य करके पुनः अपने स्थान को लौट सकता है। इस समय सरकार देश की जनशक्ति को देश के धन का उचित उपयोग करने के लिये प्रयोग में लाना चाहती है। अगर हम इस रुपये का मितव्ययता से प्रयोग करें और किसी प्रकार का अपव्यय न होने दें तो मुद्रा-स्फीति का कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ सकता है।

मंत्रालय ने कमर्शल बैंकों पर नियन्त्रण करने के लिये यह बड़ा अच्छा तरीका सोचा है। मैं इसका समर्थन करता हूं। किन्तु इतना ही पर्याप्त नहीं है। आप को इम्पीरियल बैंक की तरह सभी कमर्शल बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिये। क्योंकि जब तक रुपया निजी व्यक्तियों के हाथों में रहेगा तब तक उसका ठीक-ठीक नियंत्रण नहीं किया जा सकता है। फिर यह जनता का धन है। किसी एक व्यक्ति का नहीं। अतः इसे कुछ व्यक्तियों के हाथों में नहीं रहने दिया जाना चाहिये। इन नियमों तथा विनियमों से कुछ नहीं हो सकता है।

मैं खण्ड ११ का भी पूर्णरूपेण समर्थन करता हूं। सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिये जो कुछ भी हो सकता है करना चाहिये। ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी संस्थाओं की बड़ी आवश्यकता है। सरकारी पैसे तथा सरकार द्वारा प्रशिक्षित व्यक्तियों की सहायता से ही यह संस्थाएं वहां पनप सकती हैं। अगर ग्रामवासियों को उनकी मर्जी पर ही छोड़ दिया गया तो फिर बीच के आदमी उनका शोषण करते रहेंगे। देश के विकास के साथ साथ ग्रामों का विकास बड़ा आवश्यक है।

मैं इस विधेयक का पूर्णरूपेण समर्थन करता हूं।

†**श्री ति० सु० अ० चेट्टियार** (तिरुपुर) : पिछली दो शताब्दियों में आर्थिक सिद्धान्तों और व्यवहारों में बड़ा परिवर्तन हुआ है। पहले तो यह समझा जाता था कि रिजर्व बैंक उतने ही नोट जारी कर सकता है जितने मूल्य का सुवर्ण, चांदी या प्रतिभूतियां उसने सुरक्षित रख ली हों। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध काल में सर्जित धन का विचार प्रचलित हुआ। युद्ध से ध्वस्त सभी देश सर्जित धन को काम लाने में लग गये। लेकिन उसका भी जर्मन मार्क की भांति, बाद में दुखद परिणाम निकला। उसके लिये भी एक सीमा निर्धारित करना आवश्यक समझा गया, क्योंकि उससे मुद्रा-स्फीति हो गई और उद्योग धन्धे चौपट हो गये। इसलिये सरकार को भी सर्जित धन का सहारा लेने से पहले विचार कर लेना चाहिये। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हमने १,२०० करोड़ रुपयों के मूल्य का सर्जित धन को काम में लाने का निश्चित किया है। हमारा विचार हैं कि आज की परिस्थितियों में १,००० करोड़ रुपयों के मूल्य के सर्जित धन से मुद्रा-स्फीति की हालत पैदा नहीं होगी। मेरा विचार है कि इस सर्जित धन के साधन को हमें बुद्धिमानी के साथ सीमा के अन्दर रहते हुए ही अपनी योजना को कार्यान्वित करना चाहिये।

मूल विधेयक की धारा ३३ में आय-व्ययक की घाटे की अर्थ व्यवस्था की एक सीमा निर्धारित की गई है। उसमें कहा गया है कि कुल आस्तियों के कम से कम २/५ भाग को सुवर्ण मुद्राओं, सुवर्ण पांसों या विदेशी प्रतिभूतियों के रूप में रखा जायेगा। लेकिन, खण्ड ८ में कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। उसमें केवल सुवर्ण मुद्राओं या सुवर्ण पांसों की चरम सीमायें-११५

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री० ति० सु० अ० चेट्टियार]

करोड़ रुपये और ४०० करोड़ रुपये—निश्चित की गई हैं। इसका अर्थ तो यही हुआ कि रिजर्व बैंक में इतनी आस्तियां सुरक्षित रखने के बाद आप कितने ही घाटे की व्यवस्था का आय-व्ययक बना सकते हैं। क्या यह बुद्धिमानी होगी ? इतना ही नहीं, खण्ड ९ में विमुक्ति भी दे दी गई है। मूल धारा ३७ में तो केन्द्रीय सरकार की अनुमति से रिजर्व बैंक को पंद्रह दिनों की अवधि निर्धारित करने की शक्ति दी गई थी, लेकिन इस खण्ड में उस अवधि को छः महीनों तक बढ़ा दिया गया है। लेकिन छः महीनों में तो सारा बाजार उलट-पुलट हो सकता हैं और फिर उसे व्यवस्थित करना भी बड़ा कठिन होगा। ३०० करोड़ रुपयों के मूल्य तक की विदेशी प्रतिभूतियों को सुरक्षित रखने की व्यवस्था की गई है, लेकिन वह तो विनिमय के लिये है। पर सुवर्ण के लिये ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं रखा गया है। इन ३०० करोड़ रुपये के अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार की अनुमति से छः महीने तक अन्य संचिति कोष को मनमाना खर्च किया जा सकता हैं। इस बीच रिजर्व बैंक के गवर्नर, वित्त सचिव और वित्त मंत्री मिल कर सारे देश की अर्थ-व्यवस्था को अव्यवस्थित कर दे सकते हैं। मैं समझता हूं कि वित्तीय के मामलों में हमें अधिक सतर्कता और सावधानी से काम करना चाहिये और खण्ड ९ के द्वारा रिजर्व बैंक को इतनी विमुक्ति देना उचित नहीं होगा। यह एक ऐसा विषय ह जिसमें एक बार गलती हो जाने पर उसे शीघ्र ही सुधारा नहीं जा सकेगा और समूचे देश पर उसका प्रभाव पड़ेगा। मेरा विचार है कि ऐसी शक्ति हमें सरकार को नहीं अपितु विधान मण्डल को देनी चाहिये।

अब खण्ड १० को लीजिये। यह घाटे की अर्थ व्यवस्था की कार्यान्विति के सम्बन्ध में है। जब हमने घाटे की अर्थ-व्यवस्था को अपना ही लिया है, तो फिर हमारे यहां मुद्रा-स्फीती की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। अभी तो हम बैंकों द्वारा दिये जाने वाले अग्रिम धन पर प्रतिबन्ध लगा कर मुद्रा स्फीति को नियंत्रित करना चाहते हैं। इसके लिये हमने व्यवस्था की है कि रिजर्व बैंक खण्ड १० (क) (१) के अन्तर्गत किसी भी बैंक से उसकी मांग-दायिताओं का पांच प्रतिशत और समय-दायिताओं का दो प्रतिशत अपने यहां जमा करने को कह सकता है, साथ ही वह उनकी दरें भी बढ़ा सकता है। लेकिन इसमें भी सारा दारोमदार इसी बात पर है कि उसे कितनी बुद्धिमत्ता के साथ काम में लाया जाता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या बैंकों द्वारा रिजर्व बक में जमा किये गये इन निक्षेपों पर, चालू खाते की भांति ही, कोई ब्याज नहीं दिया जायेगा ? विभिन्न बैंकों में विभिन्न प्रथायें हैं। कुछ बैंक चालू खाते पर ब्याज देते हैं और कुछ नहीं देते हैं। ब्याज की दरें भी विभिन्न हैं। मैं जानना चाहता हूं कि रिजर्व बैंक इन बैंकों को इन निक्षेपों पर किस दर से ब्याज देगा। खण्ड में केवल इतना ही कहा गया है कि निक्षेप जमा न करने पर बैंकों को दण्ड दिया जायेगा। लेकिन जब वे अपने ऋणदाताओं को ब्याज देते हैं, तो रिजर्व बैंक को भी उन्हें ब्याज देना चाहिये। मैं इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण चाहता हूं। क्या आपका मतलब यह है कि इस धन को मुद्रा-स्फीति को मिटाने के लिये ही परिचालन से हटाया जायेगा और इसलिये इस पर कोई भी ब्याज नहीं दिया जायेगा ? क्या बैंकों को किसी एक समान दर पर ब्याज दिया जायेगा ? इसके स्पष्टीकरण की आवश्यकता है।

खण्ड ३ में स्थानीय बोर्डों को हटाने की व्यवस्था की गई है। माननीय मंत्री ने कहा है कि ये स्थानीय बोर्ड मुख्यतः अंशों के हस्तान्तरण का ही कार्य करते थे और चूंकि अब सभी अंश सरकार द्वारा अर्जित कर लिये गये हैं, इसलिये अब उनकी आवश्यकता ही नहीं रह गई है। रिजर्व बैंक अधिनियम में इन स्थानीय बोर्डों का जो कार्य बताया गया है वह केन्द्रीय बोर्ड को सलाह देना और केन्द्रीय बोर्ड द्वारा सौंपे गये कार्यों को करना है।

भारत एक विशाल देश है। यह सही है कि केन्द्रीय बोर्ड पर कलकत्ता और बम्बई का ही अधिक प्रभाव पड़ता है, लेकिन फिर भी अन्य राज्यों की भी अपनी कुछ विशेष समस्यायें हो सकती हैं, विशेष व्यापारों या धन सम्बन्धी कार्यवाहियों के कुछ पहलू विशेष हो सकते हैं, और उनके लिये केन्द्रीय बोर्ड में उनका कोई प्रतिनिधित्व नहीं होगा। हमारे विशाल देश के विभिन्न भागों में आर्थिक परिस्थितियां विभिन्न हैं। इन स्थानीय बोर्डों द्वारा उनका प्रतिनिधित्व किया जा सकता

है, इसलिये उनको हटाना उचित नहीं होगा। स्थानीय बोर्डों का मुख्य कार्य अपने यहां की आर्थिक परिस्थितियों के विशेष पहलुओं का अध्ययन करके उनके बारे में केन्द्रीय बोर्ड को प्रभावशाली कार्यवाही करने के लिये सलाह देना ही है। इस पर पुनः विचार किया जाना चाहिये।

खण्ड ११ के सम्बन्ध में तो हम सभी सहमत हैं ही।

कुछ सदस्यों ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण का सुझाव दिया है। मैं बीमा व्यवसाय के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में था, लेकिन मेरा विचार है कि हमें इस कार्य में शीघ्रता नहीं करनी चाहिये। देश की जनता के आर्थिक जीवन के बड़े-बड़े पहलुओं को राष्ट्रीयकृत कर देना हमारे लिये ठीक नहीं होगा। हमें इसके लिये बहुत अधिक संख्या में योग्य व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी। अभी हमारे सरकारी अधिकारी जनता के प्रति दयालु होना नहीं सीख पाये हैं। और राष्ट्रीयकरण की कार्यान्विति हमें अपने इन वर्तमान अधिकारियों के द्वारा ही करनी पड़ेगी। इसलिये, हमें बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने से पहले लोक तंत्रात्मक अधिकारियों आदि की पृष्ठभूमि तैयार कर लेनी चाहिये।

अभी हमारे सचिव आदि सोचते हैं कि वे कोई भी कार्य कर सकते हैं। पर ऐसा नहीं है। उद्योगों आदि का कार्य बहुत ही प्रविधिक होता है और बिना काफी अनुभव के उसे नहीं चलाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में पूर्ण राष्ट्रीयकरण कर देने से हमारे मंत्रिगण भी, बिना अनुभव के अधिकारियों के हाथों के खिलौने बन जायेंगे। इसीलिये हमें राष्ट्रीयकरण से पहले उसके लिये आवश्यक पृष्ठभूमि और प्रविधिक कर्मचारी वर्ग तैयार कर लेना चाहिये।

चूंकि हमारी वित्तीय और आर्थिक कार्यवाहियों का प्रभाव सबसे अधिक जनता पर ही पड़ता है, इसलिये हमें सावधानी से काम लेना चाहिये। इन सुझावों के साथ, मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

†**श्री अय्युण्णि** (त्रिचूर) : यह सही है कि सरकार को प्रशासन और द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्य घाटे की अर्थ व्यवस्था से ही चलाना पड़ेगा। सरकार ने पश्चिमी देशों की सरकारों के अनुभव से लाभ उठाकर ४० प्रतिशत का अनुपात निश्चित कर दिया है, अर्थात् मुद्रा के रूप में १०० प्रतिशत नोट जारी करने के लिये ४० प्रतिशत चलार्थ को उपलब्ध रखना आवश्यक होगा।

इस अनुपात को बनाये रखना कठिन हो सकता है। इसलिये हमने उसे प्रतिशत अनुपात में नहीं बल्कि अंकों में कुल ५१५ करोड़ तक सीमित कर दिया है। इस सीमा तक हमारे पास सुवर्ण मुद्रायें, सुवर्ण पांसे और विदेशी प्रतिभूतियां होनी चाहिये। मेरा विचार है कि इसे भी अनुपात के रूप में रखना बेहतर होता, क्योंकि चालू नोटों का मूल्य सभी को मालूम नहीं होता है। इससे विदेशी समवाय यह सोच सकते हैं कि भारत सरकार मनमाने नोट छापती जा रही है और उसके बदले उसके पास सुरक्षित धन कुछ भी नहीं है। इसलिये इसे प्रतिशत अनुपात में दिखाना ही उत्तम होगा।

अब इस विधेयक के खण्ड १० के संशोधन को लीजिये। दक्षिण भारत में बैंक अधिक हैं। इसका कारण यही मालूम पड़ता है कि दक्षिण में मांग-निक्षेप केवल २५ प्रतिशत है और समय निक्षेप ७५ प्रतिशत, जब कि बम्बई या कलकत्ता के बैंकों में समय निक्षेप ६० प्रतिशत और मांग-निक्षेप ४० प्रतिशत है। इसके बावजूद, बैंकिंग अधिनियम की एक धारा में कहा गया है कि प्रत्येक बैंक में समय-दायिताओं या मांग-दायिताओं का कोई भी विचार किये बिना, हर हालत में २० प्रतिशत की समान दर रहनी चाहिये।

यह गलत प्रक्रिया है। अधिकांश बैंक मांग-निक्षेपों पर कोई भी व्याज नहीं देते हैं। और यदि देते भी हैं तो वह एक प्रतिशत से कम ही होता है, जब कि सावधि निक्षेप पर चार प्रतिशत तक व्याज दिया जाता है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री० अय्युण्णि]

त्रावनकोर-कोचीन और मद्रास राज्यों में तो दोनों ही के लिये इससे कहीं अधिक व्याज दिया जाता है। बैंकिंग समवाय अधिनियम की धारा २४ के अनुसार समय-दायिताओं और मांग-दायिताओं का २० प्रतिशत रक्षित रहना चाहिये। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि कलकत्ता और बम्बई के बैंकों में तो बहुत अधिक धन जमा होता रहता है, बिना व्याज के भी। लेकिन छोटे बैंकों में वैसी हालत नहीं है, और दक्षिण भारत में छोटे छोटे बैंक ही हैं। वहां १०–१२ अनुसूचित बैंकों को छोड़ कर बाकी सब एक लाख रुपये से कम पूंजीवाले ही हैं। वे ही जनता को ऋण देते हैं।

इस संशोधन में क्या कहा गया है? रिजर्व बैंक अन्य बैंकों से सावधि निक्षेप का २० प्रतिशत और मांग-निक्षेप का ४० प्रतिशत आवश्यक रूप रक्षित रखने के लिये कह सकता है। छोटे बैंकों के लिये ऐसा करना सम्भव नहीं है। इसका परिणाम तो यही निकलेगा कि त्रावनकोर-कोचीन और मद्रास के बैंकों को बन्द कर देना पड़ेगा। यह तो ठीक है कि रिजर्व बैंक ने उनके साथ अभी तक दयालुता का बर्ताव किया है और करता रहेगा, लेकिन फिर भी इन छोटे बैंकों को फिर चालू रहना कठिन होगा। ये छोटे-छोटे बैंक साधारण जनता के बैंक हैं, वे उन्हें जमा किये हुए धन से अधिक के ऋण देते हैं और माल की प्रतिभूति पर ऋण देते हैं। यह कार्य राज्य बैंक, सेन्ट्रल बैंक या इण्डियन बैंक द्वारा नहीं किया जा सकता। इन छोटे बैंकों से सभी प्रकार की जनता को लाभ होता है। ये बड़ी आसानी से व्यवसायियों, छोटे उद्योगपतियों और छोटे पैमाने के उद्योगों की सहायता कर सकते हैं। इसलिये रिजर्व बैंक के हाथ में इतनी अधिक शक्तियां देना वांछनीय नहीं है। इस प्रकार के विधेयक से विदेशी यह समझेंगे कि हमारे देश की वित्तीय परिस्थितियों में कुछ गड़बड़ी है। इस विधेयक को दो-तीन वर्ष बाद लोक सभा के समक्ष लाया जाना चाहिये था।

†**श्री अ० चं० गुह** : माननीय सदस्य कृपया खण्ड १० को देखें। वह केवल दूसरी अनुसूची के बैंकों पर ही लागू होता है। वह खण्ड त्रावनकोर-कोचीन के बैंकों पर लागू नहीं होता।

†**श्री अय्युण्णि** : मैं जानता हूं। यह सही है कि देश के उस भाग के १४२ बैंकों में से केवल १२ ही इससे प्रभावित होंगे। मैं यह समझता हूं। अब मैं केवल इन बैंकों का निर्देश कर रहा हूं। यह ठीक है कि हम अमरीका और यूरोप की कुछ बैंकिंग संस्थाओं की परम्पराओं का अनुसरण कर रहे हैं, परन्तु भारत एक विशाल देश है और यहां के लोगों के रहनसहन और कार्य करने के तरीके बिल्कुल अलग हैं। इसलिये ऐसी विधि बनाने और उसे लागू करने में बड़ी कठिनाई होगी जो सब लोगों पर समान रूप से लागू हो। देश के कुछ भागों की स्थानीय परिस्थितियों पर उसकी बड़ी गम्भीर प्रतिक्रिया होगी।

खंड १० के परन्तुक में यह व्यवस्था की गई है कि बैंक अधिसूचना द्वारा दरें बढ़ा सकता है। इसमें कहा गया है कि दर २० प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। वित्त मंत्री को इसकी ओर ध्यान देना चाहिये। उन्हें इसके परिणामस्वरूप होने वाली प्रतिक्रियाओं के बारे में विचार करना चाहिये।

[**श्री बर्मन** पीठासीन हुए]

यदि कोई अनुसूचित बैंक विधेयक के उपबन्धों के अनुसार बकाया नहीं रख पाता है तो उसे रिजर्व बैंक को साधारण दर के ऊपर ३ प्रतिशत ब्याज देना होगा। यदि किसी बैंक को एक लाख रुपये की बकाया रखनी है और उसमें ५०,००० रुपये की या २५,००० रुपये की कमी है तो उस पर उसे बाज़ार पर से तीन प्रतिशत अधिक व्याज देना होगा। परन्तु मेरी समझ में नहीं आता कि रिजर्व बैंक अन्य बातों की बजाये बकाया की ओर इतना ध्यान क्यों दे रहा है। यदि

---

†मूल अंग्रेजी में।

बैंक निम्नतम रकम बकाया में नहीं रख पाता तो उसे उस कमी को पूरा करने के लिये कुछ समय दिया जाना चाहिये जिसके पश्चात् वह अपना कारबार जारी रखे । रक्षित बक उनसे यह व्याज लें। वह उन्हें कोई सहायता नहीं देता है। त्रावनकोर में क्विलोन नेशनल बैंक जब समाप्त हो रहा था तो रिजर्व बैंक ने उसकी कोई सहायता नहीं की थी, रिजर्व बैंक को इस कमी को पूरा करने के लिये कोई अवधि निश्चित करनी चाहिये और उसके पश्चात बैंक को परिसमापित करना चाहिये। इसलिये मेरा निवेदन है कि वित्त मंत्री को बड़ी सावधानी से कार्यवाही करनी चाहिये अन्यथा विदेशों में लोगों की राय वह नहीं होगी जिसका कि वित्त मंत्री विचार कर रहे हैं।

†**पंडित सु० चं० मिश्र** (मुंगेर-उत्तर-पूर्व) : मुझसे पहले बोलने वाले सदस्य ने कहा कि सरकार नहीं जानती कि वह क्या कर रही है परन्तु मैं अनुभव करता हूं कि सरकार यह सब कुछ जान बूझ कर कर रही है। महात्मा बुद्ध के कथनानुसार उस व्यक्ति का अपराध अधिक जघन्य है जो अनजाने में अपराध करता है। अतः यदि वित्त मंत्रालय को इसकी जानकारी अमान्य न होती तो उससे देश को अधिक हानि पहुंचने का डर था परन्तु अब अधिक हानि नहीं होगी क्योंकि वित्त मंत्रालय इसकी प्रतिक्रियाओं को जानता है ।

वित्त मंत्रालय ने चलार्थ के मूल प्रयोजनों पर अवश्य विचार किया होगा। युद्ध के पश्चात हमारे पास जो संचित धन था वह खर्च हो चुका है और जनता का रक्त भी अधिकाधिक निचोड़ा जा चुका है और अब मुद्रास्फीति का आश्रय लिया जा रहा है। मैं मानता हूं कि देश का विकास हो रहा है बड़ी बड़ी परियोजनायें अस्तित्व में आ रही हैं और राष्ट्रीय सम्पत्ति बढ़ रही है, परन्तु राष्ट्रीय सम्पत्ति और साधारण मुद्रा में क्या अनुपात है। मुद्रा का अनुपात स्थावर राष्ट्रीय सम्पत्ति से नहीं बल्कि जंगम सम्पत्ति से होना चाहिये, और यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो देश को बहुत हानि पहुंचेगी। सरकार को जमा पूंजी और चालू मुद्रा के पारस्परिक अन्तर का लाभ पहले से ही प्राप्त है। परन्तु अब बिना किसी अनुपात के मुद्रा की परिमात्रा बढ़ाई जा रही है। इससे ऐसी अवस्था उत्पन्न हो जा सकती है कि एक रोटी के टुकड़े का मूल्य इस सभा भवन या एक नदी घाटी परियोजना से भी अधिक हो जाये, भूख से मर रहे व्यक्ति को चाय के एक प्याले और रोटी के एक टुकड़े की अधिक आवश्यकता होगी और यह सुंदर भवन और नदी घाटी परियोजनायें उसकी भूख को नहीं मिटा सकेंगी। दो एक दिन पहले हमने प्रश्न काल में यह सुना कि सीमेंट साधारणतः ६ रुपये या ७ रुपये के हिसाब से बिकता है। सम्भवतः उत्तर बिहार में सीमेंट के आयात पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। इसका यह परिणाम हुआ है कि वहां सीमेंट १८ रुपये बोरा बिक रहा है। प्रभावशाली व्यक्ति जो रुपया कमाना चाहते हैं वे किसी न किसी तरह सीमेंट के परमिट प्राप्त कर लेते हैं परन्तु जिन्हें वास्तव में सीमेंट की आवश्यकता होती हैं वह १२ रुपये प्रति बोरे के हिसाब से खरीदते हैं और यह सब इस कारण होता है कि मुद्रा और परिचालित वस्तुओं में ठीक अनुपात नहीं है और हम यहां बैठ कर यह कहते हैं कि राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था के लिये आयात हानिकर है। हम जर्मनी की हालत देख चुके हैं, अन्य कई देशों में भी मुद्रा स्फीति के कारण मुद्रा प्रणाली ध्वस्त हो चुकी है। मैं अपने माननीय मित्रों से, जो इसके प्रभारी हैं, निवेदन करता हूं कि उन्हें सावधानी से कार्य करना चाहिये। इससे विदेशी हमारे बारे में शायद यह भी सोचने लगें कि हमारी वर्तमान आस्तियां बेकार हो जायेंगी। जनता भी अपने आपको अरक्षित समझने लगेगी। मैं मंत्री महोदय को यह परामर्श दूंगा कि यदि वह चाहें तो लोगों से धन अर्जित करें, सम्पत्ति बढ़ायें परन्तु मुद्रा को न बढ़ायें, नहीं तो इसके परिणाम बहुत बुरे होंगे।

†**डा० ज० न० पारिख** (झालावाड़): मैं समझता हूं कि लोग सभा के समक्ष जो विधेयक हैं वह एक अल्पविकिसत देश की अर्थ व्यवस्था का विकास करने के लिये बहुत महत्वपूर्ण है जैसा कि पहले वक्ता और वित्त मंत्री ने बताया कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में घाटे की अर्थ व्यवस्था के लिये यह आवश्यक है। इससे हानि पहुंचने की भी आशंका हो सकती है, परन्तु योजना के

†मूल अंग्रेजी में।

[डा० ज० न० पारिख]

लिये वित्त की व्यवस्था करने के हेतु इस तरीके को अपनाना अनिवार्य है। वित्त मंत्री ने अपने आय व्ययक भाषण में कहा था कि हमें निष्क्रियता और स्थायित्व अथवा विकास और घाटे वाली अर्थ व्यवस्था में से किसी एक को चुनना है और मुझे आशा है कि वह महत्वाकांक्षी कार्यक्रम विशेषज्ञों द्वारा पूरा किया जाना है इसलिये खतरे की कोई बात नहीं है।

विधेयक में ऋण नियन्त्रण के लिये रिजर्व बैंक को कुछ अधिकार दिये जा रहे हैं, अनुसूचित बैंकों को कुछ समय निक्षेपों और मांग निक्षेपों की कुछ प्रतिशतता को रिजर्व बैंक के पास रखना आवश्यक है, इस अनुपात को अब बढ़ा कर २० और ८ प्रतिशत कर दिया गया है। ऐसा करना आवश्यक है। घाटे की अर्थ व्यवस्था में अतिरिक्त धन तो होगा ही। संसार के प्रायः सभी देशों में मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति बढ़ रही है, अत्यन्त आवश्यक वस्तुओं के मूल्य भी बढ़ रहे हैं। बैंक दर बढ़ाने से फालतू धन को समेटा जा सकता है और इससे मुद्रा स्फीति को भी कुछ हद तक रोका जा सकता है। भारत की स्थिति बड़ी विचित्र है। एक ओर तो हमारे समक्ष विकास का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है, बहुत सी वस्तुयें आयात की जानी हैं और दूसरी ओर यह प्रश्न है कि क्या सुलभमुद्रा नीति को अनिश्चित काल तक के लिये अपनाया जा सकता है।

धन की परिमात्रा को घटाने और ऋण नियन्त्रण के लिये परिवर्तनीय रक्षण अनुपात अत्यन्त आवश्यक है। इसके बिना मुद्रा स्फीति बहुत बढ़ जायेगी। मल्य स्तर और मूल्यों का घटना बढ़ना बहुत सी बातों पर, जैसे सरकार की नीति, आय व्ययक की नीति और कराधान आदि पर निर्भर होता है। अतः इस पहलू के बारे में बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है।

यह व्यवस्था भी की गई है कि यदि अनुसूचित बैंक के पास निक्षेप से अधिक धन हो तो रक्षित बैंक उस पर व्याज देगा।

कृषि ऋण को नियमित करने के बारे में जो त्रुटि है उसे खंड ११ द्वारा दूर किया गया है। सहकारिता आंदोलन और कृषि अर्थ व्यवस्था के लिये इस प्रकार का वित्तपोषण अत्यन्त आवश्यक है।

रिजर्व बैंक शीर्ष बैंकों और तालुका बैंकों के द्वारा कृषकों को कम ब्याज पर ऋण देता है, परन्तु कुछ राज्यों में शीर्ष बैंक, तालुका बैंक और सहकारी संस्थायें ब्याज की दर को बढ़ाती जाती हैं और इस प्रकार मूल उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है।

इस विधेयक में स्थानीय बोर्डों के समाप्त किये जाने के बारे में कहा गया है। कुछ लोगों का कहना है कि इस पर पुनः विचार किया जाना चाहिये। यह बोर्ड बहुत उपयोगी है और इनकी एक और आवश्यकता यह है कि अब भाग ख में के राज्यों के राज्य बैंकों को रिजर्व बैंक के प्रबन्ध और नियन्त्रण के अधीन कर दिया जायेगा। अतः यह बोर्ड इन बैंकों के मध्य सम्पर्क बनाये रखने का काम करेंगे। अतः इस पर पुनर्विचार करना ठीक होगा।

†**श्री अ० म० थामस** (एरणाकुलम्): यह विधान बहुत ही महत्वपूर्ण है परन्तु यह विवादस्पद नहीं है। श्री आल्वा के भाषण से ऐसा जान पड़ता था जैसे कि हम कोई अनुसूचित बात कर रहे हों; यदि मुद्रा में असीमित वृद्धि की जा रही हो तो उसके लिये सावधान करना अथवा चेतावनी देना तो ठीक होता परन्तु द्वितीय योजना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये चलार्थ ढांचे में कुछ परिवर्तन करना अनुचित नहीं है।

चलार्थ और सिक्कों के लिये रक्षित संचिति बनाये रखने के पुराने विचारों से प्रभावित कुछ सदस्यों ने कहा है कि इस विधान को दूसरे देश अच्छा नहीं समझेंगे। परन्तु आपको विदित होगा कि अमरीका जैसे देश में द्वितीय महायुद्ध में जब अपनी आर्थिक स्थिति को कठिनाई में देखा

†मूल अंग्रेजी में।

तो उस ने भी अनुपात सम्बन्धी उपबन्धों में ढील दे दी थी और रक्षित संचिति को ४० से घटा कर २५ प्रतिशत कर दिया था। अतः मेरा निवेदन है कि इस विधेयक का आर्थिक स्थायित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और न भारतीय चलार्थ अर्थात् रुपये की प्रतिष्ठा ही कम होगी।

विधेयक में चार मुख्य उपबन्ध किये गये हैं। एक रिजर्व बैंक को रक्षित संचिति के अनुपात को कम करने की शक्ति देने, दूसरा, रिजर्व बैंक को यह प्राधिकार देने कि वह अनुसूचित बैंकों को निक्षेपों की प्रतिशतता बढ़ाने के लिये बाध्य कर सके, तीसरा, उपबन्ध रिजर्व बैंक को नवनिर्मित राष्ट्रीय कृषि ऋण निधि से राज्य सहकारी बैंकों को पेशगियां योग्य बनाने और चौथा स्थानीय बोर्डों के समाप्त करने के सम्बन्ध में है। स्थानीय बोर्डों के समाप्त किये जाने के बारे में माननीय मंत्री ने जो तर्क प्रस्तुत किये हैं वे मुझे कुछ जचे नहीं। लोक सभा के बाहर भी इसकी आलोचना की गई है और कहा गया है कि जनता इसे अच्छा नहीं समझेगी।

अधिनियम में स्थानीय बोर्ड के गठन के लिये उपबन्ध किया गया है और उसके यह कार्य निर्धारित किये गये हैं :.....

> "स्थानीय बोर्ड केन्द्रीय बोर्ड को उन मामलों के बारे में परामर्श देगा जिनका निर्देश उससे सामान्यतः अथवा विशिष्ट रूप से किया जाये और ऐसे कार्य करेगा जो कि केन्द्रीय बोर्ड उसे सौंपे।"

यह बात तो समझ में आती है कि रिजर्व बैंक के राष्ट्रीयकरण से इन स्थानीय बोर्डों के कुछ कार्य समाप्त हो गये हैं किन्तु रिजर्व बैंक की विस्तृत गतिविधियों को देखते हुए मेरी समझ में नहीं आता कि स्थानीय बोर्डों का परामर्श रिजर्व बैंक के लिये उपयोगी कैसे नहीं होगा।

जब इस सदन में भारतीय राज्य बैंक विधेयक पर चर्चा हुई थी तो सदन के सभी वर्गों ने यह राय दी थी कि राज्य बैंक की कार्यकुशलता के लिये देश के विभिन्न भागों में प्रादेशिक बोर्डों का होना वांछनीय होगा। इस सिद्धान्त को सरकार ने स्वीकार किया था। इसी सिद्धान्त को सरकार ने जीवन-बीमा निगम विधेयक के सम्बन्ध में भी स्वीकार किया था। रिजर्व बैंक के कार्य अत्यन्त जटिल हैं और उनको करने के लिये स्थानीय जानकारी का होना आवश्यक है, अतः समझ में नहीं आता कि सरकार ने मौजूदा व्यवस्था को कायम रखना क्यों उचित नहीं समझा।

त्रावनकोर-कोचीन में संचिति रखे जाने के बारे में श्री अय्युणी ने जो तर्क प्रस्तुत किये उन्हें उन उपबन्धों से, जिन्हें कि हम अब विधि का रूप देने जा रहे हैं, संगत नहीं समझा गया। किन्तु उन्होंने स्थानीय बोर्डों की उपयोगिता की ओर संकेत किया क्योंकि रिजर्व बैंक को सिफारिशें करते समय उन्हें स्थानीय परिस्थिति का ध्यान रखना होगा। जहां तक त्रावनकोर-कोचीन के बैंकों का सम्बन्ध है मैं यह कह सकता हूं कि इस अधिनियम के अन्तर्गत जो स्थानीय बोर्ड स्थापित किये गये थे वे अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हुए।

मैं इस बात पर जोर देता हूं कि स्थानीय बोर्ड अत्यन्त उपयोगी कार्य करते रहे हैं। यदि सरकार को उनकी उपयोगिता के सम्बन्ध में संशय है तो मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार उन्हें अधिक शक्तियां देकर और अधिक कार्य उनको क्यों नहीं सौंपती है। मेरा ख्याल है कि सरकार यदि इस सम्बन्ध में पुनः विचार करे तो अच्छा होगा। रिजर्व बैंक में रखे जाने वाली रक्षित संचिति की प्रतिशतता के बारे में माननीय मंत्री ने यह आश्वासन दिया है कि इस अधिनियम के उपबन्धों को लागू करते समय रिजर्व बैंक द्वारा विभिन्न बैंकों की परिस्थिति पर विचार किया जायेगा और समुचित कार्यवाही की जायेगी। मैं इस आश्वासन का स्वागत करता हूं किन्तु मैं जानना चाहता हूं कि यदि इतनी अधिक प्रतिशतता रिजर्व बैंक में रखी जानी है तो बैंक अपने ग्राहकों को उचित दर पर ऋण कैसे दे सकेंगे? इस बात पर भी सरकार को विचार करना होगा। रिजर्व बैंक द्वारा विभिन्न बैंकों के सम्बन्ध में भिन्न भिन्न अनुपात निश्चित कर सकने के सम्बन्ध में उपबन्ध किये गये हैं। मेरा निवेदन है कि यह उपबन्ध वांछनीय है और उसे पक्षपात के नाम पर हटाया न जाये क्योंकि सभी बैंकों की आर्थिक स्थिति एक समान नहीं होती है।

[श्री अ० म० थामस]

राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन कार्यकाल) निधि से रिजर्व बैंक द्वारा ऋण दिये जाने के सम्बन्ध में जो उपबन्ध है उसका विरोध मेरे विचार से कोई नहीं करेगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस विधेयक के उपबन्ध आवश्यक हैं किन्तु सरकार को यह देखना चाहिये कि इन उपबन्धों को लागू करते समय रिजर्व बैंक सावधानी से काम ले। मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

†**कुमारी एनी मस्करीन** (त्रिवेन्द्रम्) : मैं विधेयक का विरोध करती हूं क्योंकि मेरी राय में यह एक अत्यन्त अदूरदर्शितापूर्ण विधान है।

हमारा राष्ट्र इस समय प्रगति के पथ पर है और मुझे आश्चर्य है कि देश के निर्माण के लिये यह सरकार सदा आर्थिक संसाधनों का आह्वान क्यों करती है। चीन और रूस जैसे देशों ने देशभक्ति की भावना के साथ श्रम के सहयोग के आधार पर अपने देशों का निर्माण किया। हम में से जिन्होंने चीन के निर्माण का ब्योरा पढ़ा है उनका ख्याल है कि मौजूदा चीन और रूस के उत्थान के लिये मानवीय सहकार्य और श्रम एक बहुत बड़ी हद तक उत्तरदायी हैं।

इस संसोधन का मैं विरोध करती हूं क्योंकि विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के विवरण में स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि संशोधन का उद्देश्य देश की संचित निधि अथवा ऋण देने की क्षमता को स्थायित्व प्रदान करना नहीं है किन्तु उसके संसाधनों को द्वितीय पंचवर्षीय योजना के नाम पर काम में लाना है। गत युद्ध के बाद हुई मुद्रा स्फीति का हमें कटु अनुभव है और हम फिर उसी गलती को दोहराने जा रहे हैं जो हमारे आर्थिक अथवा वित्तीय ढांचे, हमारी कृषि अथवा उद्योग किसी के लिये लाभदायक नहीं होगी।

सरकार का ध्यान मैं रिजर्व बैंक की ओर पुनः आकर्षित करती हूं। मैंने रिजर्व बैंक के समंकों का विस्तृत अध्ययन किया है और मैंने यह पाया है कि जो विवरण रखे गये हैं वह लेखे से मेल नहीं खाते हैं। मैंने यह बात वित्त मंत्री को बताई थी और उन्होंने उसका जो उत्तर दिया है उससे मेरा समाधान नहीं हो सका है।

सुवर्ण का पुनर्मूल्यांकन करने के लिये धारा ३३(४) में संशोधन किया जा रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि की वास्तविक दर क्या है? उक्त निधि में हमारा कितना अंश है और इंगलैण्ड तथा अमरीका के कितने अंश हैं तथा उन पर किस का नियंत्रण कैसा है? सुवर्ण की दर की प्रतिक्रिया हमारे रुपये के मूल्य पर क्या होगी? निश्चय ही इससे रुपये का अवक्षयण होगा। आवश्यकता और वास्तविकता ये दो भिन्न बातें हैं और हमें अपने कोष के बारे में बहुत सावधान रहना चाहिए।

मैं सुवर्ण तथा अन्य धातुओं के सम्बन्ध में एक-दो तथ्यों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करती हूं। इस देश में पर्यटक आते हैं और वे विशेषरूप से सुवर्ण, चांदी और यहां तक कि पीतल के बने अलंकार खरीद लेते हैं और हमें कागज का नोट पकड़ा देते हैं। इसका अर्थ यह है कि हमारे देश से ये धातुएं अन्य देशों में जा रही हैं और हमको केवल नोट मिल रहे हैं, अतः इस पर किसी न किसी प्रकार निर्बन्ध होना चाहिये।

वाणिज्य और उद्योग और आयात और निर्यात, और स्वयं देश के कोष के बारे में सरकार द्वारा जो समंक लेखे रखे जाते हैं यदि आप उन्हें देखें तो आपको ज्ञात होगा कि हमारी योजनाओं के बावजूद हमारे आयात बढ़ रहे हैं और सुवर्ण संचिति हमारे देश से बाहर जा रही है। खाद्य मंत्री अनाज आयात करने की बात कह रहे हैं, इसका अर्थ यह है कि और भी अधिक सुवर्ण हमारे देश से बाहर चला जायेगा। इस तरह के संशोधन करने और नोटों के जारी करने से हुई मुद्रा स्फीति की प्रवृत्ति की प्रतिक्रियायें इस देश के लिये विशेष लाभदायक नहीं होंगी।

---

†मूल अंग्रेजी में।

यह एक अत्यन्त खतरनाक विधान है। यदि आप यह देखें कि प्रत्येक राष्ट्र द्वारा आर्थिक संसाधनों का उपयोग किस प्रकार किया जाता है तो आपको विदित होगा कि यह एक अत्यन्त अदूरदर्शितापूर्ण कार्यवाही है।

जहां तक रिजर्व बैंक और योजना का सम्बन्ध है मेरा नम्र निवेदन है कि बैंकों को कायम रखे जाने के बारे में बैंक के उन अधिकारियों द्वारा निर्णय किया जाना चाहिये जो कि सरकार के अनुसेवी नहीं हैं। बैंक का व्यवसाय अत्यन्त नाजुक होता है और उसे नष्ट करने में देरी नहीं लगती है। इसलिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये रिजर्व बैंक के संसाधनों को काम में लाते समय पूर्ण सावधानी बरतना आवश्यक है। यदि आप प्रथम पंचवर्षीय योजना के लेखे देखें तो आप यह पायेंगे कि कई स्थानों में लेखे सही नहीं हैं और उनका स्पष्टीकरण नहीं किया गया है जब कि जन साधारण को और अधिक धन देने में अत्यन्त कठिनाई हो रही है।

मैं इस विधान का विरोध करती हूं और सरकार से मेरा अनुरोध है कि यदि वह इसे लागू करना चाहती है तो उसे अत्यन्त सावधानी रखनी चाहिये यद्यपि इसमें सन्देह नहीं कि एक न एक दिन उसे विधेयक पारित करने पर पश्चाताप होगा।

†**सभापति महोदय** : माननीय मंत्री।

†**श्री मात्तन** (तिरुवल्ला) : मेरा ख्याल था कि मुझे बोलने का अवसर मिलेगा।

†**सभापति महोदय** : माननीय सदस्य यदि बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं।

†**श्री मात्तन** : मुझे अधिक नहीं कहना है।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

श्रीमान्, मेरा निवेदन यह है कि ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक अधिवेशन के प्रारम्भ में चर्चा के लिये प्रस्तुत नहीं किये जाने चाहियें जब कि अधिकांश सदस्य किसी न किसी समिति के कार्य में व्यस्त होते हैं। मैं आशा करता हूं कि भविष्य में इस बात पर विचार किया जायेगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : अन्य विधेयकों के लिये समय नहीं है। योजना आयोग का प्रतिवेदन, राज्य पुनर्गठन विधेयक और अन्य विधेयकों में बहुत समय लग रहा है। कल ही हम कार्य मंत्रणा समिति में इस सम्बन्ध में चर्चा कर रहे थे और १०० घंटे आवंटित किये जा रहे हैं।

†**श्री मात्तन** : माननीय सदस्यों के भाषणों को सुनने के पश्चात मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकांश को यह गलत फहमी हो गई है कि नोटों का बढ़ जाना ही मुद्रा स्फीति है। इन दोनों में बहुत अंतर है। यदि देश की आर्थिक स्थिति नोटों के निर्गम का समर्थन करती है तो यह मुद्रा-स्फीति नहीं है।

माननीय महिला सदस्या ने इस विधेयक के बारे में निराशाजनक बातें कहते हुए इसका विरोध किया है और में पूर्ण विनम्रता के साथ निवेदन करता हूं कि मैं उनसे सहमत नहीं हूं। यह विधेयक देश के विकास को सुविधापूर्ण बनाने के लिये प्रस्तुत किया गया है। देश की आर्थिक स्थिति का विकास एक महत्वपूर्ण बात है और उससे अधिक महत्त्वपूर्ण बात है उसका किसी दक्ष वित्त मंत्री और रिजर्व बैंक के किसी दक्ष कार्यपालक अधिकारी द्वारा पर्यवेक्षण। इसलिये मुझे इस विधेयक के बारे में चिंता नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री मात्तन]

श्री गुरुपादस्वामी ने कहा कि इससे बैंकों के व्यवसाय को हानि पहुंचेगी किन्तु मैं उनका आशय बिलकुल नहीं समझ सका हूं। [**अंतर्बाधाएं**] उपबन्ध पूर्णतः स्पष्ट है और वह रिजर्व बैंक को अनुसूचित बैंकों द्वारा रिजर्व बैंक में रखी जाने वाली न्यनतम रक्षित संचिति को बढ़ाने की शक्ति प्रदान करता है। इस विधेयक में अर्थ दन्ड का उपबन्ध भी किया गया है। मेरा ख्याल है कि यदि रिजर्व बैंक कार्यपालक अधिकारी दक्ष है तो यह विधेयक उसे पर्याप्त शक्तियां प्रदान करता है।

†**श्री म० शि० गुरुपादस्वामी** : क्या वह दक्ष रहा है ?

†**श्री मात्तन** : यह एक अलग बात है। मैं आपको केवल यह बता रहा हूं कि इस विधेयक के उपबन्ध.... [**अन्तर्बाधा**]

†**श्री म० शि० गुरुपादस्वामी** : वाणिज्यिक बैंकों के बारे में आपका क्या ख्याल है ?

†**श्री मात्तन** : उनका कार्य बहुत अच्छा चल रहा है। मेरे मित्र श्री गुरुपादस्वामी के इस आशय के सुझाव का, कि बैंकिंग का राष्ट्रीयकरण किया जाये, मैं समर्थन नहीं करता हूं। हमें इस मामले में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह तो चर्चा का विषय नहीं है।

†**श्री मात्तन** : मैं केवल अपने मित्र के कथन का निर्देश.....

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य उन बातों की ओर ध्यान न दें जो कि चर्चा के विषय से संगत नहीं हैं।

†**श्री मात्तन** : वे चाहते थे कि बैंकिंग का पूर्ण राष्ट्रीयकरण किया जाये। मैं केवल इसी का निर्देश कर रहा था।

इस विधेयक में कोई विशेष बात नहीं है इस आशय के माननीय मंत्री के कथन से मैं पूर्णतः सहमत हूं। सुवर्ण की संचिति अथवा प्रतिभूतियों के परिमाण को घटा कर देश की आर्थिक स्थिति का संरक्षण करना आवश्यक है।

इसलिये मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

†**श्री वें० प० नायर** (चिरयिन्कील) : मैं चाहता हूं कि मेरे माननीय मित्र मेरी एक शंका का निवारण करें। श्री अय्युणि ने कहा कि जहां तक त्रावनकोर-कोचीन राज्य के बैंकों का सम्बन्ध है, मांग दायिता का समय दायिता से जो अनुपात है वह देश के अन्य भागों में प्रचलित अनुपात से भिन्न है और इससे विशेष कर त्रावनकोर-कोचीन राज्य के बैंक प्रभावित होंगे। मैं जानना चाहता हूं कि विधेयक के इस उपबन्ध के बारे में माननीय सदस्य क्या कोई सुझाव देंगे ?

†**श्री मात्तन** : कोई नया सुझाव नहीं है। केवल उन्हें शक्तियां प्रदान की जा सकती हैं।

यह एक सक्षम विधान है। आपात काल में यह किया जाना चाहिये, चाहे वह त्रावनकोर-कोचीन में हो या कहीं अन्यत्र।

†**श्री वें० प० नायर** : उनका कथन यह था कि इस उपबन्ध से त्रावनकोर-कोचीन राज्य के बैंक प्रभावित होंगे और राज्य की समूची अर्थ व्यवस्था को धक्का पहुंचेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री अ० चं० गुह** : क्या मैं अन्तरयण करके यह कह सकता हूं कि यह खंड केवल अनुसूचित बकों पर ही लागू होगा। मेरा ख्याल है कि त्रावनकोर-कोचीन राज्य के अधिकांश बैंक अनुसूचित बैंक नहीं हैं और इसलिये यह उपबन्ध उन पर लागू नहीं होगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : चूंकि और कोई माननीय सदस्य बोलना नहीं चाहते हैं इसलिये मैं माननीय मंत्री से बोलने के लिये कहता हूं।

†**श्री अ० चं० गुह** : मेरा खयाल है कि केवल तीन सदस्यों को छोड़ कर शेष सभी ने इस विधेयक का स्वागत किया है। श्री गुरुपादस्वामी ने अपने विपरीत तर्क में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के प्रति अपनी सहमति व्यक्त की है और उसका समर्थन किया है किन्तु वाणिज्यिक बैंकों की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिये राष्ट्रीयकृत रिजर्व बैंक को कुछ शक्तियां दिये जाने पर उन्हें शिकायत है। उन्हें इन बैंकों की गतिविधियों के बारे में सन्देह है। उसी दल के एक और सदस्य श्री स० चं० मिश्र ने तथा त्रावनकोर-कोचीन की माननीय महिला सदस्या ने विधेयक का विरोध किया है। माननीय महिला सदस्या ने कहा है कि रूस और चीन ने अपना विकास बिना किसी आर्थिक या राज कोषीय नीति के अथवा धन अथवा उसी प्रकार की किसी और चीज का आश्रय लिये किया है। केवल श्री मात्तन ही ऐसे नहीं हैं जो उनकी बात को नहीं समझ सके हैं किन्तु मेरा ख्याल है कि हममें से अधिकांश की समझ में उनकी बात नहीं आई है।

अब मैं विधेयक की मुख्य बातों को लेता हूं। पहले तो यह है कि जारी किये गये नोटों के निर्गम के विरुद्ध रक्षित संचिति का अनुपात आधार रखने के स्थान पर हम यहां जारी किये गये नोटों के लिये एक निश्चित संचिति का उपबन्ध कर रहे हैं। दूसरी बात रिजर्व बैंक में अनुसूचित बैंकों द्वारा रखे जाने वाले परिवर्त्तनशील संचिति निक्षेप के सम्बन्ध में है। अगली बात स्थानीय निकायों को समाप्त करने की है। वर्तमान प्रयोजन के लिये यह बात बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिये, मैं इसे विधेयक के वास्तविक उद्देश्यों से अलग रख सकता हूं।

श्री मात्तन ने कहा कि वह अनुभव करते हैं कि विधेयक के उपबन्ध बहुत लाभदायक और जरूरी है। उन्होंने उस अवस्था में, जब कि देश की अर्थ व्यवस्था का ठीक विकास हो रहा हो और रिजर्व बैंक का अधिकार सक्षम हो, दो उपबन्धों का सुझाव दिया है।

मैं श्री बर्मन की इस युक्ति की सहायता नहीं लेना चाहता कि मंत्रालय इस सदन द्वारा चना गया है और वह उसके प्रति उत्तरदायी है। तथापि यह एक आधारभूत बात है जिसे सदन को ध्यान में रखना चाहिये। इसके अतिरिक्त मैं यह कहना चाहूंगा कि भारत इस बात के लिये अभिमान कर सकता है कि इतनी कठिनाइयों और रुकावटों के बावजद भी हम अपनी राजकोषीय और अर्थनीति को सुदृढ़ रख सके हैं, अपनी राजकोषीय और आर्थिक स्थिति को समस्त संसार के आदर और प्रतिष्ठा का पात्र बनाये रख सके हैं। आज के ही समाचार पत्रों में रिजर्व बैंक द्वारा प्रस्तुत देश की आर्थिक स्थिति के पुनरीक्षण का संक्षेप प्रकाशित हुआ है। आशा है कि आप मुझे उसमें से कुछ पंक्तियों को पढ़ने की अनुमति देंगे।

"प्रमुख आर्थिक संकेतक यही बताते हैं कि इन पांच वर्षों में राष्ट्रीय आय में १८ प्रतिशत वृद्धि हुई है; औद्योगिक उत्पादन में २५ से ३० प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है; कृषि उत्पादन में २० प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जनता की अर्थ प्रदाय में १० प्रतिशत की वृद्धि हुई है; थोक भावों में १३ प्रतिशत की कमी हुई है; और औद्योगिक वर्ग के जीवन व्यय देशानांक में ५ प्रतिशत की कमी हुई है।"

†**श्री म० शि० गुरुपादस्वामी** : गत वर्ष, १९५५–५६ में क्या स्थिति थी ?

†**श्री अ० चं० गुह** : यह प्रथम योजना काल के सम्बन्ध में है। मेरा विचार है कि श्री गुरुपादस्वामी इन आंकड़ों का विरोध नहीं करेंगे।

†**श्री म० शि० गुरुपादस्वामी** : परन्तु अब स्थिति बदल गयी है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री अ० चं० गुह** : प्रथम योजनाकाल में इसे न केवल भारत में ही प्रत्युत विदेशों में भी स्वीकार किया गया है कि भारत अपनी आर्थिक स्थिति को, अन्तर्राष्ट्रीय मंडी में अपनी मुद्रा के मूल्य को और बाकी अन्य बातों को भी सुदृढ़ रखने में सफल रहा है। मैं कह सकता हूं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना अवधि में हमारी आर्थिक प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में हमने एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना बनाई है। अपने संसाधनों के दृष्टिकोण से, ४,८०० करोड़ रूपये सार्वजनिक क्षेत्र में खर्च करने और १२०० करोड रूपये घाटे की अर्थव्यवस्था के रूप में खर्च करने की योजना निश्चय ही एक महत्वाकांक्षी योजना है। यह तो हमारे आर्थिक संसाधनों के दृष्टिकोण से है। परन्तु जैसा कि सदन के सभी माननीय सदस्य जानते हैं, कि केन्द्रीय सरकार के सभी मंत्रालय और प्रत्येक राज्य सरकार अपनी मांगों को खूब बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत करती है। क्योंकि वे लोगों की शीघ्र विकास करने की उत्सुकता के प्रति जागरूक हैं। वे सभी इस बात के उत्सुक है कि भारत शीघ्र विकास करता चला जाये। इस बात का ध्यान रखते हुए वे अपनी मांगों और विकास कार्यक्रमों को प्रस्तुत करते हैं। योजना आयोग और केन्द्रीय सरकार ने इन कार्यक्रमों और वित्तीय उपलक्षणाओं को आधे से अधिक कम कर दिया है, और अब यह कम से कम काम है जिसकी मांग देश के विकास सम्बन्धी निर्माण कार्य सरकार से मांगा करेंगे। इस विकास कार्य की उपलक्षणायें इस सदन के अथवा सरकार अथवा रिजर्व बैंक सदस्यों से छिपी नहीं है। रिजर्व बैंक अपनी रिपोर्ट में फिर कहता है:—

> "यह बहुत ही महत्व की बात है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के विकास सम्बन्धी व्यय से और इस योजना के अन्तर्गत घाटे की अर्थ व्यवस्था से अत्यधिक मुद्रास्फीति की जो संभाव्यता उत्पन्न हो गई है, उसे नियंत्रण में रखा जाये। इस काम में राजकोषीय और आर्थिक नीति का काफी महत्वपूर्ण भाग होगा।"

इस प्रकार हमने दूसरी योजना और उसमें होने वाले अधिकतम खर्चे के लक्ष्य को स्वीकार कर लिया है। हमें इसमें निहित खतरे को भी स्वीकार करना चाहिये और हमें इन खतरों के पूर्व निराकरण के लिये, जिसको हम सभी अनुभव करते हैं, और जिसे रिजर्व बैंक की रिपोर्ट ने जनता के सामने रख भी दिया है, पर्याप्त कार्यवाही कर सकने योग्य साहस और शीघ्रता करनी चाहिये।

श्री गुरुपादस्वामी ने अभी अंतर्बाधा डाल कर चालू कीमतों का उल्लेख किया। पिछले तीन या चार मास में मूल्य कुछ असाधारण रूप से बढ़ गये हैं। परन्तु साथ ही मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि चालू मूल्य ढांचे की तुलना किसी भी हालत में मंदी के जमाने के मूल्यों से नहीं की जा सकती है। १९५४ के मध्य से लेकर १९५५ के अन्त तक, उनके दल की ओर से भी यह मांग की गयी थी कि कृषि सम्बन्धी वस्तुओं को मूल्य समर्थन दिया जाय, क्योंकि वे आर्थिक मूल्य से भी कम मूल्य पर बिक रही थीं। मैं यह नहीं जानता कि क्या वह यह चाहते हैं कि मूल्य इतने कम हो जायें जितने कि स्वयं उनके दल ने अनार्थिक बताये थे। कोरिया युद्ध काल की तेजी को छोड़ कर, यदि हम आज की कीमतों का १९४९, १९५०, १९५१ अथवा १९५३ की कीमतों से मुकाबला करें तो वह बहुत अधिक नहीं हैं। जनवरी १९५६ से पूर्व मूल्य १९४९, १९५० और १९५१ से चार पांच प्रतिशत कम थे। इसके बाद कुछ तेजी आई है। परन्तु वह तेजी इतनी अधिक नहीं है कि वह मेरे इलाके में रहने वाले अपने मित्रों को दुर्भिक्ष विरोध आन्दोलन चलाने को कहे। मैं नहीं जानता कि दुर्भिक्ष कहीं है भी। यह तो पवन चक्की से उलझने जैसी बात है।

विधेयक के खंडों पर चर्चा करने से पूर्व मैं कुछ और बातों को भी निपटाना चाहूंगा जो कि चर्चा करते समय सामने आई हैं। मेरे विचार में श्री आल्वा को विदेशी बैंकों की स्थिति के बारे में कुछ गलत फहमी है। एक्सचेंज व्यापार के सम्बन्ध में भी स्थिति बड़ी शीघ्रता से सुधरती

---

†मूल अंग्रेजी में।

जा रही है। विदेशी बैंकों के निक्षेप निश्चित रूप से बढ़ गये हैं परन्तु इसके साथ ही भारतीय बैंकों के निक्षेपों में भी वृद्धि हुई है। विदेशी विनिमय व्यापार को करने वाले भारतीय बैंकों की प्रतिशतता भी काफी मात्रा में बढ़ गयी है। १९४८ में भारतीय बैंक, समुचे विदेशी विनिमय व्यापार का केवल १३ प्रतिशत ही करते थे, परन्तु अब यह कार्य २५ प्रतिशत तक बढ़ गया है। इसी प्रकार डालर विनिमय व्यापार १९४८ में १८ प्रतिशत था और अब ४३ प्रतिशत है। निक्षेपों के मामले में भी, विदेशी बैंकों में निक्षेप भारतीय बैंकों के निक्षेपों की तुलना में बहुत अधिक नहीं बढ़े हैं। मैं उन्हें आश्वासन दे सकता हूं कि सरकार यह चाहती है कि भारतीय बैंक हमारे देश की अर्थ व्यवस्था में, विशेषकर विदेशी मुद्रा के व्यापार में, उचित भाग ले, परन्तु उन्होंने कहा है कि रिजर्व बैंक में विदेशी बैंकों पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये पग उठाने चाहिये। हम अठारहवीं या उनीसवीं शताब्दी में वापस नहीं जा सकते।

†**श्री जोकीम आल्वा** : मैंने यह कभी नहीं कहा। माननीय मंत्री ने ठीक समझा नहीं। उन्हें विदेशी विनिमय के मामले में भारतीय बैंकों के लिये शर्तें को उदार बनाना चाहिये और वह बताये कि भारतीय बैंकों को कितने परमिट दिये गये ?

†**श्री अ० चं० गुह** : भारतीय बैंक विदेशों में भी काम कर रहे हैं। जब भी किसी विदेश में भारतीय बैंक की शाखा खोलने के लिये प्रार्थना पत्र दिया जाता है, तो रिजर्व बैंक उस पर सहानुभूति पूर्वक विचार करता है। इस बात पर मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूं सरकार को भी इस बात की चिन्ता है और रिजर्व बैंक अवश्य सरकार की नीति को क्रियान्वित करेगा। इस प्रकार भारतीय बैंक देश की अर्थ व्यवस्था के विकास में अधिकाधिक भाग लेंगे।

संभवत: विधेयक का सब से अधिक महत्वपूर्ण और विवादास्पद उपबन्ध जारी किये गये नोटों के लिये रखी गई रक्षित संचिति से सम्बन्धित उपबन्ध है। मैं ने अपने प्रारंभिक भाषण में कहा था कि ब्रिटेन सहित बहुत से देश सुवर्ण याविदेशी प्रतिभूतियों की अनुपातिक संचिति के आधार पर अपने नोट निर्गम को सीमित नहीं कर रहे हैं। हम एक संख्या विशेष निश्चित कर सकते है। कुछ अवसरों पर, इतनी विदेशी प्रतिभूतियां रखना अनावश्यक समझा जायेगा और यह एक प्रकार का आसंचयन होगा; वे हमारे विकास कार्य के लिये अत्यावश्यक हो सकती हैं। कुछ मामलों में नोट निर्गम के लिए कुछ विदेशी प्रतिभूतियों को संचिति के रूप में रखने से देश की विकासोन्मुख अर्थ व्यवस्था में बाधा पड़ सकती है।

त्रावनकोर-कोचीन की महिला सदस्या उद्देश्य और कारणों में दी गई इस बात से सहमत हैं कि : "आयोजित आर्थिक विकास की प्रक्रिया के लिये ऋण की समस्या पैदा करना कुछ हद तक आवश्यक है....." । किन्तु वह इस बात पर सहमत नहीं है" कि इससे नोट निर्गम में वृद्धि होना अनिवार्य है।" इस सदन के अधिकांश सदस्य जानते हैं कि ऋण सामर्थ्य पैदा करने से नोट निर्गम में वृद्धि होना स्वाभाविक है और सरकार के लिये रिजर्व बैंक के नोट निर्गम सामर्थ्य पर कोई रोक लगाना उचित नहीं होगा।

मैं माननीय सदस्यों को याद दिलाना चाहता हूं कि रिजर्व बैंक और सरकार इस मामले में सावधानी से काम लेती रही है। हमने बेतहाशा नोट जारी करने के लिये संचितियों का उपयोग नहीं किया है। मैं सदन को यह आश्वासन भी दे सकता हूं कि, भविष्य में भी सरकार और रिजर्व बैंक नोट जारी करने में बहुत सावधानी से काम लेगी, यद्यपि उसके लिये अब कोई अनुपात निश्चित नहीं है। जब तक देश की अर्थ व्यवस्था के लिये नोट जारी करना आवश्यक न हो, वह ऐसा नहीं करेगी। ऋण सामर्थ्य पैदा करने के जो खतरे हैं, हम उन्हें जानते हैं रिजर्व बैंक के प्रतिवेदन से मैंने जो उद्धरण दिया है, उससे प्रकट होगा कि रिजर्व बैंक और केन्द्रीय सरकार दोनों के प्राधिकारी इस नीति के खतरों को समझते हैं। इसीलिये हमें पूर्वोपाय के लिए तुरन्त पग उठाने चाहिये और इसी के लिये हम इस विधेयक में उपबन्ध कर रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री अ० च० गुह]

श्री नि० बि० चौधरी ने रिजर्व बैंक के लाभ में होने वाली उस वृद्धि का उल्लेख किया हैं, जो कि सुवर्ण के पुनर्मूल्य के कारण हुई है। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि सरकार इस मामले पर विचार कर रही है। हो सकता है कि हम रिजर्व बैंक को होने वाले इस लाभ को बैंक की संचिति निधि में जमा कर दें या कोई और तरीका अपनायें। तथापि, यदि आवश्यक हुआ तो सदन में इस विषय से सम्बन्धित एक और विधेयक प्रस्तुत किया जायेगा।

श्री नि० बि० चौधरी : इसका उपबन्ध आप इसी विधेयक में क्यो नहीं करते हैं ?

श्री अ० चं० गुह : यह संभव नहीं है। यह मामला बाद में उत्पन्न हुआ था और इसे इस विधेयक में सम्मिलित करना संभव नहीं था। यदि आवश्यकता पड़ी तो एक और विधेयक प्रस्तुत किया जायेगा और यह भी संभव है कि ऐसी आवश्यकता ही न पड़े।

उन्होंने यह भी पूछा था कि विदेशी सरकारों से जो ऋण लिये जायेंगे वे किस विदेशी मुद्रा में दिये जायेंगे इत्यादि। ये ऋण परियोजनाओं के लिये अपेक्षित पूंजी वस्तुओं के रूप में होंगे और पूंजी वस्तुओं के क्रय से लिये प्रयुक्त की जानी वाली विदेशी विनिमय मुद्राओं के रूप में नहीं होंगे। इससे उन परियोजनाओं पर, जिन के लिये दूसरी पंचवर्षीय योजना में पूंजी वस्तुओं की आवश्यकता है, उस हद तक विदेशी मुद्राकी बचत होगी।

कुछ सदस्यों ने विदेशी ऋणों या विदेशी सहायता के बारे में कुछ कहा था। उन्होंने पूछा था कि अमेरिका या अन्य देशों से हम क्यों मांगते हैं। जैसा कि प्रश्न काल में बताया जा चुका है, हमारी नीति यह है कि किसी देश की राजनीति पर ध्यान न देते हुए, यदि हमें उससे बिना किसी राजनैतिक शर्त के ऋण मिल सकता है, तो हम उसे स्वीकार कर लेंगे। कोई भी देश चाहे वह किसी गुट का हो, जो हमें विकास कार्य में सहायता देने के लिये तैयार होगा, हम उस के आभारी होंगे। श्री जोकीम आल्वा ने अमेरिका से ४० करोड़ रुपये की सहायता का उल्लेख किया है। वह ४० करोड़ रुपये की राशि वर्तमान आवंटन है और प्रविधिक रूप से यह कहना ठीक नहीं होगा कि यह वार्षिक आवंटन है। मेरे विचार में पहले हमें वार्षिक आवंटन मिलता रहा है और हो सकता है यही व्यवस्था जारी भी रहे। इसके विपरीत भी हो सकता है, किन्तु हमें आशा है कि यही व्यवस्था जारी रहेगी। कुछ राष्ट्र मंडलीय देशों ने और कुछ अन्य छोटे देशों ने भी कुछ सहायता दी है। यह सहायता जितनी भी है उसके लिये हम उन देशों के आभारी हैं। किन्तु ऐसी सहायता के लिये राजनैतिक शर्तें नहीं होनी चाहिये।

श्री गुरुपाद स्वामी ने कहा है कि हमें ऋण सम्बन्धी स्थिति पर नियन्त्रण करने के लिये पर्याप्त उपाय करने चाहिये। हम इस विधेयक में यही तो उपबन्ध कर रहे हैं। रिजर्व बैंक को कुछ अधिकार पहले से ही प्राप्त हैं। कुछ मिनट पूर्व उन्होंने देश में वर्तमान मुद्रा स्फीति की स्थिति और अनुसूचित बैंकों द्वारा अधिक ऋण दिये जाने के बारे में प्रश्न पूछा था। रिजर्व बैंक ने अनुसूचित बैंकों से कहा है कि वे कृषि उत्पादों की प्रत्याभूति पर दिये गये ऋणों की सावधिक विवरणियां दें। वर्तमान स्फीतिकारी प्रवृत्ति का कारण कुछ हद तक यह भी हो सकता है कि अनुसूचित बैंकों से ऋण लेकर आसंचयन किया गया है। रिजर्व बैंक उचित कार्यवाही कर रही है, ताकि बैंकों से ऋण लेकर आसंचयन न किया जाये और अनचित लाभ न उठाया जाये।

†**श्री म० शि० गुरुपादस्वामी** : क्या यह सच नहीं ह कि गल्ले के आसंचयन का मुख्य कारण यह था कि व्यापारियों को विभिन्न बैंकों से काफी ऋण मिल गये थे ? यदि आप अब कोई प्रतिबन्ध लगायें, तो वह व्यर्थ होगा, क्योंकि मौसम समाप्त हो चुका है ?

†**श्री अ० चं० गुह** : मेरे विचार से अभी कोई देरी नहीं हुई है। मैं मानता हूं कि कुछ आसंचयन हुआ है और अनुसूचित बैंकों से मिले ऋणों के कारण हुआ है। किन्तु जब से इस प्रश्न की ओर

†मूल अंग्रेजी में।

ध्यान आकर्षित हुआ है, रिजर्व बैंक और सरकार कार्यवाही कर रही हैं। वे समुचित कार्यवाही करेंगे। मेरे विचार में दुर्भिक्ष का शोर मचाना उचित नहीं होगा। इससे लोगों में गड़बड़ी फैल जायेगी और आसंचयन करने वाले इस स्थिति से लाभ उठायेंगे।

कुछ मित्रों ने सुवर्ण के पुनर्मूल्यन का उल्लेख किया। हमारा राष्ट्र एक नम्र राष्ट्र है। अब तक हम अपने सुवर्ण का मूल्य रु० २१/३/१० प्रति तोला की दर से करते रहे हैं। अब यह दर बहुत पुरानी हो चुकी है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि हमारे रूपये का मूल्यन सुवर्ण के रूप में ६२/८/ रुपये प्रति तोला की दर से करता है और यहां हम भी वही मूल्यन कर रहे हैं जो कि अन्तराष्ट्रीय मुद्रा निधि और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में स्वीकार किया जा रहा है। इसलिये हम कोई बेइमानी की बात नहीं कर रहे हैं। हम उसी चीज को चालू कर रहे हैं, जो इस समय बाजार में प्रचलित है।

श्री गुरुपादस्वामी ने कहा है कि सरकार को सुवर्ण के व्यापार में भाग लेना चाहिये। मैं नहीं समझ सका कि यह सुझाव कैसे दिया गया है। मेरे विचार से उन्हें मालूम होगा कि सरकार ने सुवर्ण का आयात बन्द कर रखा है। हम सुवर्ण का आयात करके अपनी बहुमूल्य विदेशी मुद्रा को नष्ट नहीं करना चाहते। अतः सरकार द्वारा सुवर्ण का व्यापार किये जाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। मैं यह भी नहीं समझ सका कि इससे क्या प्रयोजन सिद्ध होगा।

†**श्री म० शि० गुरुपादस्वामी** : आन्तरिक व्यापार।

श्री अ० चं० गुह : श्री सोमानी और श्री नि० बी० चौधरी ने उस ब्याज का उल्लेख किया जो रिजर्व बैंक अतिरिक्त संचिति निक्षेपों के लिए, जिसकी कि अनुसूचित बैंकों से मांग की जाये, देगा। विधेयक में कोई निश्चित दर नहीं बताई गई है। श्री सोमानी और श्री ति० सु० अ० चेट्टियार दोनों अनुभव करते है कि एक निश्चित दर होनी चाहिये। किन्तु यह आवश्यक है कि ब्याज सम्बन्धी उपबन्ध कुछ आनम्य होने चाहिये। स्पष्ट है कि यह दर मुद्रा बाजार की परिस्थितियों पर, जो समय समय पर बदलती रहती है, और बैंकों की आय और निक्षेप प्राप्त करने में बैंकों की चेष्टा पर निर्भर है। इस अधिनियम में सभी परिस्थितियों के लिये व्यवस्था करना संभव नहीं हैं और इसे भारत के रिजर्व बैंक के विवेक पर छोड़ देना ठीक है। आवश्यकता पड़ने पर वह सरकार से परामर्श कर लेगा।

अब मुझे केवल स्थानीय बोर्डों के सम्बन्ध में एक माननीय सदस्य की बात का उत्तर देना है। मैंने अपने पहले भाषण में कहा था कि पहल स्वयं स्थानीय बोर्डों को करनी है। मैं स्थानीय बोर्डों के हटाये जाने के सम्बन्ध में लोगों की प्रतिक्रिया को समझता हूं। रिजर्व बैंक इन बोर्डों से लाभ नही उठा सका है। बोर्ड स्वयं अनुभव करते हैं कि वे रिजर्व बैंक या देश की अर्थ व्यवस्था में कोई अधिक संयोग नहीं दे सकते हैं।

†**श्री अ० म० थामस** : इस का कारण यह है कि गम्भीर मामलों में उनको विश्वास में नहीं लिया जाता है।

†**श्री अ० चं० गुह** : स्थानीय बोर्डों और केन्द्रीय बोर्ड के कृत्यों की कोई सीमा होनी चाहिये। केन्द्रीय बोर्ड ने कुछ शक्तियां और कृत्य उन्हें प्रत्यायोजित कर दिये हैं किन्तु केन्द्रीय बोर्ड इन बोर्डों से कोई लाभ नहीं उठा सकता है। मेरे विचार में यदि इन्हें समाप्त कर दिया जाये, तो देश को कोई हानि नहीं होगी। इस सम्बन्ध में मैं स्थानीय लोगों की भावनाओं को समझ सकता हूं, किन्तु केन्द्रीय बैंक के समन्वय और केन्द्रीयकृत प्रशासन के लिये हमें इस विधेयक में किये गये उपबन्धों को स्वीकार कर लेना चाहिये। मैं आशा करता हूं कि सदन इस विधेयक को स्वीकार कर लेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"भारत का रक्षित बैंक (रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया) अधिनियम, १९३४ में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**अध्यक्ष महोदय :** अब सभा परसों ११ बजे तक के लिये स्थगित होगी ।

इसके पश्चात् लोकसभा शुक्रवार २२ जुलाई १९५६ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

दैनिक संक्षेपिका

[बुधवार १८, जुलाई १९५६]

विषय **पृष्ठ**

सभा पटल पर रखे गये पत्र ८७

विभिन्न सत्रों के दौरान, जैसा प्रत्येक के सामने दिखाया गया है, मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के निम्न विवरणों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखी गई :

(१) अनुपूरक विवरण संख्या ४ लोक-सभा का बारहवां सत्र, १९५६
(२) अनुपूरक विवरण संख्या ७ लोक-सभा का ग्यारहवां सत्र, १९५५
(३) अनुपूरक विवरण संख्या ११ लोक-सभा का दसवां सत्र, १९५५
(४) अनुपूरक विवरण संख्या १७ लोक-सभा का नवां सत्र, १९५५
(५) अनुपूरक विवरण संख्या १९ लोक-सभा का आठवां सत्र, १९५४
(६) अनुपूरक विवरण संख्या ३१ लोक-सभा का छटा सत्र, १९५४
(७) अनुपूरक विवरण संख्या ४५ लोक-सभा का तीसरा सत्र, १९५३

कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित. ८८

अड़तीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित ८८

पचपनवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया।

विधेयक के बारे में याचिका ८८

सचिव ने सूचित किया कि कारखाना (संशोधन) विधेयक के बारे में प्रार्थी के हस्ताक्षर सहित एक याचिका प्राप्त हुई।

विधेयक पर विचार ८८–१२०

भारत का रक्षित बैंक (संशोधन) विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव पर चर्चा आरम्भ हुई तथा प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

शुक्रवार २० जुलाई, १९५६ के लिये कार्यावलि—

भारत का रक्षित बैंक (संशोधन) विधेयक पर विचार और गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प।

भा. स. मू. ना.–वि. ३–१९३ लोक सभा ५६—२७-७-५७